

Springboard
ACADEMY

AN INSTITUTE FOR IAS & RAS

RAS PRELIMS

2024 - 2025

भारतीय अर्थव्यवस्था
प्रारम्भिक परीक्षा



विजय सर

पाठ्यक्रम

☑ अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएँ :-

- ★ बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक-वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान।
- ★ लेखांकन— अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग।
- ★ स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार।
- ★ राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ।
- ★ सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली।
- ★ ई-कॉमर्स।
- ★ मुद्रास्फीति— अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र।

☑ आर्थिक विकास एवं आयोजन :-

- ★ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र : कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल।
- ★ प्रमुख आर्थिक समस्याएँ एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण।

☑ मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास :-

- ★ मानव विकास सूचकांक।
- ★ वैश्विक खुशहाली सूचकांक।
- ★ गरीबी एवं बेरोजगारी— अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लेगशिप योजनाएँ।

☑ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :-

- ★ कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अर्थशास्त्र	1-6
2.	बैंकिंग	7-35
3.	वित्त बाजार	36-47
4.	मुद्रास्फीति	48-54
5.	राजकोषीय नीति	55-69
6.	राष्ट्रीय आय	70-74
7.	आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास	75
8.	मानव विकास रिपोर्ट	76-78
9.	विश्व खुशहाली सूचकांक	79
10.	गरीबी	80-87
11.	वित्त आयोग	88-91
12.	ई-कॉमर्स	92-95
13.	बेरोजगारी	96-102
14.	सब्सिडी	103-105
15.	उद्योग	106-118
16.	कृषि	119-130
17.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	131-134

अर्थशास्त्र

- ☑ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अर्थव्यवस्था कहलाती है।
- ☑ आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है—
 1. वस्तु और सेवाओं का उत्पादन।
 2. उनका उपभोग।
 3. मौद्रिक लेन-देन।
- ☑ अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है—
 1. व्यष्टि अर्थशास्त्र – जब अध्ययन किसी एक व्यक्ति या संस्था के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे व्यष्टि/माइक्रो अर्थशास्त्र कहा जाता है।
 2. समष्टि अर्थशास्त्र – जब अध्ययन वृहद् स्तर पर किया जाता है उसे समष्टि/मेक्रो अर्थशास्त्र कहा जाता है।
- ☑ अर्थव्यवस्था को दो विचारधाराओं के आधार पर बांटा जा सकता है—

पूँजीवाद	साम्यवाद
ये स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं।	ये समानता के समर्थक होते हैं।
ये निजी सम्पत्ति को मान्यता देते हैं।	ये निजी सम्पत्ति को मान्यता नहीं देते हैं।
बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है अर्थात् मुक्त बाजार नीतियाँ अपनायी जाती हैं।	बाजार पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण।
संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर	संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर
लोकतांत्रिक सरकार	तानाशाही
अहिंसा का समर्थन	हिंसा का समर्थन
वर्ग संघर्ष के साथ-साथ वर्ग सहयोग	वर्ग संघर्ष
धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है	ये धार्मिक रूप से नास्तिक होते हैं धर्म की तुलना अफीम से की गयी है।
मुख्य विचारक – “एडम स्मिथ” पुस्तक – The wealth of Nations 1776	मुख्य विचारक – “कॉर्ल मार्क्स” (पुस्तकें – 1. Das Kapital 2. The Communist Manifesto)

- 1917 ई. में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई जिसमें रूस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया तथा साम्यवाद की स्थापना की गई।
- 1922 ई. में यूएसएसआर का गठन किया गया। साम्यवादी नीतियों के कारण यूएसएसआर की आर्थिक स्थितियां खराब हुई अंततः 1991 ई. को यूएसएसआर का विघटन हो गया।
- 1949 में चीन में 'माओ जिदांग' के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई।
- 1978 ई. में चीन में आर्थिक सुधार लागू किये गये। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से वे आज भी साम्यवादी हैं।
- अन्य देश जिन्होंने साम्यवाद को अपनाया— क्यूबा, उत्तरी कोरिया, कम्बोडिया, वियतनाम, तथा वेनेजुएला इत्यादि।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था अर्थात् कुछ मामलों में बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ मामलों में निजी क्षेत्र को भी मान्यता दी जाती है।
- 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हुआ जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किये गये। इन्हें उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधार कहा जाता है। तथा अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर हो गया।

❖ मांग और आपूर्ति :-

मांग:- वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समयावधि के दौरान खरीदने के लिए तैयार होता है।

- **आपूर्ति:** वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि, कोई उत्पादक या विक्रेता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समयावधि के दौरान उपलब्ध करवाने के लिए तैयार होते हैं।
- आदर्श रूप से मांग एवं आपूर्ति संतुलित होनी चाहिए परन्तु व्यावहारिक रूप से यह असंतुलित रहती है जिसके कारण दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।

मांग और आपूर्ति के बीच संबंध:-

1. मांग > आपूर्ति



कीमतें बढ़ेगी



उत्पादक को लाभ → निवेश अधिक → रोजगार → नियमित आय → जीवन स्तर में सुधार

2. आपूर्ति > मांग



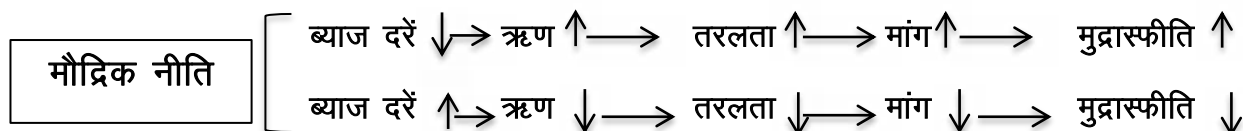
कीमतें कम



उत्पादक को हानि → निवेश कम → रोजगार कम → नियमित आय नहीं → जीवन स्तर में कमी।

- यदि यह परिस्थिति कुछ समय के लिए बनी रहती है तब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है यदि मंदी कुछ महीनों तक के लिए बनी रहे तब अर्थव्यवस्था महामंदी में प्रवेश कर जाती है। जैसे— Great Depression - 1929 USA
- कुछ मात्रा में मुद्रा स्फीति अच्छी हैं परन्तु इसकी अधिकता चिंता का विषय है।
- भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य $4\% \pm 2\%$ हैं।

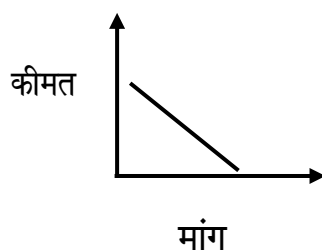
❖ मौद्रिक नीति :-



- मांग का सम्बन्ध धन से होता है जिसे तरलता भी कहा जाता है। तरलता के बढ़ने से मांग बढ़ती है तथा तरलता के कम होने से मांग कम होती है तरलता को कम या ज्यादा करने के लिए RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।
- आपूर्ति का सम्बन्ध उत्पादन से होता है जिसे सदैव बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
- तरलता को बढ़ाने व कम करने के लिए RBI के द्वारा ब्याज दरों को कम या ज्यादा किया जा सकता है।
- यदि देश में मंदी की परिस्थिति में सरकार के द्वारा अपने खर्च को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि बाजार में मांग सृजित हो सके इसके लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है।

☑ माँग का नियम:-

- ✓ यह नियम कीमत और मांग के बीच नकारात्मक सम्बन्ध को दर्शाता है अर्थात् कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है तथा यदि कीमतें कम है तब मांग बढ़ जाती है।
- ✓ यह नियम उपभोक्ता के दृष्टिकोण को दर्शाता है

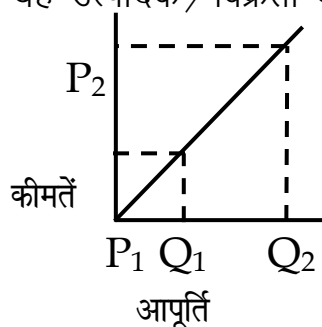


अपवाद:-

- (i) आवश्यक वस्तुएं। जैसे- नमक, पेट्रोल, डीजल।
- (ii) जीवन रक्षक दवाएँ।
- (iii) वेब्लेन वस्तुएं – वे वस्तुएं जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा और विलासिता से जुड़ी हुई होती हैं।
- (iv) गिफेन वस्तुएं – ये कम गुणवत्ता की वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें बढ़ने पर भी इनकी मांग कम नहीं होती है। उदाहरण- कॉफी, चाय, बाजरा, मिलेट, ब्रेड इत्यादि।
- (v) नशीले पदार्थ।
- (vi) फैशन की वस्तुएं।

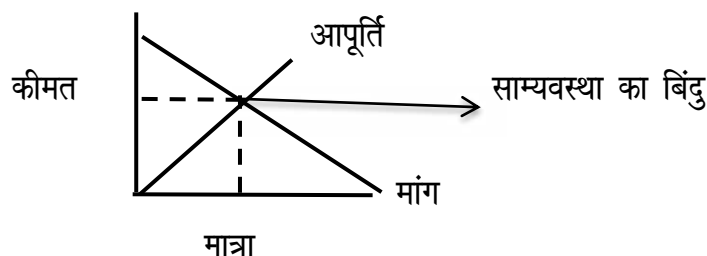
☑ आपूर्ति का नियम :-

- ✓ यह नियम कीमत और आपूर्ति के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है अर्थात् कीमतों के बढ़ने से आपूर्ति भी बढ़ती है तथा कीमतों के कम होने से आपूर्ति भी कम होती है।
- ✓ यह उत्पादक/विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

**अपवाद :-**

- (i) बाजार में एकाधिकार।
- (ii) सरकार की नीतियाँ। जैसे- लॉकडाउन।
- (iii) प्राकृतिक आपदा।
- (iv) वस्तु की प्रकृति – कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती हैं इनकी माँग वर्ष भर बनी रहती है परन्तु आपूर्ति वर्ष भर नहीं की जा सकती।

- ☑ **मूल्य/कीमत का निर्धारण:-** मूल्य वह बिन्दू है जिस पर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सहमत होते हैं। इसे साम्यवस्था का बिंदु भी कहा जाता है।



☑ **उत्पादन के कारक:**— उत्पादन के चार कारक होते हैं तथा सभी की कुछ लागत होती है।

उत्पादन के कारक/साधन	साधन लागत
भूमि (land)	किराया (Rent)
श्रम (labour)	मजदूरी (wages)
पूंजी (capital)	ब्याज (Interest)
उद्यमी (Entrepreneur)	लाभ (Profit)
साधन लागत = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ	
बाजार मूल्य = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी	

❖ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र :-

★ अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं—

(1) **प्राथमिक क्षेत्र:**— इसमें वे गतिविधियां रखी जाती हैं जो कि मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। इसे प्रचलित रूप से कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है।

- | | |
|------------|--------------|
| (i) कृषि | (iii) मत्स्य |
| (ii) डेयरी | (iv) वानिकी |

★ खनन को सामान्यतया प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है परन्तु भारत में औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है।

(2) **द्वितीयक क्षेत्र:**— इसमें निर्माण व विनिर्माण(औद्योगिक) गतिविधियों को रखा जाता है। जैसे

- ✓ मोटर वाहन उद्योग
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग
- ✓ वस्त्र उद्योग आदि।

- इसे प्रचलित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।

(3) **तृतीयक क्षेत्र:**— इसमें सेवाओं को रखा जाता है इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवाओं को दो अन्य क्षेत्रों में भी बाँटा जाता है—

(1) **चतुर्थक क्षेत्र:**— इसमें ऐसी सेवाएं रखी जाती हैं जो कि ज्ञान आधारित होती हैं जैसे— मेडिकल सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं

(2) **पंचम क्षेत्र:**— इसमें वे सेवाएं रखी जाती हैं जो कि निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जैसे— सिविल सेवाएं, राजनीतिक सेवाएं।

☑ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तीन चरणों में विकसित होती है—

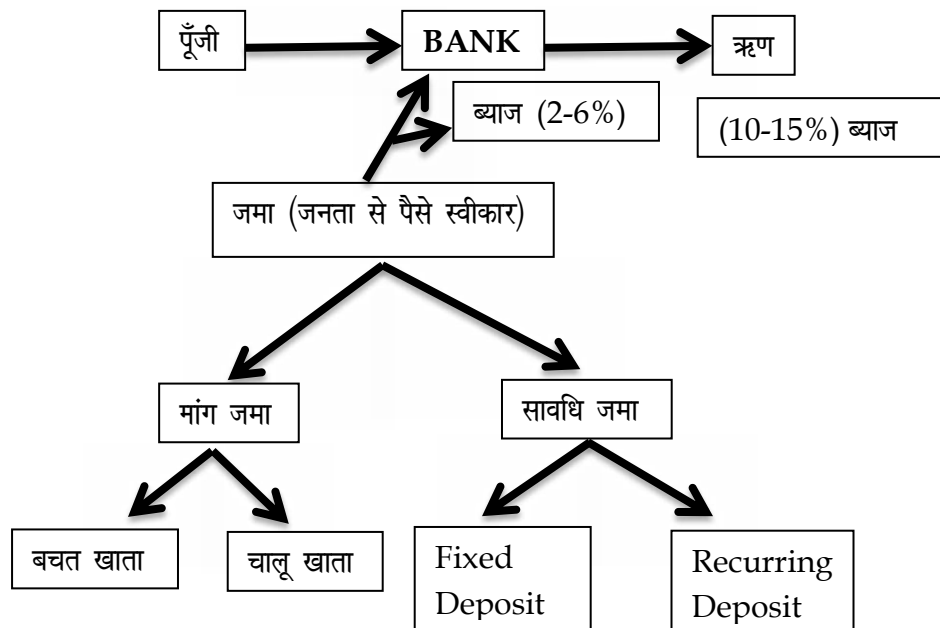
(A) कृषि आधारित अर्थव्यवस्था

(B) उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था

(C) सेवा आधारित अर्थव्यवस्था

- स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55 प्रतिशत है।
- स्वतंत्रता के समय GDP में कृषि का योगदान लगभग 55% था वर्तमान में यह कम होकर लगभग 17.66% हो गया परन्तु आज भी 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम हैं।
- भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है।

बैंकिंग



❖ बैंक की जमाएँ दो प्रकार की होती है -

1. **मांग जमा** :- इसके तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं।

A. **Saving Account (बचत खाता)** :- इसका प्रयोग सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है इसमें कभी-कभी जमा करवाया जाता है कभी-कभी धन निकाला जाता है। इस पर बैंक द्वारा ब्याज (3-5%) दिया जाता है।

B. **Current Account (चालू खाता)** :- ये सामान्यतः व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें कितने भी लेन-देन किए जा सकते हैं इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है।

2. **सावधि जमा** :- इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं:- 1. FD 2. RD

1. **FD (Fixed Deposit)** :-

इसमें एक निश्चित समय के लिए धन जमा करवाया जाता है। इस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है।

2. **RD (Recurring Deposit) आवृत्ती जमा:-**

इसमें धन बार-बार जमा करवाया जा सकता। परन्तु एक निश्चित समय के बाद ही धन निकाला जा सकता है।

• **नोट** :-

• बैंक जमाओं पर 5 लाख रु. तक का बीमा होता है।

- यह बीमा DICGC के द्वारा प्रदान किया जाता है।

DICGC: Deposit Insurance & Credit Gaurantee Corporation.
Established : In 1978 AD
Owner - RBI

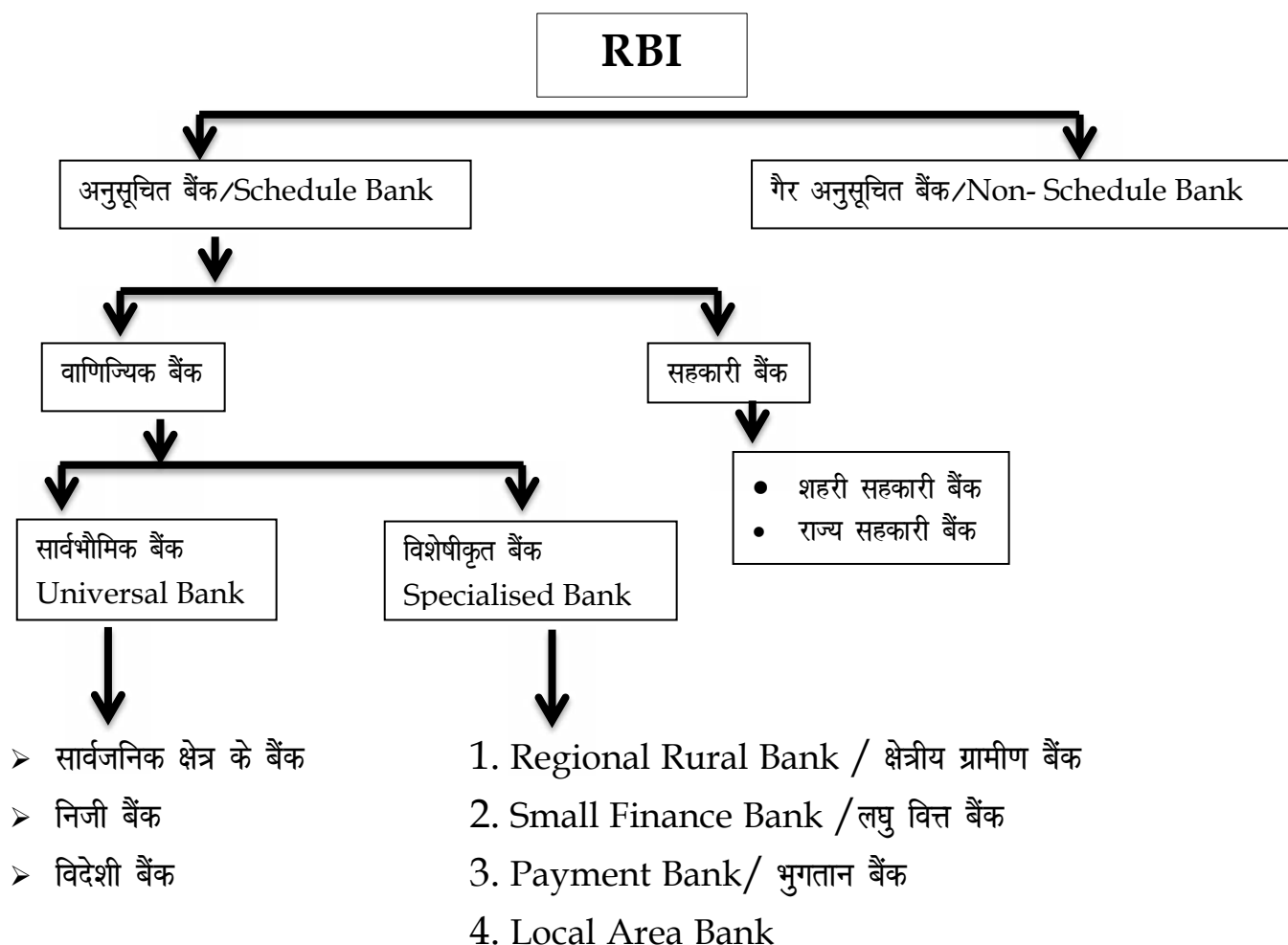
☑ भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास:-

- भारत में औपचारिक रूप से बैंकिंग की शुरूआत अंग्रेजों के द्वारा की गई।
- 1770 में 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' की स्थापना की गई जो कि भारत का पहला बैंक था।
- 1881 ई. में 'अवध वाणिज्यिक बैंक' की स्थापना की गई जो की भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था।
- 1894 ई. में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई जो कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला स्वदेशी बैंक था।
- ब्रिटिश काल में तीन प्रेसीडेन्सी बैंक की स्थापना की गई।
 - 1806 - Bank of Bangal
 - 1840 - Bank of Bombay
 - 1843 - Bank of Madras
- 1921 में इन बैंकों का विलय कर दिया तथा 'इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई।
- 1955 में- Imperial Bank of India का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा नाम बदलकर State Bank of India कर दिया गया। इसके लिए SBI Act पारित किया गया। इसका स्वामित्व RBI के पास था।
- 2007 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया।
- 1959 में 8 रियासती बैंकों को SBI का सहायक बैंक बनाया गया।

1- State Bank of Bikaner	}	SBBJ
2- State Bank of Jaipur:- 1963		
3- State Bank of Patiala		
4- State Bank of Saurasthra -2008 - SBI (Merge)		
5- State Bank of Indore - 2010 - SBI merge		
6- State Bank of Hyderabad		
7- State Bank of Mysore		
8- State Bank of Travankor		
- 2017 में 5 सहायक बैंकों का विलय SBI में कर दिया गया। (SBBJ, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर)

- 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना एसबीआई के सहायक बैंक के रूप में की गई। 2017 में इसका भी एसबीआई में विलय कर दिया गया।
- वर्तमान में एसबीआई को कोई सहायक बैंक नहीं हैं। तथा एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है।
- 1 April, 1935 को Reserve Bank of India की स्थापना की गई जो कि भारत की केन्द्रीय बैंक है और इसके लिए RBI Act-1934 पारित किया गया।

भारत में बैंकिंग की संरचना



☑ अनुसूचित बैंक :-

- वे बैंक जिनका उल्लेख RBI अधिनियम- 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया है।
- यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं इसके लिए न्यूनतम पूंजी 5 लाख रु. है।
- इनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:-
 1. वाणिज्यिक बैंक

2. सहकारी बैंक

वाणिज्यिक बैंक

❖ ये बैंक वाणिज्यिक हितों के लिए कार्य करते हैं अर्थात् इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

1. सार्वभौमिक बैंक

2. विशेषीकृत बैंक

1- सार्वभौमिक बैंक :-

✓ ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवा/सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं। जैसे:- जमाएँ स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान सेवाएँ, लॉकर सेवाएँ।

✓ इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :-

A. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank)

➤ वे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। इन्हें सरकारी बैंक भी कहा जाता है।

➤ वर्तमान में इनकी संख्या 12 है- (SBI-1, राष्ट्रीयकृत बैंक- 11)

➤ भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया।

1- 1969 ई. में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिसकी पूंजी 50 Cr. रु. से अधिक थी।

2- 1980 ई. में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिसकी पूंजी 200 Cr. रु. से अधिक थी।

➤ राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य -

1- ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकों की सुविधा उपलब्ध करवाना।

2- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

➤ 1993 ई. में New Bank of India का विलय PNB (Panjab National Bank) में कर दिया गया।

➤ 2017 में SBI में 5 सहायक बैंकों का विलय किया गया। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है।

➤ वर्तमान में बैंकों का विलय किया गया है इसलिए इनकी संख्या कम होकर 11 रह गई है।

✓ 1993 ई.- New India Bank का विलय PNB में किया।

✓ 2017 में भारतीय महिला बैंक (स्थापना 2013) का विलय SBI में किया गया।

✓ 2019 ई. - Bank of Baroda में- देना बैंक, विजया बैंक का विलय किया।

✓ 2020 ई. में -

1. PNB में Oriental Bank of Commerce (OBC) और United Bank of India का विलय किया गया।
2. Canara Bank में – सिंडीकेट बैंक
3. Union Bank of India में Andhra Bank और Corporation Bank का विलय।
4. Indian Bank में Allahabad Bank का विलय।

❖ बैंकों के विलय से लाभ :-

- भारत में बड़े स्तर के बैंक लगाए जा सकते हैं।
- भारतीय बैंक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।
- बैंकों की लागत कम होगी।
- बैंकों का नियमन और प्रबंधन आसान होगा।

B- निजी बैंक (Private Bank)

- इन बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है।
- RBI के द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है।
- वर्तमान में 21 निजी क्षेत्र के बैंक हैं।
- 1993 में निजी क्षेत्रों के 10 बैंकों को RBI के द्वारा लाइसेंस दिए गए।
- 2001 में दूसरी बार 2 बैंकों (Yes Bank + Kotak Bank) को लाइसेंस दिए गए।
- 2015 में तीसरी बार निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिए गए। (बंघन बैंक + IDFC)
- निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने के लिए 'बिमल जालान समिति' का गठन किया गया।
- बिमल जालान समिति के अनुसार लाइसेंस की शर्तें निम्नलिखित हैं -

शर्तें :-

1. न्यूनतम पूंजी 500 Cr. (वर्तमान में इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया है।)
2. बैंकिंग क्षेत्र का 10 वर्षों का अनुभव।
3. 25% शाखाएँ गांवों में खोलना अनिवार्य। (ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं हो।)
4. 2016 से on tap लाइसेंस व्यवस्था को RBI द्वारा अपना लिया जिसके तहत किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

C- विदेशी बैंक :-

- इन बैंकों का स्वामित्व विदेशी संस्था या व्यक्ति के पास होता है।
- इन्हें भारत में कार्य करने के लिए RBI से अनुमति लेनी होती है।
- भारत में कुल 45 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। जैसे- City Bank, HSBC, Royal Bank of Scotlan.

2- विशेषीकृत बैंक :-

- इसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है।
- इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

A. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-RRB (Regional Rural Bank)

- स्थापना 2 Oct. 1975 में 5 RRB की स्थापना की गई।
- 1976 में RRB अधिनियम पारित किया गया।
- ये एक संयुक्त उपक्रम होते हैं जिसमें केन्द्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% तथा वाणिज्यिक बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है।
- इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सिक्किम और गोवा में कोई RRB नहीं खोले गये।
- वर्तमान में इनकी संख्या 43 है।

B. लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank)

- स्थापना- 2015
 - सिफारिश - उषा थोराट समिति द्वारा।
- उद्देश्य -**
1. छोटे व्यवसायों की ऋण आवश्यकता को पूरा करना।
 2. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- शर्तें -**
1. न्यूनतम पूंजी 200 Cr. रु.
 2. प्रवर्तक का हिस्सा = 40 %
 3. यह सभी प्रकार की जमाएँ स्वीकार कर सकते हैं।
 4. 50% ऋण 25 लाख रु. से कम राशि के होने चाहिए।
 5. वर्तमान में ऐसे 12 बैंक हैं।

Ex. AU Small Finance Bank- (PSL का लक्ष्य 75% होता है।)

C. भुगतान बैंक

- स्थापना - 2015
 - सिफारिश - नचिकेता मोर समिति द्वारा।
- उद्देश्य -**
1. भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना।
 2. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- **शर्तें -**
1. न्यूनतम पूंजी = 100 Cr.

2. प्रवर्तक का हिस्सा = 40%
 3. यह सिर्फ मांग जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। सावधि जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
 4. अधिकतम जमाएं 2 लाख तक स्वीकार की जा सकती हैं।
 5. यह किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकते।
 6. ये डेबिट कार्ड, जारी कर सकते हैं। परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- वर्तमान में ऐसे 6 बैंक हैं। जैसे-
1. Paytm Payment Bank
 2. India post payment Bank
 3. Airtel Payment Bank
 4. Jio Payment Bank
 5. Fino Payments Bank
 6. NSDL Payments Bank

D. स्थानीय क्षेत्र बैंक -(Local Area Bank)

- स्थापना - 1996 ई. में नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर।
- इनका कार्य क्षेत्र 3 जिलों तक सीमित होना है।
- यह अनुसूचित व गैर-अनुसूचित दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
- भारत में कुल ऐसे 4 बैंक खोले गए थे।
- वर्तमान में इनकी संख्या 3 है। तीनों बैंक साउथ इंडिया में कार्यरत हैं।
- वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।

सहकारी बैंक

- ✓ वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। उन्हें सहकारी बैंक कहा जाता है।
- ✓ सहकारिता का सिद्धान्त
1. एक सब के लिए सब एक के लिए।
 2. खुली सदस्यता।
 3. लोकतांत्रिक नियंत्रण।
 4. पेशेवर प्रबंधन

सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक (Urban)

राज्य सहकारी बैंक (State)

- स्थापना-राज्य सरकार के कानून के माध्यम से
 - नियमन- वर्तमान में RBI द्वारा।
- | | | |
|--------------------------|---------------------|--|
| अल्पकालीन ऋण | दीर्घकालीन ऋण | |
| 1. राज्य स्तर- Apex Bank | 1. राज्य स्तर- SLDB | |
| 2. जिला स्तर - DCCB | 2. जिला स्तर-PLDB | |
| 3. ग्राम स्तर - PACS | | |

☑ शहरी सहकारी बैंक :-

- स्थापना - राज्य सरकार के कानून के माध्यम से की जाती है।
- इनके द्वारा शहरी क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है।
- 1996 ई. में पहले ये कृषि क्षेत्र को ऋण नहीं देते थे परन्तु वर्तमान में ऐसे ऋण दिए जाते हैं।
- इनका नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।

☑ राज्य सहकारी बैंक :-

- इनकी स्थापना राज्य सरकार के कानून के माध्यम से की जाती है।
 - इनके द्वारा कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है।
- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ DCCB – District Central Cooperative Bank | जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
| ➤ PACS – Primary Agriculture credit Society. | प्राथमिक कृषि साख बैंक |
| ➤ SLDB – State Land Development Bank. | राज्य भूमि विकास बैंक |
| ➤ PLDB – Primary Land Development Bank. | प्राथमिक भूमि विकास बैंक |

- उपर्युक्त बैंकों की पुर्नवित्त संस्था NABARD है।

(NABARD- National Bank For Agriculture & Rural Development.)

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है।

इन बैंकों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया-RBI (Reserve Bank of India)

- स्थापना - 1 अप्रैल, 1935 (RBI Act 1934 के माध्यम से)
- अतः यह एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है।
- सिफारिश - यंग हिल्टन आयोग (1926)
- प्रारंभ में यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी तथा प्रारम्भ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था।
- 1937 में इसका मुख्यालय मुम्बई स्थानान्तरित किया गया।
- 1 Jan. 1949 RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया।
- कुछ समय तक इसने पाकिस्तान तथा बर्मा की केन्द्रीय बैंक की भूमिका निभाई।
- यह शुरूआत से ही केन्द्रीय बैंक था।
- इसका प्रमुख गवर्नर कहलाता है जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के द्वारा की जाती है।
 - ✓ कार्यकाल - 3 वर्ष ।
 - ✓ 1st गवर्नर - ओसबोर्न स्मिथ
 - ✓ 1st भारतीय गवर्नर- चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख
 - ✓ वर्तमान गवर्नर - शक्तिकांत दास (25वें)
- यह एक स्वायत्त संस्था है अर्थात् इसके दैनिक कार्यों में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यद्यपि RBI अधिनियम 1934 की धारा- 7 के तहत केन्द्र सरकार RBI को जनहित में निर्देश दे सकती है।

RBI के कार्य :-

1. **मुद्रा का निर्गमन :-** रु. 2 और उससे अधिक मूल्य के नोट RBI के द्वारा जारी किया जाता है।
 - रु. 1 का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय (भारत मंत्रालय) द्वारा जारी किये जाते हैं। जिस पर वित्त सचिव के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इन सिक्कों को बाजार में लाने का कार्य आरबीआई करता है।
 - यह वैद्य मुद्रा होती है अर्थात् इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता।
 - **नोट की प्रिंटिंग 4 स्थानों पर की जाती है-**
 1. नासिक (महाराष्ट्र)
 2. देवास (मध्यप्रदेश)
 3. सालबोनी (पश्चिम बंगाल)
 4. मैसूर (कर्नाटक)
 - **सिक्कों की ढलाई 4 स्थानों पर होती है-**
 1. नोएडा

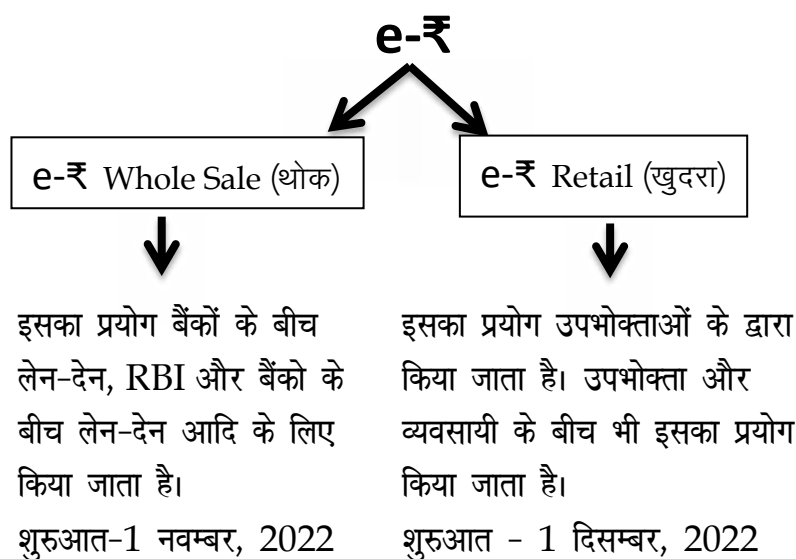
2. कलकत्ता
3. मुंबई
4. हैदराबाद

➤ मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है-

- स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था (Gold Reserve System) - मुद्रा के मूल्य का सोना RBI के पास रिजर्व रखना होता है।
- आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था (Proportional Reserve System) - मुद्रा के मूल्य का कुछ % सोना रिजर्व में रखना होता है। (40%)
- न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था (Minimum Reserve System) -
 - यह व्यवस्था 1956 से अपनायी गयी है।
 - RBI को रु. 200 Cr. की परिसम्पत्तियाँ रिजर्व में रखनी होती हैं। (115 Cr. के स्वर्ण बुलियन/ Govt Securities- & 85 करोड़ की अन्य परिसम्पत्तियाँ)

नोट :- आरबीआई के द्वारा जारी की गई मुद्रा वैद्य मुद्रा है। अर्थात् कोई भी इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। हालांकि सिक्कों के मामले में कुछ अपवाद है।

- **डिजीटल मुद्रा** - हाल ही में RBI के द्वारा एक डिजीटल मुद्रा की शुरुआत की गई जिसे e-₹ कहा जाता है।
- e-₹ दो प्रकार का होता है।



विमुद्रीकरण (Demonetisation):-

- जब मुद्रा वैद्य नहीं रहती है तब इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है।

- भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। (1946, 1978, 2016)
- 8 Nov. 2016 - रु. 500-रु. तथा रु.1000 के नोट समाप्त किए गए।

2. बैंकों की विनियामक संस्था (Regulation of Banking Act- 1949)

- RBI बैंको की विनियामक संस्था है।
- RBI बैंको को लाइसेंस प्रदान करता है।
- यदि कोई बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है तो RBI उस पर कार्यवाही कर सकता है, दण्डित कर सकता है एवं लाइसेन्स निरस्त भी कर सकता है।
- बैंको के विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बनाया गया।
- RBI को 'बैंको का बैंक' भी कहा जाता है।

3. सरकार का बैंकर -

- RBI सरकार के आन्तरिक ऋणों का प्रबन्धन करती है। बाहरी ऋणों का प्रबंधन सरकार के स्वयं के द्वारा किया जाता है।
- ऋण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है।

4. विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन (Forex Reserve)

- विदेशी मुद्रा भण्डार के 4 मुख्य तत्व होते हैं।
 1. Foreign Currency
 2. Gold
 3. SDR (Special Drawing Rights)
 4. Reserve Tranche

5. विनिमय दर का प्रबंधन (Management of Exchange Rate)

- विनियमन दर वह दर होती है जिसमें घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- वर्तमान में इसका निर्धारण मांग व आपूर्ति के आधार पर किया जाता है परन्तु इस दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने चाहिए, इसलिए इसे RBI द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- यदि बाजार में डॉलर अधिक है तो RBI अतिरिक्त डॉलर को बाजार से खरीद लेता है तथा यदि डॉलर की कमी है तो डॉलर बेच दिया जाता है।

5. समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस की सुविधा)

RBI द्वारा बैंकों के बीच लेनदेन के लिए मध्यस्त की भूमिका निभाई जाती है

Ex. Cheque Clearing

6. तरलता का नियंत्रण (Controlling Liquidity)

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए तरलता को कम किया जाता है तथा मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए तरलता को बढ़ाया जाता है। इसके लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।
- इसके लिए दो प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है।

1. मात्रात्मक उपाय 2. गुणात्मक उपाय

मात्रात्मक उपाय	गुणात्मक उपाय
1. CRR (Cash Reserve Ratio) नकद आरक्षित अनुपात	1. Margin Requirement मार्जिन आवश्यकता
2. SLR (Statutory Liquidity Ratio) सांविधिक तरलता अनुपात	2. Consumer Credit Regulation उपभोक्ता साख नियमन
3. Bank Rate बैंक दर	3. Credit Rationing (क्रेडिट राशनिंग)
4. Repo Rate रेपो दर	4. Moral Suasion (नैतिक दबाव)
5. Reverse Repo Rate रिवर्स रेपो रेट	5. Direct Action (सीधी कार्यवाही)
6. MSF – Marginal Standing Facility सीमान्त स्थायी सुविधा	
7. SDF – Standing Deposit Facility स्थायी जमा सुविधा	
8. Open Market Operation खुले बाजार का प्रचालन	
9. LTRO – Long term Repo Operation	

मात्रात्मक उपाय

A. Bank Rate: - बैंक दर

- वह दर जिस पर RBI बैंको को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है।
- इसे दण्डात्मक दर (Penal Rate) भी कहा जाता है।
- यदि कोई बैंक CRR व SLR का पालन नहीं करता है, तो उस बैंक पर दण्डात्मक दर लगायी जाती है।

B. Cash Reserve Ratio (नकद आरक्षित अनुपात)

- सभी बैंको को अपनी शुद्ध जमाओं, शुद्ध देयताओं का कुछ प्रतिशत राशि नकद के रूप में RBI के पास नकद में रखना होता है। जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं चुकाता है।
- यह आपातकालीन स्थिति के लिए होता है।

C. Statutory Liquidity Ratio (वैधानिक तरलता अनुपात)

- बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत तरल परिसम्पतियों में रखना होता है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ।
- CRR And SLR के माध्यम से बैंक की जमाओं को सुरक्षित व तरल रूप में रखा जाता है।
- इनका प्रयोग संकटकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए CRR और SLR को बढ़ाया जा सकता है। तथा मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए CRR एवं SLR को कम किया जा सकता है।

D. Liquidity Adjustment Facility (LAF) तरलता समायोजन सुविधा

- इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया।
- इसके तहत Repo Market को विकसित किया गया।

E. Repo Rate

- वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसे Repo Rate कहते हैं।
- बैंक RBI के पास सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखती है परन्तु SLR की Govt. Securities का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- यह सबसे महत्वपूर्ण दर है इसे नीतिगत दर/बेचमार्क दर भी कहते हैं।

F. Reverse Repo Rate

- वह दर जिस पर विभिन्न बैंक अपने अतिरिक्त धन को RBI के पास अल्पकाल के लिए जमा करवाते हैं। इसके लिए आरबीआई द्वारा बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी जाती हैं।
- यह ब्याज दर RBI के द्वारा बैंकों को दी जाती है।
- यह दर Repo Rate से कम होती है।

G. Marginal Standing Facility (सीमांत स्थायी सुविधा) MSF

- इसे 2011 में शुरू किया गया।

- इसके तहत RBI बैंकों को 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तथा ब्याज दर को MSF कहा जाता है।
- इसके तहत SLR वाली सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है।
- इसे भी दण्डात्मक दर (Penal Rate) कहा जाता है।
- वर्तमान में यह बैंक दर के बराबर होती है।
- मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए बैंक दर, रेपो रेट व MSF को कम किया जाता है तथा मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए बैंक दर, रेपो रेट MSF को बढ़ाया जाता है।

H. Open Market Operation (खुले बाजार की प्रक्रिया)

- इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है यदि RBI मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, यदि RBI मुद्रास्फीति को बढ़ाना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है।
- यदि RBI मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तब बैंक रेट, रेपो रेट MSF आदि को बढ़ाया जा सकता है।
- यदि मुद्रास्फीति को बढ़ाना है तब बैंक रेट, रेपो रेट, MSF आदि को कम किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए Reverse Repo Rate और SDF को बढ़ाया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को बढ़ाने करने के लिए Reverse Repo Rate और SDF को कम किया जा सकता है।
- बैंक रेट और MSF रेपो रेट से 0.25% अधिक होती है तथा SDF, रेपो रेट से 0.25% कम होती है।
- Reverse Repo Rate का वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा परन्तु इसे पूर्ण रूप से बन्द भी नहीं किया गया।

Control	Repo Rate	CRR	SLR	MSF	Open market operation	Bank Rate	Reverse Repo Rate
महंगाई Inflation	Increase	Increase	Increase	Increase	Sell Govt. Sec	Increase	Increase
अपस्फीति Deflation	Decrease	Decrease	Decrease	Decrease	Purchase Govt. Sec	Decrease	Decrease

I. LTRO (Long term repo operation)

- इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में कोरोना संकट के दौरान की गयी है।
- यह तरलता नियंत्रण (Liquidity Controlling) का एक अतिरिक्त उपाय है।
- इसके तहत बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए जिन पर ब्याज दर Repo Rate के बराबर रखी गयी।

बैंक की जमाएं = निवल/शुद्ध मांग एवं सावधि देयताएं।

J. SDF (Standing Deposit Facility)

- वह ब्याज दर जिस पर Bank के द्वारा RBI को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है।
- ये Reverse Repo Rate से भिन्न है क्योंकि RBI को किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
- इस व्यवस्था की शुरुआत- April 2022 में की गई।

नोट :-

- 1- तरलता को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी/सस्ती/उदारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।
- 2- तरलता को कम करने के लिए संकुचित महंगी या कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।

गुणात्मक उपाय

A. Margin Requirement (मार्जिन आवश्यकता)-

- इसका अर्थ है जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके अनुपात में कितना ऋण दिया जा सकता। जैसे यदि 1 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति को गिरवी रखा जाता है तथा मार्जिन आवश्यकता 10 प्रतिशत है तब 90 लाख रु. का ऋण दिया जाता है।
- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है।
- मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाता है।

B. Consumer Credit Regulation (उपभोक्ता साख नियमन)

- इसके तहत Down Payment के साथ ऋण की शर्तों में बदलाव किया जाता है।
- यदि महंगाई की स्थिति है - ऋण की शर्तें कठोर तथा Down Payment को बढ़ाया जाता है।
- यदि मंदी की स्थिति है - ऋण की शर्तें आसान तथा Down Payment को कम कर दिया जाता है।

C. Credit Rationing (क्रेडिट राशनिंग)

- इसके तहत ऋणों को उपभोक्ताओं व निवेशकों के बीच में बांटा जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण कम दिए जाते हैं जबकि निवेशकों को अधिक ऋण दिए जाते हैं।
- यदि मंदी की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिए जाते हैं।

D. Moral Suasion (नैतिक दबाव)

- RBI के द्वारा बैंकों पर नैतिक दबाव बनाया जाता है।
- महंगाई के दौरान कम ऋण देने के लिए। (हतोत्साहित)
- मंदी के दौरान अधिक ऋण देने के लिए। (प्रोत्साहित)

E. Direct Action (सीधी कार्यवाही)

- इसके तहत RBI के द्वारा बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है जो कि आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है।

❖ उर्जित पटेल समिति - 2013

☑ **उद्देश्य** - मौद्रिक नीति में सुधार के लिए गठित।

☑ **प्रमुख सिफारिशें :-**

1. मौद्रिक नीति का एक मात्र लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होना चाहिए।
 2. मुद्रास्फीति की दर $4\% \pm 2\%$ होनी चाहिए।
 3. मुद्रास्फीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
 4. मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए 'मौद्रिक नीति समिति' का गठन किया जाना चाहिए।
 5. मौद्रिक नीति की समीक्षा दो माह में एक बार की जानी चाहिए।
 6. महंगाई नियंत्रण में सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए।
- इन सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया।

❖ मौद्रिक नीति समिति:-

- उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद 2016 में RBI Act. में संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई।

संरचना :-

- ✓ कुल 6 सदस्य (अध्यक्ष सहित) होते हैं। (RBI-3, 3 भारत सरकार द्वारा मनोनीत।)
- ✓ अध्यक्ष - RBI गवर्नर।
- ✓ कार्यकाल - 4 वर्ष ।
- ✓ निर्णय - मतदान से।

- यदि पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते हैं तब RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है जिसका अर्थ है कि RBI गवर्नर एक अतिरिक्त मत डालेगा।
नोट -RBI गवर्नर के पास वीटों की शक्ति नहीं होती है।
- यदि मौद्रिक नीति समिति लगातार 9 महीने तक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तब उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें मुद्रास्फीति के कारणों, समिति के प्रयासों तथा असफलता की समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है।

बैंकिंग से जुड़ी अन्य अवधारणाएँ:-

☑ प्राथमिक क्षेत्र के ऋण:- (PSL-Priority Sector Lending)

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य है।
- निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है-
 1. कृषि (Agriculture) = 18%
लघु व सीमान्त किसान (Small & Marginal farmer)
 2. दुर्बल वर्ग (Weaker Section)= 12%(Sc/St/Women/Minority)
 3. सूक्ष्म उद्योग (Micro Industry) = 7.5%
 4. अन्य क्षेत्र- लघु उद्योग, निर्यातक, वहनीय आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए PSL का लक्ष्य 75% है।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2024 तक PSL लक्ष्य बढ़ाकर 75% किया जायेगा।
- विदेशी बैंक प्राथमिक क्षेत्र के ऋण का 40% है परन्तु उपलब्ध निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तब उसके पास 2 विकल्प हैं -
 - 1- शेष धन को निम्नलिखित निधियों में जमा करवाया जा सकता है-
 - A. RIDF- Rural Infrastructure Development Fund- (NABARD)
 - B. UIDF- Urban Infrastructure Development Fund- (NHB)
 - C. SEDF- Small Enterprises Development Fund- (SIDBI)
 - 2- शेष धन के PSL प्रमाण पत्र खरीदे जा सकते हैं जिस बैंक ने लक्ष्य से अधिक ऋण दिया है वह PSL प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तथा जिस बैंक ने कम ऋण दिया है वह PSL प्रमाण पत्र खरीद सकता है।

☑ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio)

- बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसम्पतियों का एक निश्चित प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना होता है।
- सामान्य अर्थों में जोखिम युक्त क्षेत्र को जितना ऋण दिया जाना है उसका कुछ % पूंजी के रूप में रखना अनिवार्य होता है।

$$CAR = \frac{\text{Capital}}{\text{Risky Assets}} \times 100$$

- इस अवधारणा को बेसल मानकों के आधार पर अपनाया गया है।
- ये मानक Bank for International settlement के द्वारा जारी किए जाते हैं।

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS :-

- स्थापना - 1930
- मुख्यालय-बेसल (स्वीट्जरलैण्ड)
- यह केन्द्रीय बैंको की एक संस्था है जिनका मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करवाना तथा बैंकिंग में अनुसंधान करना है।
- यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को जारी करता है जिनको बेसल मानक कहा जाता है।
- अब तक 3 बार बेसल मानक जारी किए जा चुके हैं-
 - ☑ Basel-I - 1988
 - ☑ Basel-II - 2004
 - ☑ Basel-III - 2010
- वर्तमान में Basel-III लागू है।
- RBI-1996 में इसका सदस्य बना।
- बेसल मानक बाध्यकारी नहीं है परन्तु यदि केन्द्रीय बैंक चाहे तो इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है।
- Basel -III के अनुसार CAR= 8% होना चाहिए।
- ✓ भारत में RBI के द्वारा निम्नलिखित CAR निर्धारित किये गये है।
 - Private Sector = 9%
 - Public Sector = 12%
- इन नियमों को 2020 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु कोरोना के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया।

☑ याचना बाजार- (CALL MONEY MARKET)

- दिन प्रतिदिन के लेन-देन में कुछ बैंकों के पास धन का आधिक्य होता है कुछ बैंकों के पास धन की कमी। ऐसी परिस्थिति में बैंकों के बीच फोन/कॉल पर लेन-देन किये जाते हैं जिसे Call Money Market कहा जाता है।
- यदि ऋण 1 दिन के लिए लिया गया है तो उसे Call Money कहा जाता है।
- यदि ऋण 2 से 14 दिन के लिए लिया गया है तब उसे Notice Money कहा जाता है।
- यदि ऋण 15-64 दिन के लिए लिया जाता है तब इसे Term Money कहा जाता है।
- RBI मौद्रिक नीति को जारी करते समय Call Rate को ध्यान में रखती है।
- इस दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है।
- दुनिया का सबसे बड़ा Call Money Market London में है यहाँ की ब्याज दर को LIBOR कहा जाता है।
(LIBOR = London Inter Bank offer Rate)
- भारत का सबसे बड़ा Call Money Market-Mumbai
(MIBOR = Mumbai Inter Bank Offer Rate)

☑ डिजिटल भुगतान-(Digital Payment)

- जब भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है तब इसे डिजिटल भुगतान कहा जाता है।
- भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मुख्य संस्था- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
- (NPCI- National Payment Corporation of India.)
- स्थापना- 2008
- स्वामित्व- RBI + इंडियन बैंक एसोसिएशन

NPCI की मुख्य सेवाएँ :-

1. **IMPS** - तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service)
 - 2010 में शुरू की गयी।
 - मोबाईल बैंकिंग इस पर आधारित है।
 - रु. 5 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है।
2. **CTC** - Cheque Truncation system- चेक ट्रंकेशन सिस्टम
 - इसके माध्यम से चेक की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार की जाती है तथा उसे संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है।
3. **BHIM** - (Bharat Interface for money)
 - 2016 में शुरू की गयी।
 - यह डिजिटल भुगतान के लिए बनाई गयी एक ऐप है।

4. Rupay Card

- यह भारत का स्वदेशी कार्ड है जिसका प्रयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- इसे 2012 में शुरू किया।
- यह वीजा एवं मास्टर कार्ड के प्रभुत्व को कम करेगा।

5. UPI - Unified Payment Interface (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)

- शुरुआत- 2016
- दो खातों के बीच तुरंत फण्ड ट्रान्सफर।
- इसमें बैंकों की सूचनाओं को एक वर्चुअल एड्रेस से जोड़ दिया जाता है जैसे- मोबाइल नंबर, QR Code, UPI-ID
- लेनदेन के लिए इसी वर्चुअल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है।

6. UPI 123 Pay -

- शुरुआत - 2021 में।
- इसका प्रयोग फीचर फोन (Keypad) के माध्यम से यूपीआई भुगतान के लिए किया जाता है।

7. National Finance Switch (राष्ट्रीय वित्त स्विच) NFS

- ATM का साझा नेटवर्क
- 2004 में शुरू
- वर्तमान में NPCI के अधीन आ गया।

ATM के प्रकार :-

1. **Brown Label ATM** - इस पर किसी विशिष्ट बैंक का नाम लिखा होता है।
2. **White Label ATM** - इस पर किसी बैंक का नाम नहीं लिखा होता है। सभी बैंकों के कार्ड का प्रयोग इसमें किया जा सकता है।
3. **Micro Label ATM** - यह एक छोटी मशीन है जिसको एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

8. National Automated Clearing House (NACH) (राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह)

- इसका प्रयोग ऐसे भुगतानों के लिए किया जाता है। जो बार-बार किए जाते हैं तथा बहुत से लोगों को किए जाते हैं। जैसे-वेतन, सब्सिडी आदि।

9. FASTAG -

- इसका प्रयोग स्वचालित टोल भुगतान के लिए

10. National Bill Pay Limited -

- 2021 में शुरू।

11. Bharat Bill Pay System -

- इसका प्रयोग बिल भुगतान के लिए किया जाता है। जैसे- बिजली, पानी आदि।

12. NETC - National Electronic Toll Collection.

13. NPCI International Limited :-

- यह नेशनल पेमेंट कोरपोरेशन ऑफ़ की इंडिया की सहायक कंपनी है।
- इसका मुख्य उद्देश्य 'यूपीआई' और 'रू-पे कार्ड' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना है।
- वर्तमान में यूपीआई का प्रयोग निम्नलिखित देशों में किया जा सकता है-
 - 1- भूटान
 - 2- नेपाल
 - 3- मॉरीशस
 - 4- फ्रांस
 - 5- सिंगापुर
 - 6- संयुक्त अरब अमीरात

14. AEPA - Adhar Enabled Payment Service :-

- आधार कार्ड से जुड़ी सूचनाओं का प्रयोग भुगतान के लिए किया जाता है।

RBI की अन्य सेवाएं -

1. RTGS- (Real Time Gross Settlement)

- शुरुआत - 2004 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा की गई।
- इसका प्रयोग बड़े भुगतानों के लिए किया जाता है।
- न्यूनतम भुगतान दो लाख रु.

2. NEFT- (National Electronic Fund Transfer)

- शुरुआत - 2005 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा।
- इसका प्रयोग 10 लाख रु. तक के भुगतान के लिए किया जाता है।
- न्यूनतम भुगतान 1 रुपये है।

➤ वित्तीय समावेशन :- (Financial Inclusion)

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुणवत्ता पूर्ण वित्तीय उत्पाद सभी लोगों को वहनीय दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जैसे- बैंक में खाता, बैंक से ऋण, बीमा, पेंशन, निवेश के अवसर, वित्तीय साक्षरता।
- देश के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन अत्यधिक आवश्यक है इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे-

- 1- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- 2- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- 3- आयुष्मान भारत योजना
- 4- सुकन्या समृद्धि योजना
- 5- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- 6- किसान सम्मान निधि
- 7- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

- शुरूआत - 2021
- RBI के द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई में जारी किया जाता है।
- इसके माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन मापा जाता है।
- इसके 3 कारक हैं-

कारक	भारांश
1. Access (पहुँच)	35%
2. Usage (उपयोगिता)	45%
3. Quality (गुणवत्ता)	20%

- इसकी गणना के लिए 97 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है।
- यह सूचकांक 0 से 100 के बीच होता है।
- 0 का अर्थ है - कोई भी वित्तीय समावेशन न होना।
- 100 का अर्थ है - पूर्ण वित्तीय समावेशन
- इसका कोई आधार वर्ष नहीं है।

➤ मुद्रा की आपूर्ति :-

- RBI के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए वित्तीय मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे- बैंक, डाकघर, पुनर्वित्त संस्थाएं एवं NBFC आदि।
- मुद्रा की आपूर्ति की गणना करने के लिए मुद्रा समुच्चय का प्रयोग किया जाता है।

पुराने मुद्रा समुच्चय :- इनका प्रयोग वर्ष 1977-98 ई. के बीच किया गया।

1. M_1 = जनता के पास नकद + बैंकों के पास मांग जमा + RBI के पास अन्य जमा
2. $M_2 = M_1 +$ डाकघर के पास मांग जमा
3. $M_3 = M_1 +$ बैंकों के पास सावधि जमाएँ
4. $M_4 = M_3 +$ डाकघर की सभी जमाएँ
5. M_0 = जनता के पास नकद + RBI के पास अन्य जमाएँ + RBI के पास बैंकों की नकद जमा (CRR)

RBI के अन्य जमा + (Govt. Deposit + अन्य देशों की केन्द्रीय बैंकों की जमाएँ + IMF आदि की जमाएँ)

तरलता का क्रम = $M_0 > M_1 > M_2 > M_3 > M_4$

M_0 - सर्वाधिक तरल, मौद्रिक आधार, आरक्षित मुद्रा व उच्च शक्ति मुद्रा भी कहा जाता है।

- बाजार में तरलता की गणना करने के लिए RBI के द्वारा M_0 का प्रयोग किया जाता है।
- M_1 व M_2 को Narrow Money कहा जाता है क्योंकि ये ऋण में अधिक मदद नहीं करते हैं।
- M_3 व M_4 को Broad Money कहा जाता है क्योंकि ये ऋण में मदद करते हैं।

नये मुद्रा समुच्चय

NM_1 = जनता के पास नकद + बैंकों के पास मांग जमाएँ + RBI के पास अन्य जमाएँ

$NM_2 = NM_1 +$ निवासियों की अल्पकालिक सावधि जमाएँ + बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र

$NM_3 = NM_2 +$ निवासियों की दीर्घकालीन सावधि जमाएँ + बैंकों के द्वारा लिये गये दीर्घकालिक ऋण

$L_1 = NM_3 +$ डाकघर की जमाएँ

$L_2 = L_1 +$ पुनर्वित्त संस्था की जमाएँ

$L_3 = L_2 +$ NBFC की जमाएँ

मुद्रा गुणांक (Money Multiplier)

$$\text{मुद्रा गुणांक} = \frac{M_3}{M_0}$$

- मुद्रा गुणांक और CRR में नकारात्मक संबंध है।
- CRR के बढ़ने से मुद्रा गुणांक कम हो जाता है।
- मुद्रा गुणांक और वित्तीय समावेशन के बीच सकारात्मक संबंध होता है।
- डिजिटल भुगतान बढ़ने से मुद्रा गुणांक बढ़ता है।

NPA-NON PERFORMING ASSETS(गैर निष्पादित परिसम्पतियाँ)

- यदि किसी ऋण का मूलधन और ब्याज 90 days तक नहीं चुकाया जाता है तब ऐसे ऋणों को NPA कहा जाता है।
- कृषि क्षेत्र के ऋणों के लिए NPA की परिभाषा फसल चक्र पर आधारित है।
- NPA का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है-
 1. Sub-standard NPA - NPA घोषित होने के 12 माह तक के ऋण Sub standard NPA कहलाते हैं।
 2. Doubtful NPA- ऐसे NPA जिनको Sub-standard हुए 12 माह हो गये।
 3. Loss NPA - जब NPA की वसूली के लिए सभी प्रयास किये जा चुके हैं परन्तु ये प्रयास असफल हुये हैं।
- NPA दो प्रकार के होते हैं-
 - 1- सकल NPA - कुल NPA
 - 2- शुद्ध NPA = सकल NPA - प्रावधानिक NPA ।
प्रावधानिक NPA - बैंक को अपने लाभ में से कुछ धन अलग रखना होता है जिससे NPA के कारण होने वाली संभावित हानि को सहन किया जा सके।

NPA की वसूली के लिए किए गए प्रयास-

1. DRT- Debt Recovery Tribunales :-

- 1993 में 29 DRT स्थापित किये गये। जो कि ऋण वसूली में विशेषज्ञ न्यायालय है।
- वर्तमान में इनकी संख्या 39 हैं।
- इनकी स्थापना 1993 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई।

2. CIBIL(Credit Information Bureau limited)

स्थापना - 2000 ई. को।

इसके द्वारा CIBIL Score जारी किया जाता है जिससे व्यक्ति की विश्वसनीयता का पता लगाया जाता है।

3. SARFAESI Act-2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act)

- इस कानून के तहत यदि कोई ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता है तब बैंक 60 दिन का नोटिस देकर गिरवी रखी सम्पतियों पर अधिकार कर सकता है।
- ऋण को बेचा जा सकता है। ऋण खरीदने के लिए Assets Reconstruction Company (ARC) की स्थापना की जाती है यह कम्पनियाँ ऋण वसूली में विशेषज्ञ होती हैं।

4. Insolvency and Bankruptcy code 2016 (IBC)

(दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता- 2016)

- यदि कोई कंपनी ऋण नहीं चुकाती है तब उसकी शिकायत NCLT (National Company Law Tribunal) से की जाती है। समाधान 6 माह में कर लिया जाता है।
- समाधान मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं-
 - i. कम्पनी के प्रबंधन में परिवर्तन
 - ii. किसी अन्य कम्पनी में विलय
 - iii. परिसम्पत्तियों की निलामी
- यह प्रक्रिया 180 दिन में पूरी की जानी चाहिए।
- कुछ विशिष्ट मामलों में समय सीमा को बढ़ाकर 270 दिन भी किया जाता है।

5. BAD BANK :-

- नरसिंहन समिति- II ने BAD Loan को NPA नाम दिया।
- NPA की वसूली के लिए BAD BANK की स्थापना की गई। (स्थापना- 2021)
- यह एक विशिष्ट प्रकार का बैंक होता है। जो कि अन्य बैंकों से NPA की खरीद करता है तथा वसूली के प्रयास करता है।
- भारत का पहला बैंक NARCL (National Assets Reconstruction Company Ltd.) है। यह रु. 2 लाख करोड़ के NPA की खरीद करेगा।

6. ऋण का पुर्नगठन -

- इसके तहत बैंकों के द्वारा ऋण की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे- ऋण की अवधि को बढ़ाना, ब्याज दर का कम करना, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित करना।

7. बैंकों में सुधार :-

- बैंकों में सुधार के लिए जानसंगम सम्मेलन आयोजित किए गए।
- सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना बनाई गई
 - A - Appointment
 - B - Bank Board Bureau
 - C - Capitalization
 - D - Destressing
 - E - Empowerment
 - F - Framwork of Accountability
 - G - Governance

8. DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTION (DFI)

- यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किये जाते हैं। जैसे- कृषि क्षेत्र, उद्योग, आयात-निर्यात, हाउसिंग, आधारभूत ढांचा।
- यह अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं देते हैं-
 - 1- वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - 2- गारन्टर की भूमिका निभाते हैं।
 - 3- तकनीक प्रबंधन और विपणन संबंधी सलाह प्रदान करते हैं।

➤ भारत के प्रमुख DFI :-

I. INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

- स्थापना - 1948
- भारत का पहला DFI
- भारत सरकार का उपक्रम

II. INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA (ICICI)

- स्थापना - 1955
- भारत का दूसरा DFI
- 2002 में ICICI को पूर्ण रूप से बैंक में परिवर्तित कर दिया गया।

III. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA LTD (IDBI)

- स्थापना - 1964
- प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था।
- 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तान्तरित किया गया।
- 2004 में इसे बैंक बना दिया गया।
- 2018 में LIC ने इसके शेयर भारत सरकार से खरीद लिये।

पुनर्वित्त संस्थाएं-

1. EXIM BANK -(EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA) (भारतीय निर्यात-आयात बैंक)

- स्थापना- 1982
- HQ मुख्यालय-मुंबई

- कार्य-आयातकों व निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
- यह शत प्रतिशत भारत सरकार के स्वामित्व में है।

2. NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development)

- स्थापना - 1982 (शिवरमन समिति की सिफारिश पर)
- मुख्यालय-मुंबई
- कार्य - सहकारी और RRB बैंक को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है।
- प्रारंभ में इसका स्वामित्व भारत सरकार और RBI के पास था।
- 2018 में स्वामित्व पूर्णरूप से भारत सरकार के अधीन आ गया।
- 1995 में इसके अधीन RIDF की स्थापना की गयी। यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तब शेष राशि RIDF में जमा करवायी जा सकती है।

3. NATIONAL HOUSING BANK (राष्ट्रीय आवास बैंक)

- स्थापना - 1988
- मुख्यालय - नई दिल्ली
- प्रारंभ में 100% RBI के स्वामित्व में था। लेकिन भारत सरकार ने इसे 2019 में खरीदा था।
- आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है।
- मूल्य निगरानी के लिए रेजीडेक्स (RESIDEX) इंडेक्स जारी करता है।
- Urban Infrastructure Development Fund (UIDF), NHB द्वारा संचालित की जाएगी।

4. SIDBI - SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)

- स्थापना - 1990
- HQ - लखनऊ
- प्रारंभ में IDBI के अधीन था।
- वर्तमान में भारत सरकार SBI, LIC, IDBI etc इसके मालिक है।
- लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है।
- SEDF - (Small Enterprises Development Fund) इसके अधीन कार्य करती है।
- Index - CRISIDEX

5. MUDRA BANK (Micro Unit Development and Refinance Agency)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्थापित किया गया।
- स्थापना - 2015
- यह एक पुनर्वित्त संस्था है।

- मुद्रा बैंक SIDBI के अधीन कार्य करती है।
- यह सूक्ष्म इकाईयों को ऋण उपलब्ध करवाता है।
Ex- सड़क विक्रेता, छोटे व्यापारी।
- यह कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है।
- 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं।
 1. शिशु - 50 हजार तक
 2. किशोर - 50 हजार से 5 लाख
 3. तरुण - 5 लाख से 10 लाख

बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsment)

- बैंकों से संबंधित शिकायत बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है।
- 1995 में 15 बैंकिंग लोकपाल स्थापित किये गये।
- बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील RBI के डिप्टी गवर्नर से की जाती है। बैंकिंग लोकपाल रु. 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।
- रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना- (12 Nov. 2021) जिसके तहत RBI के द्वारा नियमित सभी संस्थाओं से संबंधित शिकायत एकीकृत लोकपाल से की जा सकती है।

NBFC - (Non-Banking Finance Companies)

(गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ)

- ऐसी कंपनियाँ जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है, परन्तु वह वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती है, NBFC कहलाती है।
- इनकी स्थापना - कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। जैसे -
Ex. - Insurance, Pension, Housing Sector, ऋण प्रदान करना आदि।
- इसका नियमन अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।
Ex.- Insurance - IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)
- Pension - PFRDA (Pension fund Regulatory and Development Authority)
- Housing - NHB
- Credit - RBI

- भारत में लगभग 10,000 NBFC है। कुछ NBFC जमाएँ स्वीकार कर सकते है।
- ये सिर्फ अवधि जमाएँ (Time Deposit) स्वीकार कर सकते है। मांग जमाएँ (Demand Deposit) स्वीकार नहीं कर सकते।
- किसी प्रकार का कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- CRR का पालन नहीं करना होता परन्तु SLR का पालन करना होता है।
- इन्हें बेसल मानकों का पालन करना होता है।
- यह Cheque Book जारी नहीं कर सकते है।
- इन जमाओं को DICGC सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

DICGC

(Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)

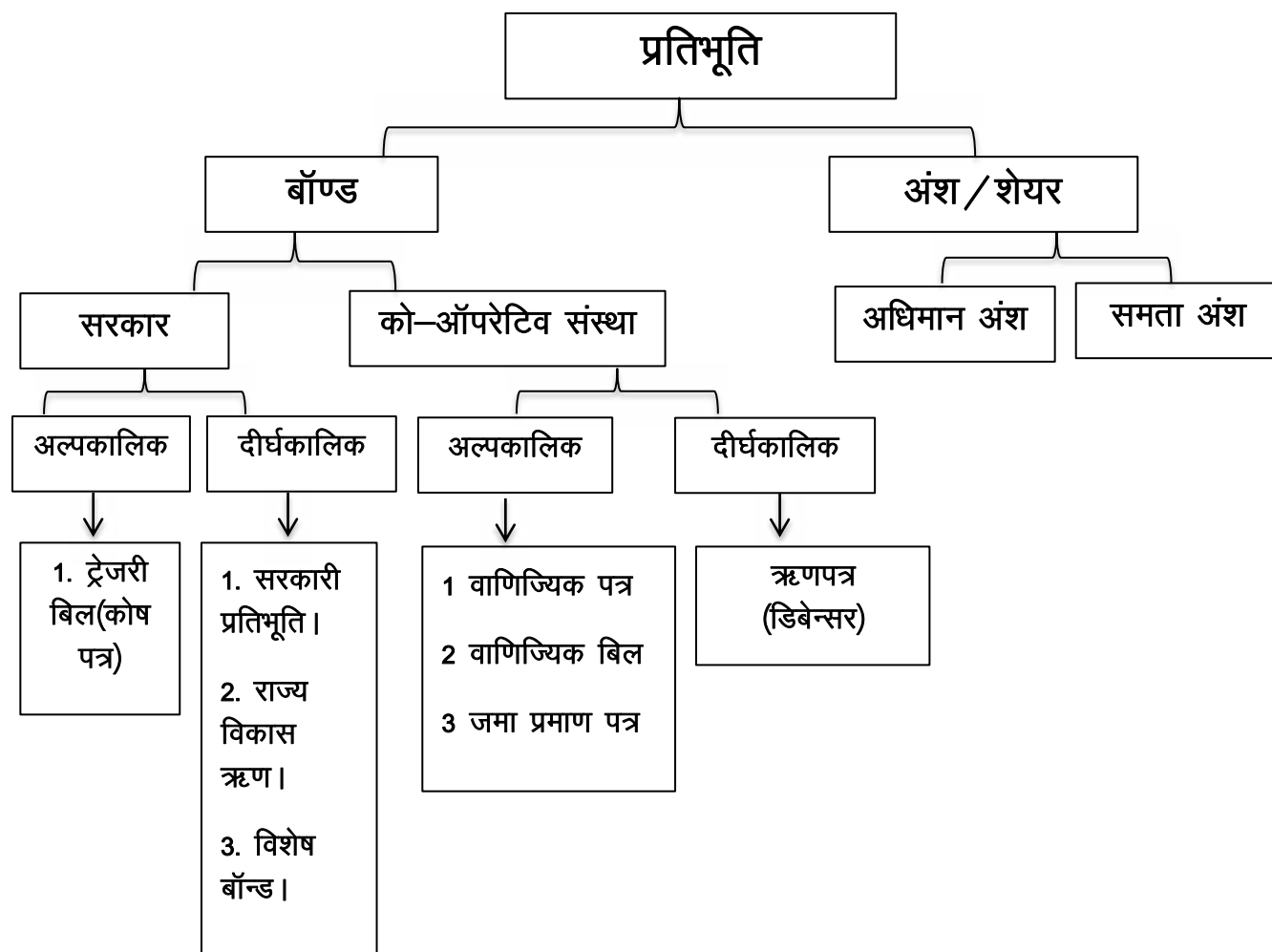
- स्थापना - 1978
- इसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास है।
- बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है।
- यह 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाता है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद्

- स्थापना - 2010
- अध्यक्ष - केन्द्रीय वित्त मंत्री।
- सदस्य -
 - RBI का गवर्नर
 - SEBI का अध्यक्ष
 - IRDAI का अध्यक्ष
 - PFRDA का अध्यक्ष
 - वित्त सचिव
 - कॉर्पोरेट मंत्रालय का सचिव
 - Insolvency and Bankruptcy Board of India का अध्यक्ष।

वित्त बाजार

- यह एक ऐसा बाजार जहाँ धन का लेन देन किया जाता है, कंपनियाँ यहां पूँजी की व्यवस्था करने के लिए आती हैं तथा निवेशक यहां निवेश करने के लिए आते हैं।
- पूँजी की व्यवस्था दो प्रकार से की जा सकती है—
 - (1) ऋण के माध्यम से (2) हिस्सेदारी बेचकर।
- निवेश दो प्रकार से किया जा सकता है—
 - (1) ऋण देकर— इसके बदले निवेशक को ब्याज मिलता है। यह अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला होता है।
 - (2) हिस्सेदारी खरीदकर — इसके बदले निवेशक को लाभ में हिस्सा मिलता है। यह अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाला होता है।
- ❖ **कंपनी :-** यह एक व्यवसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना व्यवसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए की जाती है।
- **लिमिटेड कंपनी:-** वह कंपनी जिसमें ऋणदाता के अधिकार सीमित हैं अर्थात् ऋण की वसूली कंपनी की सम्पत्ति से की जा सकती है परन्तु मालिक की सम्पत्ति से नहीं की जा सकती मुख्यतया: ये कंपनियाँ तीन प्रकार की होती हैं—
 - (1) One person company – इसमें केवल एक व्यक्ति मालिक हो सकता है।
 - (2) Private limited company – इसमें अधिकतम 200 व्यक्ति मालिक हो सकते हैं परन्तु कंपनी के शेयर, शेयर बाजार में नहीं बेचे जा सकते।
 - (3) Public limited company – इसमें न्यूनतम 7 व्यक्ति मालिक हो सकते हैं तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कंपनी के शेयर, शेयर बाजार में बेचे जा सकते हैं।
 - इस कंपनी की स्थापना 'कंपनी अधिनियम 2013' के तहत की जाती है।
- ❖ **प्रतिभूति (Security) :-**
 - वित्त बाजार में जब धन का लेन-देन किया जाता है कंपनी के द्वारा प्रतिभूति जारी की जाती है तथा निवेशक के द्वारा प्रतिभूति खरीदी जाती है। इसलिए वित्त बाजार को प्रतिभूति बाजार भी कहा जाता है।
 - प्रतिभूति दो प्रकार की होती है—(1) बॉण्ड (2) शेयर/अंश



❖ बॉण्ड (Bond) :-

- यह एक ऋण प्रतिभूति होती है अर्थात् धन ऋण के रूप में दिया गया है।
- इसे निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है जिसे परिपक्वता अवधि कहा जाता है।
 - बॉण्ड पर दिये जाने वाले ब्याज को कूपन दर कहा जाता है।
 - बॉण्ड सरकार या व्यवसाय के द्वारा जारी किये जा सकते हैं
 - यदि परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम है, तब उसे अल्पकालीन बॉण्ड कहा जाता है यदि परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, तब उसे दीर्घकालिक बॉण्ड कहा जाता है।
 - बॉण्ड की खरीद और बिक्री की जा सकती है।
 - यदि ऋण के बदले किसी परिसंपत्ति को गिरवी रखा गया है तब इसे सुरक्षित बॉण्ड कहा जाता है। यदि कुछ गिरवी नहीं रखा गया है तब इसे असुरक्षित बॉण्ड कहते हैं।

- बॉण्ड को परिपक्वता अवधि से पहले बेचा भी जा सकता है। इस पर कमाये गये लाभ को यील्ड (Yield) या प्रतिफल भी कहा जाता है।
- वे बॉण्ड जो सबसे कम विश्वसनीय हैं उन्हें जंक बॉण्ड कहा जाता है।
- बॉण्ड सरकार तथा निगमीय संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है।
- बॉण्ड की विश्वसनीयता क्रेडिट रेटिंग से पता चलती है।

जैसे :-

International Agencies

1. Fitch
2. Standard and Poor's (S&P)
3. Moody

India's Agencies

1. ICRA
2. CRISIL
3. CARE

❖ सरकारी बॉण्ड :-

➤ अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति

(1.) **ट्रेजरी बिल** — यह सरकार के द्वारा जारी की गयी अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति है यह तीन प्रकार की होती है —

प्रकार	परिपक्वता अवधि
(i) T-91	91 दिन
(ii) T-182	182 दिन
(iii) T-364	364 दिन

- यह सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है राज्य सरकार इसे जारी नहीं कर सकती।
- ट्रेजरी बिल डिस्काउन्ट पर जारी किये जाते हैं।

(2.) **Cash management Bill** :- जब सरकार के द्वारा ऋण 91 दिन से कम अवधि के लिए लिया जाता है।

➤ दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति :-

(1.) **G-Sec** :- यह दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है इसे Gilt edge Security भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक विश्वसनीय है। अधिकतम 40 वर्ष के लिए जारी किया जाता है।

(2.) **SDL (State Development loan):-** यह राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति होती है।

(3.) **विशेष बॉण्ड :-** वे बॉण्ड जो किसी विशेष उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।

(1.) **Sovereign Gold Bond –**

- इसे सरकार के द्वारा दीर्घकाल के लिए जारी किया जाता है
- इसकी कीमत गोल्ड की कीमत से जुड़ी हुई होती है।
- इस पर सरकार के द्वारा 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वर्ण आयात को कम करना है।
- इसे पहली वर्ष बार 2015 में जारी किया गया।
- इस पर टैक्स छूट दी जाती है।
- इसकी परिपक्वता अवधि—8 वर्ष होती है।

(2.) **Inflation Indexed Bond :- (मुद्रास्फीति सूचकांकन बॉण्ड)**

- इसे पहली बार वर्ष 2013 में जारी किया गया।
- इनका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों से निवेशकों को बचाना है।
- इसका मूलधन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ता रहता है।
- इस पर 1.5% ब्याज दिया जाता है।

(3.) **Municipal Bond :-**

- यह बॉण्ड शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किया जाता हैं।
- पहली बार वर्ष 1997 में बेंगलोर के द्वारा जारी किया गया।

(4.) **Green Bond –** हाल ही में ये बॉण्ड जारी किये गये इनसे प्राप्त धन का प्रयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक है। जैसे—नवीनीकरण ऊर्जा।

नोट :- सरकारी बॉण्ड की खरीद और बिक्री RBI के द्वारा की जाती है 2021 में RBI के द्वारा RBI Retail Direct प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसमें Retail Investor (व्यक्तिगत) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

❖ कॉरपोरेट बॉण्ड (Corporate Bond)

➤ अल्पकालिक बॉण्ड :-

(i) वाणिज्यिक पत्र (commercial paper)– जब किसी व्यवसायिक संस्था के द्वारा अल्पकाल के लिए ऋण लिया जाता है तब वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाता है।

(ii) वाणिज्यिक बिल (commercial Bill) – यह कंपनी के द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा के विरुद्ध जारी किया जाता है।

(iii) जमा प्रमाण-पत्र (certificate of Deposit) – यह बैंक के द्वारा जारी किया जाता है जब वे किसी व्यवसायिक संस्था से अल्पकालिक ऋण लेते हैं।

➤ दीर्घकालिक बॉण्ड :-

(i) डिबेन्चर :-

➤ यह व्यवसायो के द्वारा जारी की गयी दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है।

➤ यह दो प्रकार का होता है– (1.) परिवर्तनीय (2.) अपरिवर्तनीय।

(1.) परिवर्तनीय :-

➤ इसमें एक निश्चित समय के बाद ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है।

➤ भारत में धीरूभाई अम्बानी के द्वारा इसे प्रचलित किया गया।

(2.) अपरिवर्तनीय :- जब ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

➤ अन्य बॉण्ड:-

1. **Zero coupon Bond :-** वे बॉण्ड जो डिस्काउंट में जारी किये जाते हैं।

2. **मसाला बॉण्ड :-**

- ये बॉण्ड विदेशों में जारी किये जाते हैं ये डॉलर के बजाय रुपये में जारी किये जाते हैं।
- सर्वप्रथम वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी।

3. **हुण्डी:-**

- इसका प्रयोग स्वतंत्रता से पूर्व किया जाता था यह सर्राफ नामक व्यापारी के द्वारा जारी की जाती थी।
- इसका प्रयोग धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता था।

❖ शेयर/अंश (share) :-

- इसमें निवेशक कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है।
- निवेशक को लाभ में हिस्सा दिया जाता है, जिसे लाभांश कहा जाता है।
- ये दो प्रकार के होते हैं— (1) अधिमान अंश (2) इक्विटी/समता अंश।

(1) **अधिमान अंश** :— इन्हें लाभ के वितरण में वरीयता नहीं दी जाती परन्तु इनके पास वोटिंग के अधिकार नहीं होते हैं।

(2) **इक्विटी/समता अंश** :— इन्हें लाभ के वितरण में वरीयता नहीं दी जाती है परन्तु इनके पास वोटिंग के अधिकार होते हैं, यह कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं।

पूँजी बाजार

1. **प्राथमिक बाजार** :— इसमें नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं जिसके लिए IPO, FPO, Right issue आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम तो कोई नाम होता है और नाम कोई स्थान।
2. **द्वितीयक बाजार** :— इसमें ऐसी प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाता है जो कि पहले से ही प्राथमिक बाजार में जारी हो चुकी हैं। इसका नाम भी होता है और स्थान भी होता है। जैसे भारत में दो प्रचलित द्वितीयक बाजार—

- (i) BSE (Bombay stock exchange)
- (ii) NSE (National stock exchange)

- इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं परन्तु प्रचलित नहीं हैं।

जैसे— कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज

जयपुर स्टॉक एक्सचेंज

- **प्राथमिक बाजार से जुड़ी मुख्य अवधारणाएँ** :—

1. **IPO (Initial public offering)** :—

- जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर सामान्य निवेशक के लिए जारी करती है तब इस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है।
- IPO के लिए SEBI की अनुमति आवश्यक होती है।
- एक निश्चित तारीख के बीच आईपीओ के लिए आवेदन किया जाता है तथा लॉटरी के माध्यम से आईपीओ का आवंटन किया जाता है।

2. **FPO (Follow on public offering)** :— IPO जारी करने के कुछ समय बाद यदि कंपनी कुछ अतिरिक्त शेयर जारी करती है तब इस प्रक्रिया को FPO कहा जाता है।

3. **Right issue:** - जहा कंपनी शेयर बाजार में पुरानी हो जाती है तब वह कुछ अतिरिक्त शेयर जारी कर सकती है ये शेयर पहले से मौजूद शेयर धारकों को ही उपलब्ध होते हैं इस प्रक्रिया को Right issue कहते हैं।

4. **Buy Back :-** जब कम्पनी के द्वारा निवेशकों के शेयर बाजार से पुनः खरीद लेती है।

5. **Underwriting (अधिगोपन) :-**

- ✓ जब भी कंपनी IPO लेकर आती है तब एक वित्तीय संस्थान से IPO को Underwrite करवाया जाता है।
- ✓ वित्तीय संस्था कंपनी को यह गारंटी देती है कि उसके सभी शेयर बाजार में बिक जाएंगे यदि ऐसा नहीं होता है तब बचे हुए शेयर Underwriter के द्वारा खरीदे जाएंगे।
- ✓ वित्तीय संस्था को अधिगोपन कहा जाता है। यह निवेशकों को विश्वास दिलाता है कि कंपनी का व्यवसाय मॉडल अच्छा है इसलिए कंपनी में निवेश किया जाना चाहिए।

(6) **Book Building :-** जब कंपनी IPO लेकर आती है तब शेयर की न्यूनतम और अधिकतम कीमत निर्धारित की जाती है इसके लिए एक सर्वे करवाया जाता है शेयर का आवंटन एक लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, इस प्रक्रिया को Book Building कहा जाता है।

(7.) **शेयर केपिटल :-** वह पूंजी जो कि शेयर जारी करने से कम्पनी को प्राप्त होती है, शेयर केपिटल कहलाती है।

शेयर केपिटल के प्रकार :-

(i) Authorized capital :- वह पूंजी जितने के शेयर जारी करने की अनुमति दी गई।

(ii) Issued capital :- वह पूंजी जितने के शेयर जारी किये गये हैं।

(iii) Subscribed capital :- वह पूंजी जितने के आवेदन कम्पनी को प्राप्त हुए हैं। ये तीन प्रकार का होता है -

- ✓ Under Subscribed - less than Issued Capital.
- ✓ Fully Subscribed - Equal to Issued Capital.
- ✓ Over Subscribed - Above from Issued Capital.

(iv) Paid up capital :- वह पूंजी, जिसका भुगतान अंतिम रूप से कंपनी को किया गया है।

द्वितीयक बाजार :-

(1.) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज:-

- स्थापना 1875 ई.।
- यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
- यह बाजार पूंजी और टर्नओवर के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।

$$\text{बाजार पूंजी} = \text{No. of shares} \times \text{Price of one share}$$

- यह Retail Investor के बीच अधिक प्रचलित है इसलिए इसमें लेन-देन की संख्या अधिक है।
- इसका मुख्य सूचकांक 'सेंसक्स' है, जो कि BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी कम्पनियों की शेयर कीमतों के औसत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी।

BSE के अन्य सूचकांक –

- ✓ BSE 100 – इसमें 100 कम्पनियाँ शामिल हैं।
- ✓ BSE 200 – इसमें 200 कम्पनियाँ शामिल हैं।
- ✓ Bankex – इसमें 12 बड़े बैंक शामिल हैं।

(2.) NSE (National Stock Exchange) :-

- स्थापना – 1992 ई.
- मुख्यालय– मुम्बई।
- यह बाजार पूंजी और टर्न ओवर के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।
- यह संस्थागत निवेशकों के बीच अधिक प्रचलित है
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत इसके द्वारा की गई।
- इसका प्रमुख सूचकांक S & P 500 है।
- यह S & P में सूचीबद्ध 50 बड़ी कंपनियों के शेयर कीमतों की औसत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

NSE के अन्य सूचकांक –

1. Junior NIFTY (NIFTY NEXT FIFTY) – 51–100 बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं।
2. Bank NIFTY – इसमें 12 बड़े बैंक शामिल हैं।
3. NIFTY 500 – इसमें 500 कंपनियाँ शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –

- ✓ दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ का मुख्य सूचकांक Dow Jones है।
- ✓ न्यूयॉर्क में स्थित एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ है इसमें IT कंपनियाँ मुख्य रूप से सूचीबद्ध हैं और भारत की INFOSYS (Narayan Murti) पहली कंपनी थी जो कि NASDAQ में सूचीबद्ध है।
- ✓ दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में खोला गया इसका नाम Amsterdam stock Exchange था।

द्वितीयक बाजार से जुड़ी मुख्य अवधारणाएँ :-

1. **निवेशक :-** निवेशक दो प्रकार के होते हैं— (1) वास्तविक निवेशक (2) सट्टेबाज।
 - (1) वास्तविक निवेशक —यह दीर्घकाल के निवेशक है तथा लाभांश से धन कमाते हैं।
 - (2) सट्टेबाज —यह अल्पकाल के निवेशक होते हैं। तथा शेयर कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव से धन कमाना चाहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं —
 - (1) तेजड़िये — ये शेयर बाजार को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं।
 - (2) मंदड़िये — ये शेयर बाजार को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं।

Note - स्टैग (stag) :- ये प्राथमिक बाजार के निवेशक होते हैं IPO में निवेश करते हैं।

2. **ट्रेडिंग (Trading):-** शेयर बाजार में शेयर की खरीद और बिक्री ट्रेडिंग कहलाती है।
ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है—

(1) **स्पॉट ट्रेडिंग (Spot trading):** जिस समय सौदा किया जाता उसी समय में इसे पूरा भी किया जाता है इस पर T+1 का नियम कार्य करता है।

(2) **Future Trading :-** ये भविष्य के सौदे होते हैं जिन्हें एक निश्चित तारीख पर पूरा किया जाता है इसके लिए खरीददार को टोकन राशि जमा करनी होती है।

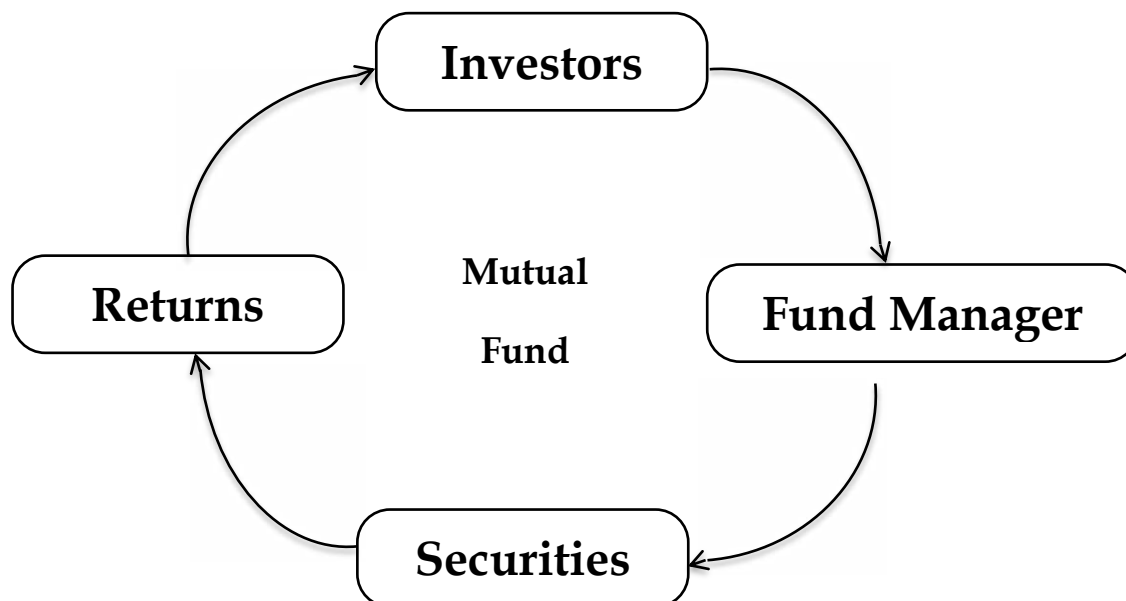
Future option — खरीददार को यह विकल्प दिया जाता है कि वह सौदे को रद्द भी कर सकता है परन्तु टोकन राशि नहीं लौटाई जाती।

3. **Short selling :-** Short Seller के पास शुरुआत में कोई शेयर नहीं होते हैं वह Broker से शेयर उधार ले लेता है तथा उन्हें शेयर बाजार में बेचता है जिसके कारण शेयर की आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमतें गिरने लगती हैं कम कीमतों पर पुनः शेयर खरीद लिये जाते हैं तथा Broker को लौटा दिये जाते हैं। जैसे हाल ही में हिंडनबर्ग नामक संस्था के द्वारा अडानी समूह के शेयर की शॉर्ट सेलिंग की गई।

4. **आर्बिट्रेज (Arbitrage):-** एक ही कंपनी के शेयर अलग-अलग शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जा सकते हैं जिस बाजार में कीमतें कम होती हैं वहाँ से शेयर खरीदे जाते हैं

तथा जिस बाजार में कीमतें अधिक होती है उस में बेच दिये जाते है इस प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते है।

5- Mutual Funds :-



- Mutual Fund छोटे निवेशकों तथा शेयर बाजार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते है।
 - इन्हें fund manager के द्वारा संचालित किया जाता है जो कि बाजारों के विशेषज्ञ होते है ये अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतियों में निवेश करते है तथा लाभ कमाकर निवेशक को देते है इसके बदले में निवेशक से फीस वसूलते है।
 - निवेशक को यूनिट आवंटित की जाती है।
 - भारत का पहला Mutual Fund – UTI (Unit Trust Of India) 1964 में स्थापित।
6. **Venture capital fund :-** इसमें संस्थागत निवेशकों के द्वारा निवेश किया जाता है ये जोखिम भरे क्षेत्रों में निवेश करते हैं।
जैसे— स्टार्टअप्स – इन्हे फण्ड मैनेजर के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि बाजार के विशेषज्ञ होते है ये लाभ की रणनीति सुनिश्चित करने के बाद ही निवेश करते है।
7. **Hedge Fund :-**
- ये व्यक्तिगत निवेशक होते है जो कि जोखिम भरे क्षेत्रों में निवेश करते है इन्हे short selling, Arbitrage आदि की अनुमति होती है।
 - यह निवेश के लिए Hedge Fund का प्रयोग करते है।
 - इन्हें फंड मैनेजर के द्वारा संचालित किया जाता है जो कि बाजार के विशेषज्ञ होते है।
8. **Angel Investor :-**
- यह निवेशक व्यक्ति की प्रतिभा व उसके विचार पर विश्वास करके निवेश करते है।

- यह शैक्षणिक व वित्तीय पृष्ठभूमि को अधिक महत्व नहीं देते हैं। जैसे एप्पल कम्प्यूटर में माईक मार्कुला का निवेश।

9. Participatory Notes (P- Notes):—

- ये विदेशी संस्थागत निवेशक के द्वारा भारतीय शेयर बाजार में खरीदे गये शेयर के विरुद्ध जारी किया जाता है
- विदेशी निवेशक इसे खरीद सकते हैं उन्हें भारत में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है
- इनका मूल्य शेयर की कीमतों से जुड़ा हुआ होता है कुछ समय पहले यह अत्यधिक चर्चा में थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि P-Notes के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में काला धन या आपराधिक धन निवेश किया जा रहा है।
- वर्तमान में SEBI ने अपने नियमों को कठोर कर दिया है।

10. विभौतिकीकरण (Dematerialization):—

- पहले प्रतिभूतियाँ भौतिक रूप से जारी की जाती थी परन्तु वर्तमान में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाती है इस प्रक्रिया को विभौतिकीकरण कहा जाता है।
- शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का संग्रहण करने के लिए Demat खाता खुलवाया जाता है यह खाता डिपॉजिटरी संस्था के द्वारा प्रबंध किया जाता है।
- शेयर बाजार में निवेश करने के लिए दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं—

(1) Trading Account

(2) Demat Account

(1) Trading Account - यह खाता ब्रोकर के पास खोला जाता है। इसके माध्यम से शेयर की खरीद और बिक्री की जाती है।

(2) Demat Account - इस खाते का प्रयोग प्रतिभूतियों के संग्रहण के लिए किया जाता है। इसका प्रबंध डिपॉजिटरी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।

- भारत में दो मुख्य डिपॉजिटरी संस्थाएं हैं—

(1) NSDL (National Securities Depository Ltd) —

स्थापना — 1996

संस्थापक — NSE

(2) CDSL (Central Depository Service Ltd)—

स्थापना — 1998

संस्थापक — BSE

11. Deposit Receipt :-

1. **ADR (American Depository Receipt) :-** यदि कोई अमेरिकी नागरिक/निवेशक, किसी विदेशी कंपनी के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार से खरीदना चाहता है तब उस कंपनी के ADR खरीदे जा सकते हैं। ADR की कीमत शेयर की कीमतों से जुड़ी हुई होती है।
2. **GDR (Global Depository Receipt) :-** यदि कोई यूरोपीय नागरिक/निवेशक, किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तब उस कंपनी के GDR खरीद सकता है।
3. **IDR (Indian Depository Receipt) :-** यदि कोई भारतीय नागरिक/निवेशक, किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तब उस कंपनी के IDR खरीद सकता है। भारतीय शेयर बाजार में IDR की खरीद व बिक्री की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

(SEBI - Securities and Exchange Board of India)

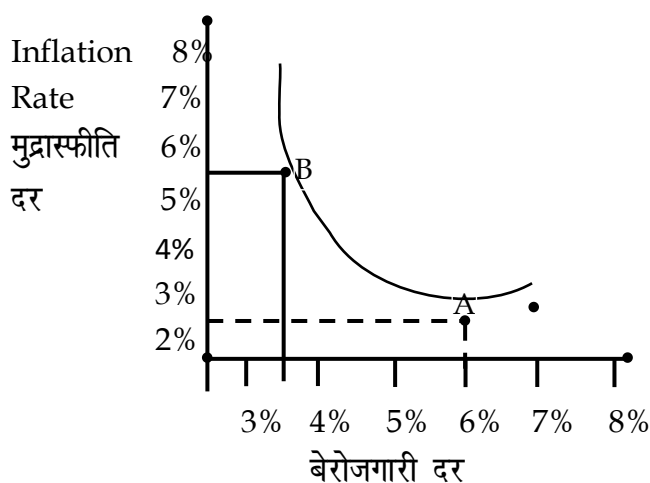
- ✓ स्थापना — 1988 ई. को।
- ✓ Headquater - Mumbai
- ✓ 1992 में SEBI अधिनियम पारित किया गया था।
- ✓ इसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है
- ✓ अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- ✓ अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष है।
- ✓ वर्तमान अध्यक्ष — सुश्री माधवी पुरी बुच। (पहली महिला अध्यक्ष)

SEBI के कार्य :-

- यह पूंजी बाजार की नियामक संस्था है भारत में पूंजी बाजार को विकसित करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है।
- पूंजी बाजार में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं का पंजीकरण SEBI के द्वारा किया जाता है। जैसे — Broker, Stock Exchange, Mutual Fund, Depository Institution, Credit Rating Agency.
- छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना।
- Insider trading को रोकना।
(यदि कंपनी के अन्दर का ही कोई व्यक्ति शेयर की खरीद और बिक्री करता है, तो इसे Insider trading कहा जाता है।)

मुद्रास्फीति (Inflation)

- **परिभाषा** :- वह परिस्थिति, जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तथा मुद्रा का मूल्य कम होता है इससे मुद्रा की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। कुछ हद तक मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
- **फिलिप्स वक्र** :- यह वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध दर्शाता है अर्थात् मुद्रास्फीति के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है तथा मुद्रास्फीति के कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है। यह संबंध एक निश्चित समय तक देखा जाता है।



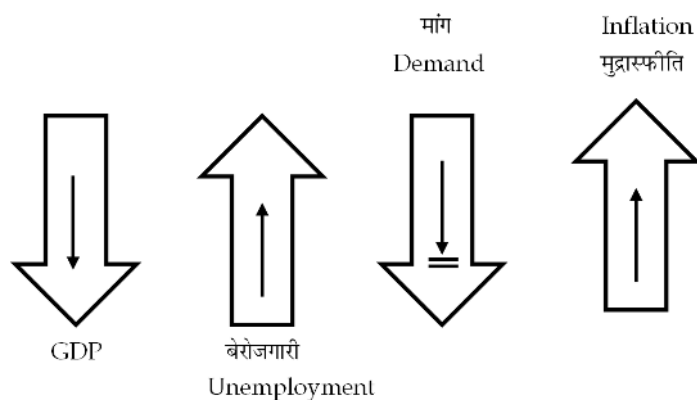
- मुद्रास्फीति की गणना प्रत्येक माह की जाती है परन्तु कीमतों की तुलना उसी माह पिछले साल की कीमतों से की जाती है। जैसे—

	2022	2023	Inflation
Jan	100	110	10%
Feb	100	108	8%
Mar	100	90	-10%

मुद्रास्फीति के प्रकार:-

- (1) **लक्षित मुद्रास्फीति** – प्रत्येक देश के द्वारा अपने विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसे लक्षित मुद्रास्फीति कहा जाता है। विकसित देशों के लिए यह (1%–2%) है क्योंकि विकसित देश मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं और विकासशील देशों के लिए 4% $\pm$ 2% है। क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों को सर्जित करना है। इस मुद्रास्फीति को **ग्रोथ फ्लेशन** भी कहा जाता है।

- (2) **रेंगती मुद्रास्फीति** :- जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है यह मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए सकारात्मक है परन्तु विकासशील देशों के लिए अच्छी नहीं है।
- (3.) **चलती मुद्रास्फीति** :- जब मुद्रास्फीति की दर 3%- 6% के बीच होती है यह मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए नकारात्मक है परन्तु विकासशील देशों के लिए सकारात्मक है।
- (4) **दौड़ती मुद्रास्फीति**:- जब मुद्रास्फीति की दर 6%-10% के बीच होती है यह मुद्रास्फीति विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए चिंताजनक है।
- (5) **गेलोपिंग/सरपट मुद्रास्फीति** :- जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक होती है यह मुद्रास्फीति अत्यधिक चिंताजनक है इसे नियंत्रित करने के लिए अप्रत्याशित उपाय अपनाए जाते हैं।
- (6) **हाइपर/अति मुद्रास्फीति** :- जब मुद्रास्फीति की दर 50% से भी अधिक हो जाती है यह मुद्रास्फीति का सबसे खतरनाक स्वरूप है इसमें मुद्रा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है। इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता नगण्य हो जाती है। इससे देश में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
- (7.) **विस्फीति/डिसइन्फ्लेशन** :- जब मुद्रास्फीति की दर कम होने लगती है यद्यपि कीमतें अभी भी अधिक होती हैं। अर्थात् मुद्रास्फीति पिछले माह के मुकाबले तो कम हो जाती है परन्तु पिछले वर्ष के मुकाबले कीमतें अभी भी ज्यादा हैं।
- (8) **अवस्फीति/डिफ्लेशन** :- जब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है अर्थात् वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं इससे उत्पादकों को नुकसान होता है जिससे उत्पादन कम हो जाता है निवेश कम हो जाता है तथा बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तथा अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है यदि यह स्थिति कुछ समय के लिए बनी रहे तब अर्थव्यवस्था महामंदी में चली जाती है। जैसे – ग्रेट डिप्रेशन-1929
- (9) **स्टेगफ्लेशन** :- यह एक विशेष परिस्थिति है जिसमें GDP वृद्धि दर कम हो जाती है बेरोजगारी बढ़ती है परन्तु फिर भी मुद्रास्फीति अधिक होती है।



यह केन्द्रीय बैंक के लिए दुविधा की स्थिति है क्योंकि यदि ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तब GDP में ओर अधिक कमी होगी और यदि ब्याज दरों को कम किया जाता है तब मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

(10) लागत जनित मुद्रास्फीति :- यह मुद्रास्फीति लागत बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है लागत निम्नलिखित कारणों से बढ़ सकती है—

1. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि।
2. कच्चे माल की उपलब्धता में कमी। — प्राकृतिक आपदा
3. परिवहन की लागत में वृद्धि।
जैसे— अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि।
4. किराये में वृद्धि।
5. मजदूरी की दरों में वृद्धि।
6. ब्याज दरों में वृद्धि।
7. उद्यमी के लाभ में वृद्धि।
8. अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि।
9. सब्सिडी में कमी।

(11) माँग जनित मुद्रास्फीति:- यह मुद्रास्फीति माँग में वृद्धि के कारण होती है। माँग में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है—

1. बाजार में तरलता में वृद्धि — ब्याज दरों में कमी, नई मुद्रा का सृजन
2. जनसंख्या में वृद्धि।
3. आय के स्तर में वृद्धि।
4. सरकारी खर्च में वृद्धि।
5. सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष करों में कमी
6. बाजार में काला धन
7. विदेशी निवेश में वृद्धि।

(12) कोर मुद्रास्फीति:- यह मुद्रास्फीति का वह भाग है जो कि RBI के नियंत्रण में होता है।

कोर मुद्रास्फीति = मुद्रास्फीति — अन्य कारक

अन्य कारक —

1. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते।
2. प्राकृतिक घटनाएं।
3. परिवहन में बाधा।

प्रचलित रूप से —

कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति— खाद्य पदार्थ एवं ईंधन।

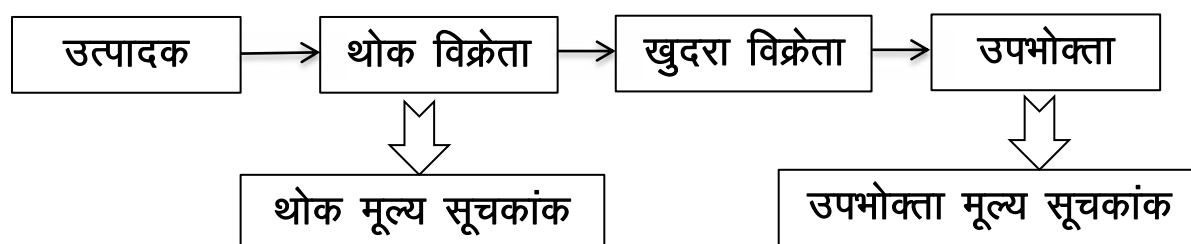
(13) **तिरछी मुद्रास्फीति:**— जब कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती है तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है तो ऐसी मुद्रास्फीति को तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे— प्रोटीन मुद्रास्फीति (प्रोटीन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि)।

(14) **संकुचित मुद्रास्फीति:**— जब वस्तु व सेवाओं कीमतें स्थिर रहती है परन्तु उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में कमी कर दी जाती है।

(15) **Bottleneck Inflation** :— जब आपूर्ति में बाधाओं के कारण कीमतें बढ़ती है।

(16) **Imported Inflation**: — जब आयात किये जाने वाले कीमतों में वृद्धि की जाती है।

मुद्रास्फीति की गणना :—



मुद्रास्फीति की गणना दो दृष्टिकोणों से की जा सकती है—

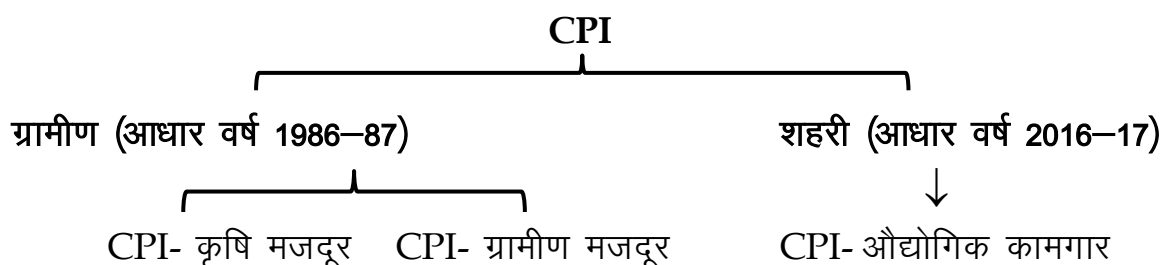
(i) थोक मूल्य सूचकांक (wholesale price Index- WPI) —

(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price Index - CPI)

WPI	CPI
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित - आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी - WPI के चार प्रकार होते हैं— (i) WPI प्राथमिक वस्तुएं = 117 (ii) WPI ईंधन और ऊर्जा = 16 (iii) WPI विनिर्मित वस्तुएं = 564 (iv) WPI मुख्य = 697 - पूरे भारत के लिए ही WPI की गणना	- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी। - CPI के तीन प्रकार होते हैं— (i) CPI ग्रामीण (ii) CPI शहरी (iii) CPI (ग्रामीण + शहरी) - CPI देश के साथ राज्यों और U.T. के

की जाती है क्षेत्रीय WPI की गणना नहीं की जाती है। - केवल वस्तुएं शामिल हैं। - खाद्य पदार्थों का भारांश बहुत कम है (लगभग = 20%) - आधार वर्ष = 2011-12 - प्रत्येक माह के 14वें दिन जारी किया जाता है। 2014 तक यह मुख्य सूचकांक था।	लिए भी जारी किया जाता है अर्थात् क्षेत्रीय CPI जारी किया जाता है। - वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल हैं। - खाद्य पदार्थों का भारांश अधिक है (लगभग = 45%) - आधार वर्ष = 2012 - प्रत्येक माह के 12 वें दिन जारी किया जाता है। 2014 से यह मुख्य सूचकांक है। (उर्जित पटेल समिति)
---	---

- राज्य सरकार के द्वारा अलग से WPI जारी किया जाता है।
- राजस्थान में इसका आधार वर्ष 1999-2000 है।
- आधार वर्ष वह वर्ष है जब सूचकांक के मूल्य को 100 मान लिया जाता है।
- एक अन्य CPI मजदूरों की दृष्टिकोण से श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाता है।



उत्पादक मूल्य सूचकांक :- इसका प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है इसमें उत्पादक के दृष्टिकोण से कीमतों में वृद्धि की गणना की जाती है इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है।

आधार प्रभाव :- मुद्रास्फीति की गणना पर पिछले वर्ष की कीमतों का प्रभाव देखा जाता है, जिसे आधार प्रभाव कहा जाता है। यदि पिछले वर्ष कीमतें अधिक थी तो वर्तमान वर्ष में कम मुद्रास्फीति दिखाई देगी तथा यदि पिछले वर्ष कीमतें कम थी तो वर्तमान वर्ष में अधिक मुद्रास्फीति दिखाई देगी।

मुद्रास्फीति के प्रभाव :-

1. सकारात्मक प्रभाव :-

- आर्थिक संवृद्धि।
- अर्थव्यवस्था में निवेश का बढ़ना।
- रोजगार के अवसरों का बढ़ना।
- सरकार की कर आय में वृद्धि।

2. नकारात्मक प्रभाव :-

- इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है।
 - इससे बचतकर्ताओं को नुकसान होता है।
 - ऋण देने वाले को नुकसान होता है और ऋण लेने वाले को लाभ होता है
- प्रभावी ब्याज दर = ब्याज दर – मुद्रास्फीति**
- इसमें कालाबाजारी बढ़ती है।
 - इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब परिवार पर पड़ता है।
 - सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है।
 - लोग बैंकों से अपना पैसा निकालने लगते हैं तथा ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं जहां लाभ मुद्रास्फीति से अधिक हो, परन्तु इससे व्यक्ति की जोखिम बढ़ जाती है।
 - बैंकों के पास में जमाएं कम हो जाती हैं जिससे उनकी ऋण क्षमता प्रभावित होती है।
 - उच्च मुद्रास्फीति के कारण कालाबाजारी की प्रवृत्तियों बढ़ जाती हैं।
 - मुद्रास्फीति का सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब परिवारों पर होता है क्योंकि उनके जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है।
 - मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है।
 - जो व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता है, उसे महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है जिसके कारण उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है।
 - औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाता है जिससे उनकी मौद्रिक आय बढ़ जाती है तथा उनकी कर देयता भी बढ़ जाती है।
 - उच्च मुद्रास्फीति के कारण आयात बढ़ने लगते हैं तथा निर्यात घटने लगते हैं जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है।
 - अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावित होता है।

मुद्रास्फीति को नियन्त्रण करने के उपाय:-

1. मौद्रिक उपाय :-

- यह उपाय आरबीआई द्वारा अपनाए जाते हैं।
- इसके माध्यम से तरलता को कम किया जाता है।
- तरलता को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तथा नए मुद्रा नोटों का सृजन नहीं किया जाता।

2. राजकोषीय उपाय :-

यह उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

1. आपूर्ति को बढ़ाना —जिस वस्तु और सेवा की बाजार में कमी है, सरकार उसकी आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं-

- आयात को बढ़ाना।
- निर्यात को नियंत्रित करना।
- घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।
- भण्डारण की क्षमताओं को विकसित किया जाता है।
- परिवहन के साधनों को विकसित किया जाता है।
- कालाबाजारी के विरुद्ध कार्यवाही।

2. मांग को कम करना :-

मांग को कम करने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं-

- ✓ सरकारी खर्च में कमी।
- ✓ प्रत्यक्ष कर में वृद्धि।
- ✓ कालेधन के विरुद्ध कार्यवाही।

3. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप :-

इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं-

1. अप्रत्यक्ष करों में कमी।
2. सब्सिडी में वृद्धि।
3. महंगाई राहत कैंप
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं लाभार्थियों में बांटी जाती हैं।
5. सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।
6. न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाया जा सकता है।

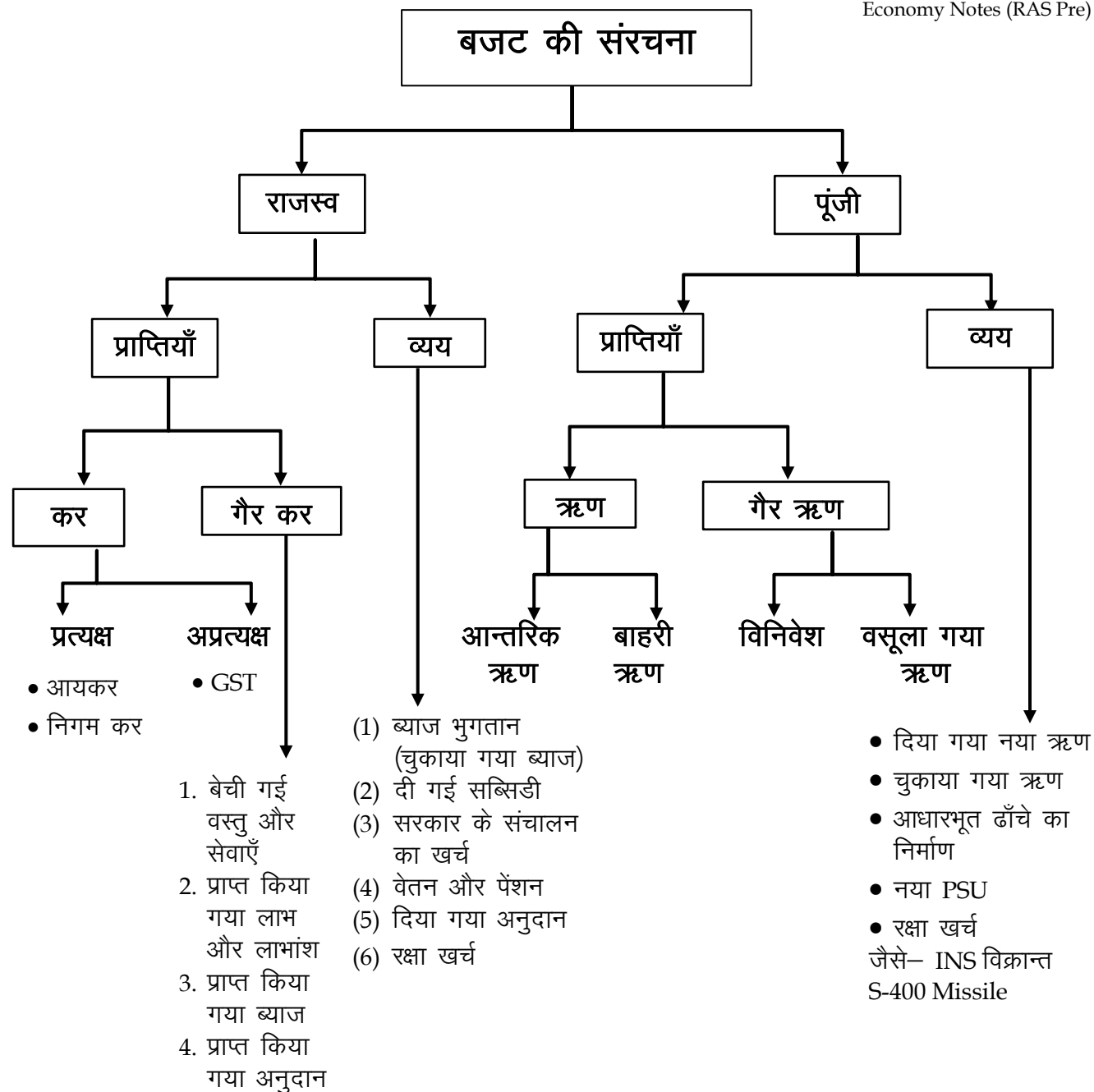
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

- सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है।
- इसे बजट के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है यह एक प्रचलित शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ 'चमड़े का बेग' होता है।
- संविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनु. 112) शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि प्रत्येक वर्ष संसद (लोकसभा) में प्रस्तुत किया जाता है।
- **बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :-**
 - भारत का पहला बजट 1860 ई. में जेम्स विलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
 - स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवम्बर 1947 में R.K. षण्मुखम् शेटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
 - बजट फरवरी के पहले कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है।
 - 2017 से पहले ये फरवरी के अन्तिम कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता था।
 - 2017 के बजट में दो अन्य परिवर्तन भी किये गये—
 - (i) रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया यह विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर किया गया। (वर्तमान में में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष)
 - (ii) योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया गया।
 - योजनागत व्यय वह व्यय है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा शेष व्यय को गैर-योजनागत व्यय कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।
 - बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है—केंद्र सरकार के लिए। (1999 से पहले में शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था।)
 - जब बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तब वित्तमंत्री के द्वारा बजट का एक भाषण दिया जाता है इस भाषण के दो भाग होते हैं।

Part A – अर्थव्यवस्था से जुड़ी सामान्य घोषणाएँ

Part B – कर संबंधी परिवर्तन।

- संसद में वित्तमंत्री के द्वारा तीन दस्तावेज रखे जाते हैं।
 - (i) वार्षिक वित्तीय विवरण – इसमें प्राप्तियाँ और व्यय की जानकारी होती है।
 - (ii) वित्त विधेयक – यह कर संबंधी परिवर्तनों के लिए लाया जाता है।
 - (iii) विनियोग विधेयक – संचित निधि में से खर्च की अनुमति के लिए।
- बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। यह आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार की जाती है।
- वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनन्त नागेश्वरन् है। बजट से संबंधित सभी दस्तावेज आर्थिक मामलात् के विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं।



- बजट को दो भागों में बांटा जा सकता है— (1) राजस्व बजट (2) पूँजी बजट।
- **पूँजी बजट** — इसमें वे लेने-देन रखे जाते हैं जिससे कि परिसंपत्तियाँ व देयताएँ प्रभावित होती हैं। इस प्रकार के लेन-देन कभी-कभी किए जाते हैं।
 - **पूँजीगत व्यय**— वह व्यय जिससे या तो परिसम्पत्तियाँ बढ़ती हैं या देयताएँ कम होती हैं।
 - **पूँजीगत प्राप्तियाँ** — वह प्राप्तियाँ जिससे या तो परिसम्पत्तियाँ कम होती हैं या देयताएँ बढ़ती हैं।
- **राजस्व बजट** :— ये लेन-देन परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रभावित नहीं करते हैं।

- **राजस्व व्यय**—वह व्यय जिससे ना तो परिसम्पतियाँ बढ़ती है ना ही देयताएँ कम होती है यह सरकार के उपभोग का व्यय होता है।
- **राजस्व प्राप्तियाँ** — वो प्राप्तियाँ जिससे ना तो परिसम्पतियाँ कम होती है और ना ही देयताएँ बढ़ती है। यह सरकार की आय है।

नोट :-पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है जबकि राजस्व व्यय को अच्छा नहीं माना जाता।

➤ **बजट प्राप्तियों व व्यय के आधार पर 3 प्रकार का होता है—**

1. **संतुलित बजट** :—जब सरकार का व्यय व प्राप्तियाँ बराबर होती है।
2. **आधिक्य बजट** :—जब प्राप्तियाँ व्यय से अधिक होती है।
3. **घाटे का बजट** :—जब प्राप्तियाँ व्यय से कम होती है।

नोट :- भारत सरकार के द्वारा घाटे का बजट पेश किया जाता है।

➤ **बजट के घाटे:-**

(1) राजस्व घाटा—

- राजस्व के व्यय और प्राप्तियों का अन्तर।
- राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

(2) प्रभावी राजस्व घाटा—

- प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा—परिसम्पति निर्माण के लिए दिये गये अनुदान।

(3) राजकोषीय घाटा/राजवित्तीय घाटा:-

- एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएँ अर्थात् एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण।
- गणितीय रूप में राजकोषीय घाटा —
- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ।

या

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – [राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + विनिवेश से प्राप्तियाँ]

- यह बजट का सबसे महत्वपूर्ण घाटा है इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है।
- इसकी सिफारिश सुखमोय चक्रवर्ती समिति के द्वारा की गई थी।
- इससे पहले बजट घाटे का प्रयोग किया जाता था।

बजट घाटा = कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ।

- बजट घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा RBI को ट्रेजरी बिल जारी किये जाते थे तथा RBI के द्वारा नये मुद्रा नोटों का सृजन कर लिया जाता था इस प्रक्रिया को 'घाटे का मौद्रीकरण' कहा जाता है। वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि इससे बाजार में तरलता बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है।
- वर्तमान में बजट घाटा शून्य होता है।

(4) प्राथमिक घाटा :-

- प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
- यह इस बात का संकेतक है कि राजकोषीय घाटे का कितना भाग पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में प्रयोग लिया जा रहा है।
- कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा होना चाहिए परन्तु इसका प्रयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जाना चाहिए।
- राजकोषीय घाटे की अधिकता अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है।

➤ हीनार्थ प्रबंधन/घाटे का वित्तीयन :-

- सरकार के द्वारा जानबूझकर घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है जिससे की पूंजीगत खर्चों को बढ़ाया जा सके। आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा सके। तथा रोजगार के अवसरों को सृजित किया जा सके। जिससे कि आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।
- घाटे के बजट की अवधारणा अर्थशास्त्री जे.एम.कीन्स के द्वारा दी गई।
- कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, परन्तु इसकी अधिकता अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।

➤ राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) :-

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजस्व के अधिकतमीकरण, व्यय के युक्तीकरण, तथा ऋण के प्रभावी प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। इसी अवधारणा को राजकोषीय समेकन कहा जाता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2003**(FRBM Act. Fiscal Responsibility & Budget Management Act. - 2003)**

- राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2003 में इस अधिनियम को पारित किया गया था।
- इस कानून में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं—
- राजकोषीय घाटा – 3% of GDP
- राजस्व घाटा – 0% of GDP
- यह लक्ष्य 2008–09 तक प्राप्त करना था।
- 2006 के बाद घाटे का मौद्रीकरण नहीं किया जायेगा।
- इस कानून के तहत संसद में तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं—
 - (i) मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण
 - (ii) राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण

(iii) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

- इस कानून के लक्ष्य को समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका इसलिए इसमें बार-बार परिवर्तन किये गये।
- 2012 में राजस्व घाटे के स्थान पर प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया।
- वर्ष 2016 में एफआरबीएम समीक्षा समिति का गठन किया गया।

FRBM समीक्षा समिति :-

- गठन – 2016 में।
- अध्यक्ष– N. K. Singh (15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे।)
- इनकी सिफारिशों को 2018 में एक संशोधन के माध्यम से FRBM Act. में शामिल किया गया।
- सिफारिशें –
 1. राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5 % के विचलन को स्वीकार किया जा सकता है। इसे Escape Clause कहा गया है। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है।
 1. युद्ध
 2. कृषि को भारी नुकसान
 3. राष्ट्रीय आपदा
 4. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार।
 2. ऋण व जीडीपी का अनुपात 60% होना चाहिए अर्थात् देश पर कुल ऋण जीडीपी के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार का ऋण 40% तथा राज्य सरकार का ऋण 20% होना चाहिए।
- राजकोषीय घाटा– वर्ष 2023–24 में 5.8% है।

वर्ष 2024–25 में 5.1% रहने का अनुमान है।

वर्ष 2025–26 में 4.5% तक रखने का लक्ष्य है।

नोट :- राजस्थान में FRBM अधिनियम, 2005 में पारित किया गया।

बजट सुधार

- (1) जीरो बेस बजट (Zero base Budget):- पारम्परिक बजट में सिर्फ नये खर्चों की ही समीक्षा की जाती है पुराने खर्चों की समीक्षा नहीं की जाती है परन्तु जीरो बेस बजट में नये

और पुराने सभी खर्चों की समीक्षा की जाती है। अनावश्यक खर्चों को दूर कर दिया जाता है इसे राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने में मदद मिलती है।

- पहली बार 1986 में विज्ञान, और तकनीक विभाग द्वारा इसे अपनाया गया।
- इसकी मुख्य चुनौती है कि इसमें समय अधिक लगता है इसीलिए इसे आंशिक रूप से ही अपनाया गया।

(2) आउटकम बजट (Outcome Budget) :-

- इसे 2005 में अपनाया।
- इसमें प्रत्येक खर्च के समक्ष एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है।
- खर्च की समीक्षा उस लक्ष्य के आधार पर की जाती है।
- इससे खर्च की दक्षता बढ़ती है।

(3) Gender Budget:- (लैंगिक बजट)

- शुरुआत – 2005 में की गई।
- इसके तहत महिलाओं के लिए किये गये व्यय को अलग से दर्शाया जाता है।
- इसके दो भाग होते हैं—

Part A – इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जहाँ 100% आवंटन महिलाओं के लिए किया गया है।

Part B – इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जहाँ 30% से अधिक आवंटन महिलाओं के लिए है।

(4) Sunset Budget (सनसेट बजट)-

- ✧ इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जिनकी अंतिम तिथि पूर्व निर्धारित होती है।

नोट :-

✧ अंतरिम बजट—

- यह बजट चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है।
- इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है।
- इसे चुनाव से पहले या बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इसमें सामान्यतः बड़ी घोषणाएँ नहीं की जाती।

➤ कर (TAX) :-

- यह सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या सेवा नहीं देती है यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है।

- ये सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है।
- कर दो प्रकार के होते हैं।

प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
▪ ये सामान्यतः व्यक्ति या संस्था या लाभ पर लगाया जाता है। ▪ इसमें कर भार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ▪ इसमें करापात और कराघात एक ही बिन्दू पर होते हैं अर्थात् जिस पर कर लगाया जाता है, उस पर इसका असर होता है। Ex. – Income Tax, निगम कर	▪ ये सामान्यतः वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। ▪ इसमें कर भार को हस्तांतरित किया जा सकता है। ▪ इसमें करापात और कराघात, अलग-2 बिन्दुओं पर होते हैं। Ex. – GST

☑ कर के ऊपर कर :-

- सरकार कर के ऊपर भी कर लगा सकती है ये दो प्रकार का होता है—

(1) उपकर (Cess) –

- यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है इस से प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
- जैसे – Health cess, Education cess, Road cess

(2) अधिभार (Surcharge) :-

- इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है।
- इससे प्राप्त राजस्व का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है।
- उपकर और अधिभार की प्रकृति अस्थायी होती है। इन से प्राप्त राजस्व को राज्य सरकार के साथ साझा नहीं किया जाता है। (वित्त आयोग की सिफारिश पर)

☑ केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर :-

- आयकर
- निगमकर
- मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) – 15%
- कैपिटल गेन्स टैक्स
- सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
- कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
- लाभांश वितरण कर (2020 में समाप्त)
- वेल्थ टैक्स (2015 में समाप्त)
- फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (2009 में समाप्त)
- बैंकिंग नकद लेनदेन कर (2005–09 के बीच समाप्त)
- उपहार कर (1998 समाप्त)

☑ आयकर (Income Tax) :

- यह कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। आय दो प्रकार की होती है।
सकल आय (Gross Income) : एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय।
कर योग्य आय = सकल आय – छूट (कृषि आय, आवासीय ऋण, जीवनबीमा, शिक्षा ऋण, बचत योजना)
- व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कर में छूट दी जाती है।
- जैसे-जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती है इसीलिए आयकर को प्रगतिशील कर कहा जाता है।
- इससे आय की असमानता कम होती है।
- 2020 में नई कर प्रणाली की घोषणा की गई जो लोग छूट का फायदा नहीं लेना चाहते हैं वे नई कर प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं तथा जो छूट का लाभ लेना चाहते हैं वे पुरानी कर प्रणाली में बने रह सकते हैं।

नई कर प्रणाली	पुरानी कर प्रणाली
0-3 lakh → Nil	0-2.5 lakh → Nil
3-6 lakh → 5%	2.5-5 lakh → 5%
6-9 lakh → 10%	5-10 lakh → 20%
9-12 lakh → 15%	10 lakh → 30%
12-15 lakh → 20%	
15 lakh → 30%	

(2) निगम कर (Corporate tax):—

- यह कर व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है।
- कर योग्य लाभ = सकल लाभ – छूट
- यह छूट निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है परन्तु इसके कारण विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए अतः सरकार ने 2019 में एक नई कर प्रणाली की घोषणा की जिसके तहत यदि कोई कम्पनी छूट का प्रयोग नहीं करती है तब उस पर 22% कर लगाया जायेगा अन्यथा 25%, 30% कर लगाया जाता है।
- यदि विनिर्माण क्षेत्र में 2019–2024 के बीच कोई नई कंपनी स्थापित की जाती है तब उस पर 15% कर लगाया जायेगा क्योंकि रोजगार के अवसर अधिक सृजित होंगे

(3) मिनिमम अल्टरनेट टैक्स/न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT):—

- कुछ कम्पनियाँ छूट का अत्यधिक प्रयोग करती हैं जिसके कारण कर योग्य लाभ शून्य हो जाता है

- ऐसी कम्पनियों पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता है।
- इस कर की दर 15 प्रतिशत होती है।

(4) पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains tax):—

- जब किसी परिसम्पत्ति को बेचा जाता है तब हुए लाभ पर यह कर लगाया जाता है यदि परिसम्पत्ति को 3 वर्ष से पहले बेचा गया है तब अल्पकालिक पूंजीगत कर लगाया जाता है यदि परिसम्पत्ति को 3 वर्ष बाद बेचा गया है तब दीर्घकालिक पूंजीगत कर लगाया जाता है।
- शेयर बाजार के लिए यह समय सीमा 1 वर्ष है।
- इस टैक्स के लिए TDS (Tax deducted Source) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है अर्थात् खरीददार के द्वारा यह कर जमा करवाया जाता है।
- वोडाफोन का कर विवाद पूंजीगत लाभ कर से जुड़ा हुआ इसमें निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया गया—

(1) कर अपवंचन — जब कर कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर नहीं चुकाया जाता है।

(2) कर परिहार—

जब कर कानूनों की कमियों का फायदा उठाते हुए कर नहीं चुकाया जाता है।

कर परिहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा 'GAAR' (General Anti-Avoidance Rule) लागू किया गया।

GAAR के अनुसार यदि कोई विदेशी लेन-देन किया जाता है लेन-देन का एकमात्र उद्देश्य कर बचाना होता है तथा इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता है तब ऐसे मामलों में भारत में कर लगाया जाता है।

(3) भूतलक्षी कराधान — जब भूतकाल के लेन-देन पर कर लगाया जाता है 2012 में जोड़ा गया तथा 2021 में इसे हटाया गया।

(5) प्रतिभूति लेन-देन कर :—

- प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर यह कर लगाया जाता है।

☑ राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर :—

1. कृषि आय पर कर :—भारत में कोई भी राज्य सरकार यह कर नहीं लगाती है।
2. पेशेवर कर —
 - राज्य में कार्य कर रहे पेशेवरों पर लगाया जाता है।
 - अधिकतम 2500 रु. वार्षिक लगाया जाता है।
 - राजस्थान में यह कर नहीं लगाया जाता है परन्तु गुजरात, महाराष्ट्र आदि में यह कर लगाया जाता है।

3. **संपत्ति कर** :- शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पर यह कर लगाया जाता है।
4. **स्टाम्प ड्यूटी** :- संपत्ति की खरीद पर यह कर लगाया जाता है।
5. **भू-राजस्व कर** :- यह भूमि पर चुकाया गया किराया है।

अप्रत्यक्ष कर

केन्द्र सरकार

राज्य सरकार

☑ केन्द्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर :-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :-

- यह वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है
- वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, शेष के लिए इसे GST में शामिल कर लिया गया।
- पेट्रोलियम उत्पाद -
 - कच्चा तेल
 - प्राकृतिक गैस
 - पेट्रोल
 - डीजल
 - वायुयान का ईंधन

➤ तम्बाकू उत्पादों पर GST के साथ-साथ उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है।

2. **सीमा शुल्क** - यह आयात निर्यात पर लगाया जाता है, Basic Custom Duty को छोड़कर अन्य सभी को GST में शामिल कर लिया गया।
3. **सेवा कर Service Tax** : GST में शामिल कर लिया गया।
4. **केन्द्रीय बिक्री कर (Central Sales Tax)** : एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली बिक्री पर यह कर लगाया जाता था। वर्तमान में GST में शामिल कर लिया गया।

☑ राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर -

1. **Sales Tax - VAT** - एक ही राज्य में होने वाली बिक्री पर यह कर लगाया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी को GST में शामिल कर लिया गया।
2. **State Excise Duty (राज्य उत्पाद शुल्क)** -
मानव उपभोग के लिए प्रयोग में ली जानी वाली एल्कोहल पर लगाया जाता है इसे पूर्णरूप से GST के बाहर रखा गया है।
यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत है।

अन्य कर –

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. मनोरंजन कर – | GST में शामिल |
| 2. Luxury Tax (विलासिता कर) | GST में शामिल |
| 3. विज्ञापन कर (Advertisement Tax) | GST में शामिल |
| 4. Octroi/Entry Tax (चुंगी/ प्रवेश कर) | GST में शामिल |
| 5. Lottery Tax (लॉटरी टेक्स) | GST में शामिल |
| 6. Electricity Duty (विद्युत शुल्क) | GST में शामिल नहीं किया गया। |

नोट :-राज्य सरकार के ऐसे कर जो कि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।
GST में शामिल नहीं किये गये।

वस्तु एवं सेवा कर GST (Goods and Service Tax)

➤ पृष्ठभूमि –

- ✓ भारत में GST की सिफारिश 2003 में विजय केलकर समिति के द्वारा की गई।
- ✓ 2006 के बजट में घोषणा की गई कि 2010 तक GST को लागू कर दिया जायेगा।
परन्तु राज्य सरकारों की असहमति के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
- ✓ 2016 में GST के लिए संविधान में 101वाँ संविधान संशोधन किया गया।
- ✓ 1 July 2017 से भारत में GST लागू कर दिया गया।
- ✓ संसद के द्वारा 4 कानून पारित किये गये—
 1. C-GST Act (Central - GST)
 2. IGST Act (Integrated GST)
 3. UT GST Act (Union Territory GST)
 4. GST Act (Compensation to State)

नोट :-विश्व में जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था।(1954 में।)

GST की विशेषताएँ –

1. यह एक व्यापक कर है क्योंकि अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया गया है।
2. इससे “एक राष्ट्र एक कर” के सिद्धान्त को लागू किया गया है अर्थात् भारत एकीकृत बाजार बन चुका है।
3. GST वस्तु व सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

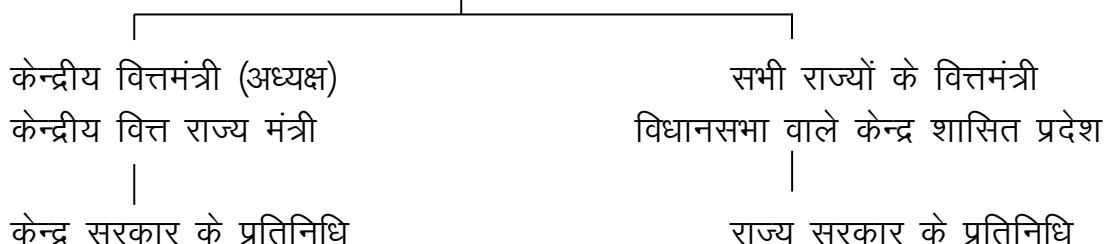
4. यह एक बहुस्तरीय कर है क्योंकि यह मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर आरोपित किया जाता है।
5. यह एक मूल्य सवर्धित कर है, अर्थात् कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है।
6. केन्द्र सरकार के द्वारा CGST लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा SGST लगाया जाता है। यदि वस्तु व सेवा की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है तब IGST केन्द्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है।
7. IGST का संग्रहण केन्द्र सरकार करती है अपना हिस्सा रखने के बाद राज्य का हिस्सा उपयोग करने वाले राज्यों को दिया जाता है। इसलिए GST को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। आयात पर भी IGST लगाया जाता है।
8. CGST और SGST एक ही आधार पर लगाया जाता है इससे Cascading Effect (केस्केडिंग प्रभाव) दूर होता है।
9. मूल्य सवर्धित कर होने के कारण भी Cascading Effect दूर होता है। इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था को अपनाया गया।
10. सामान्यतः GST की 5 मुख्य दरें हैं।
 1. 0% - दूध, अण्डा, दही, लस्सी
 2. 5% - चीनी, पनीर, कॉफी बीज, घरेलू LPG
 3. 12% - मक्खन, घी, बादाम
 4. 18% - हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पास्ता
 5. 28% - छोटी कारें, AC फ्रीज, Luxury Item
11. सामान्य राज्यों के लिए 40 Lac तथा विशेष राज्यों के लिए 20 Lac से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायिक संस्थानों को GST में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
12. पंजीकरण के बाद एक 15 अंको का GST पहचान नम्बर जारी किया जाता है।
13. GST से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए GST परिषद् का गठन किया गया।
14. निम्नलिखित व्यवसायों को जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है—

	सामान्य राज्य	विशेष राज्य	उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्य
वस्तु	40 लाख (टर्नओवर)	20 लाख (टर्नओवर)	
सेवा	20 लाख (टर्नओवर)	10 लाख (टर्नओवर)	

GST परिषद्

- यह एक संवैधानिक संस्था है
- इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 279 (A) जोड़ा गया।

GST परिषद् की संरचना



☑ निर्णय लेने की प्रक्रिया –

- निर्णय मतदान के द्वारा लिये जाते हैं केन्द्र सरकार का मतमूल्य 33% है तथा राज्य सरकारों का मतमूल्य 67% है।
- कोई भी निर्णय लेने के लिए 75% मतों की आवश्यकता होती है। अर्थात् न तो अकेले केन्द्र सरकार निर्णय ले सकती है और न ही अकेले राज्य सरकार निर्णय ले सकती है।
- केन्द्र व राज्यों को सहयोग करना होता है जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

☑ GST मुआवजा –

- GST को लागू करते समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि GST के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार के द्वारा की जायेगी।
- 5 वर्ष के लिए
- आधार वर्ष – 2015-16
- प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि
- मुआवजे के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा GST – Compensation cess लगाया गया।
- कोरोना और आर्थिक मंदी के कारण राज्य सरकारों को कुल 2.35 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। परन्तु केन्द्र सरकार कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार नहीं थी।
- GST परिषद् के माध्यम से इस विवाद को हल किया गया।
- केन्द्र सरकार ने RBI के माध्यम से एक विशेष ऋण व्यवस्था की।
- राज्य सरकारों को लगभग 1.1 लाख करोड़ के ऋण दिये गये इसे BACK to BACK Loan कहते हैं।

E-Way Bill

- जीएसटी में सभी कार्य ऑनलाइन संपादित किए जाते हैं। इसके ऑनलाइन आधारभूत ढाँचे को बनाने के लिए **GST (Goods and Service Tax Network)** नामक संस्था बनाई गई है। जो कि एक गैर-सरकारी व गैर-लाभकारी कंपनी हैं।
- जीएसटी में ई-वे बिल को अनिवार्य किया गया है
- यदि 50,000 रु. से अधिक मूल्य के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तब ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है।
- ई-वे बिल को वेबसाइट, मोबाईल एप और एसएमएस के माध्यम से जनरेट किया जाता है।
- केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को 5 वर्षों तक जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

Tax Reforms In India

महत्वपूर्ण समितियाँ –

- राजा चेलैया समिति (1991) – कर सुधार
- विजय केलकर समिति (2002)
- पार्थ सारथी सोम समिति (2013) – कर प्रशासन के सुधार के लिए
- जस्टिस आर. वी. ईश्वर पैनल
- अरविन्द मोदी टास्क फोर्स
- प्रत्यक्ष कर संहिता पर अखिलेश रंजन पैनल

राष्ट्रीय आय (National Income)

☑ राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है—

❖ **GDP – (Gross Domestic Product) (सकल घरेलू उत्पाद) –**

यह एक विशिष्ट समयावधि के भीतर किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

इस परिभाषा के चार मुख्य भाग हैं—

1. अंतिम वस्तु और सेवाएँ
2. किसी देश का घरेलू क्षेत्र
3. एक विशिष्ट समयावधि के भीतर
4. मौद्रिक मूल्य

1. अंतिम वस्तु और सेवाएँ :-

- वे वस्तु और सेवाएँ जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उपभोग के लिए तैयार है।
- इनका उपयोग किसी अन्य उत्पादन में आपूर्ति के रूप में नहीं किया जायेगा। अर्थात् हम इसमें मध्यस्थ वस्तु व सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं।
उदाहरण : कार एक अंतिम वस्तु है और उसमें इस्तेमाल होने वाले टायर मध्यस्थ वस्तु होते हैं।
- दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यस्थ वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है।

2. किसी देश का घरेलू क्षेत्र :-

- इसमें किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र शामिल है।
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (200 समुद्री मील) शामिल।
- विदेशों में दूतावास और सैन्य अड्डे शामिल।
- देश में पंजीकृत जहाज और विमान शामिल।

3. निश्चित समयावधि :-

- GDP की गणना 1 वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। (1 April to 31 March)
- वित्तीय वर्ष को 4 त्रैमासिक में बाँटा जाता है।
- 4 त्रैमासिक –
 - (1.) अप्रैल, मई, जून
 - (2.) जुलाई, अगस्त, सितम्बर
 - (3.) अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, तथा
 - (4.) जनवरी, फरवरी, मार्च।

4. मौद्रिक मूल्य :-

- (मात्रा $\times$ मूल्य = मौद्रिक मूल्य)

❖ GNP – (Gross National Product)

- यह एक निश्चित समयावधि के भीतर किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
- $GNP = GDP +$ विदेशों में कमाई करने वाले भारतीय निवासी की आय – भारत में विदेशी निवासी की कमाई।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद = सकल घरेलू उत्पाद + विदेशों में शुद्ध कारक आय
- **GNP = (GDP + Net Factor Income Abroad)**

नागरिकों के दो प्रकार { प्रवासी भारतीय (Resident Indians)
अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indian) वे नागरिक जिन्हें विदेश में रहते हुए 6 माह हो गये।

- GNP में NRI (Non Resident Indian) के द्वारा उत्पादित वस्तु व सेवाओं की गणना नहीं की जाती है।

Gross $\rightarrow$ Net

- $Net = Gross - Depreciation$
- $NDP (Net Domestic Product) = GDP - Depreciation$
- $NNP (Net National Product) = GNP - Depreciation$
- GDP की गणना साधन लागत पर भी की जा सकती है और बाजार मूल्य पर भी की जा सकती है।
- साधन लागत उत्पादन के चार कारकों की लागत—

Land	Labour	Capital	Entrepreneur
↓	↓	↓	↓
किराया	मजदूरी	ब्याज	लाभ

साधन लागत = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ

बाजार मूल्य = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी

$GDP_{MP} = GDP_{FC} + \text{Indirect Tax} - \text{Susidy}$

$GNP_{MP} = GNP_{FC} + \text{Indirect Tax} - \text{Susidy}$

$NDP_{MP} = NDP_{FC} + \text{Indirect Tax} - \text{Susidy}$

$NNP_{MP} = NNP_{FC} + \text{Indirect Tax} - \text{Susidy}$

$NNP_{FC} = NNP_{MP} - \text{Indirect Tax} + \text{Susidy}$

- साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) को ही अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय कहा जाता है।

- प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) =
$$\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} \times 100$$

$$PCI = \frac{NNP_{FC}}{\text{Population}}$$

- ☑ **Personal Income/वैयक्तिक आय** - राष्ट्रीय आय का वह भाग जो कि परिवारों के द्वारा किया जाता है।

PI = National income - Corporate tax - Undistributed profit - Net interest payment from household + Transfer payment

- ☑ **Personal Disposable Income (PDI) वैयक्तिक प्रायोज्य आय :-**

PDI = Personal Income - Personal Tax Payment – Nontax payment like pension, insurance, PF

❖ GDP दो प्रकार की होती है—

- मौद्रिक जीडीपी
- वास्तविक जीडीपी

- मौद्रिक जीडीपी—** जब जीडीपी की गणना वर्ष की कीमतों (प्रचलित/स्थिर) पर की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। जैसे—

	उत्पादक	कीमत	जीडीपी	जीडीपी ग्रोथ
वर्ष 2023 में	3 क्विंटल गेहूँ	100 रु. प्रति क्विंटल	$100 \times 3 = 300$	—
वर्ष 2024 में	2 क्विंटल गेहूँ	200 रु. प्रति क्विंटल	$200 \times 2 = 400$	$\frac{400 - 300}{300} \times 100$ $= 33.33 \%$

- वास्तविक जीडीपी :-** जब जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है तब इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है। जिस वर्ष की कीमतों को स्थिर कीमतों के रूप में लिया जाता है उसे **आधार वर्ष** कहा जाता है।

	उत्पादक	कीमत	जीडीपी	जीडीपी ग्रोथ
वर्ष 2023 में	3 क्विंटल गेहूँ	50 रु. प्रति क्विंटल	$50 \times 3 = 150$	—
वर्ष 2024 में	2 क्विंटल गेहूँ	50 रु. प्रति क्विंटल	$50 \times 2 = 100$	$\frac{-50}{150} \times 100$ $= -33.33 \%$

❖ Current Price (प्रचलित कीमत) v/s Constant Price (स्थिर कीमत) पर जीडीपी की गणना—

- जब GDP की गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों पर की जाती है तब इसे प्रचलित कीमतों पर GDP कहा जाता है इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। इसे Nominal GDP भी कहा जाता है।
- जब GDP की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो स्थिर कीमतों पर GDP कहा जाता है। इसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है, इसे Real GDP (वास्तविक GDP) कहा जाता है।

$$\text{GDP Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}}$$

- GDP Deflater महंगाई का संकेतक है यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक से अधिक सटीक है। परन्तु अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि इसकी गणना में अधिक समय लगता है।

❖ GDP गणना की विधियाँ—

1. Income Method (आय विधि)
2. Expenditure Method (व्यय विधि)
3. Production Method (उत्पादन विधि)

1. आय विधि — उत्पादन के कारकों की लागत को जोड़ दिया जाता है।

$$\text{जीडीपी} = \text{किराया} + \text{मजदूरी} + \text{ब्याज} + \text{लाभ}।$$

2. व्यय विधि— व्यय के कारकों में से आयात को घटा दिया जाता है।

$$\text{जीडीपी} = \text{उपभोग व्यय} + \text{निवेश} + \text{सरकारी व्यय} + \text{निर्यात-आयात}$$

$$C + I + G + (X - M)$$

3. उत्पादन विधि— अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की गणना की जाती है। तथा उसे जोड़ दिया जाता है।

$$\text{मूल्य संवर्धन} = \text{उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य} - \text{मध्यस्थ वस्तुओं की लागत}।$$

➤ सकल मूल्य संवर्धन :- GVA (Gross Value Added)

- जब जीडीपी की गणना उत्पादन विधि से की गई तब GDP को GVA (Gross Value Added) कहा जाता है।

$$\text{GVA}_{\text{MP}} = \text{GVA}_{\text{FC}} + \text{Indirect Tax} - \text{Subsidy}$$

- वर्ष 2015 से उत्पादन विधि में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए—

1. $GVA_{BP} = GVA_{FC} + \text{Production Tax} - \text{Production Subsidy}$.
2. $GVA_{MP} = GVA_{BP} + \text{Product Tax} - \text{Product Subsidy}$.
3. उत्पादन कर तथा उत्पादन सब्सिडी वह कर व सब्सिडी है जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं।
4. उत्पाद कर व उत्पाद सब्सिडी वह कर व सब्सिडी है जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते हैं।
- भारत में GDP की गणना NSO के द्वारा की जाती है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ,
- आधार वर्ष – 2011-12
- भारत में GDP की गणना के लिए व्यय विधि व उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। आय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है।

❖ GDP गणना की चुनौतियाँ :-

1. दोहरी गणना।
2. त्रुटिपूर्ण अभिलेख।
3. बहिष्करण और समावेशन की समस्या।
4. अवैध वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है।
5. घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है।
6. पूँजीगत लाभ को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है।

आर्थिक संवृद्धि व आर्थिक विकास

आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth)	आर्थिक विकास (Economic Development)
• संकीर्ण अवधारणा	• व्यापक अवधारणा
• उत्पादन में वृद्धि मापी जाती है।	• उत्पादन के साथ-साथ सामाजिक कल्याण को भी मापा जाता है।
• मात्रात्मक अवधारणा	• गुणात्मक अवधारणा
• एकल आयामी	• बहुआयामी
• विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण	• विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण
• GDP, GNP, PCI आदि जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है।	• HDI, Happiness Index जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
• मापने में आसान	• मापने में अपेक्षाकृत कठिन

मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP - United Nations Development Programme) के द्वारा जारी की जाती है।
- 2023-24 की रिपोर्ट की थीम –
"Breaking the gridlock : Reimagining Cooperation in a Polarized World".
- इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचकांक जारी किए जाते हैं।
 1. मानव विकास सूचकांक
 2. असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक
 3. लैंगिक विकास सूचकांक
 4. लैंगिक असमानता सूचकांक
 5. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक
 6. गृहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक

मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Index)

- यह सूचकांक 1989 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक के द्वारा विकसित किया गया।
- भारत के अमर्त्य सेन के द्वारा इसे विकसित करने में मदद की गई।
- 1990 की रिपोर्ट में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया।
- इस सूचकांक का मूल्य 0-1 के बीच होता है।
- जहां 0 का अर्थ है कोई विकास नहीं होना तथा 1 का अर्थ है पूर्ण विकास।
- इस सूचकांक की गणना 3 आयामों व 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है।

आयाम	संकेतक	न्यूनतम	अधिकतम
स्वास्थ्य (Health)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	20 वर्ष	85 वर्ष
शिक्षा (Education)	स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष	0 वर्ष	18 वर्ष
	स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (जिनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा है।)	0 वर्ष	15 वर्ष
जीवन स्तर (Standard of Living)	प्रति व्यक्ति आय	100 \$	75000 \$

- प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने के लिए क्रय शक्ति साम्यता का प्रयोग किया जाता है।
- वर्ष 2023–24 के आँकड़े –
- प्रथम स्थान – स्विट्जरलैंड(0.967)
- अंतिम स्थान – सोमालिया (193)(0.380)
- भारत की रैंक – 134वीं।
 - ✓ भारत के लिए मानव विकास सूचकांक मूल्य – 0.644 है।
 - ✓ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा – 67.7 वर्ष है।
 - ✓ स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष – 12.6 वर्ष है।
 - ✓ स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष – 6.6 वर्ष ।
 - ✓ प्रति व्यक्ति आय 6957 \$ है।
 - ✓ वर्ष 2021 में भारत की रैंक – 135वीं थी।

असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक – IHDI

(IHDI- Inequality Adjusted Human Development Index)

- इसके माध्यम से मानव विकास सूचकांक पर असमानता के प्रभाव की गणना की जाती है।
- इसका मूल्य – 0.444 है।
- असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक में हानि – 31.1 प्रतिशत है।
- भारत की रैंक – 118वीं ।

लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index)

- इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना अलग-अलग की जाती है तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
- इसका मूल्य – 0.852 है।
- महिलाओं के लिए एचडीआई मूल्य – 0.582 है।
- पुरुषों के लिए एचडीआई मूल्य – 0.682 है।
- महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय पुरुषों के मुकाबले अत्यधिक कम है।

लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index)

- वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा जारी ।
- इसकी गणना 5 कारकों के आधार की जाती है।
 1. मातृ मृत्यु दर
 2. किशोरावस्था में जन्म दर
 3. संसद में भागीदारी
 4. न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या
 5. श्रम बल भागीदारी दर
- इसका मूल्य – 0.437 है।
- प्रथम स्थान – आइसलैंड
- 2023 में भारत की रैंक – 127वीं है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक – GMPI (Global Multidimensional Poverty Index)

- इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई।
- इसका विकास UNDP तथा Oxford Poverty & Human Development Initiative के द्वारा किया गया है।
- 2019-2021 में भारत में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत – 16.4
- इसकी गणना 3 आयामों तथा 10 संकेतकों के आधार पर की जाती है।

Dimension	Indicator
स्वास्थ्य	• पोषण • बाल मृत्यु दर
शिक्षा	• स्कूली शिक्षा के वर्ष • स्कूल उपस्थिति
जीवन स्तर	• पक्का घर • विद्युत कनेक्शन • खाना पकाने का ईंधन • स्वच्छ पेयजल • स्वच्छता • भोजन पकाने का ईंधन—एलपीजी • परिसंपत्तियाँ—टीवी, फ्रिज आदि।

गृहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक PHDI - The Planetary Pressure-Adjusted Human Development Index

- इसकी शुरुआत 2020 में की गई।
- इसकी गणना के लिए 2 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है –
 1. प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन
 2. प्रति व्यक्ति भौतिक पदचिह्न।
- PHDI का मूल्य – 0.625 है।

विश्व खुशहाली सूचकांक (World Happiness Index)

- यह सूचकांक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है।
- यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 20 मार्च (अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस) को जारी की जाती है।
- यह रिपोर्ट Sustainable Development Solutions Network के द्वारा जारी की जाती है।
- इस सूचकांक की गणना करने के लिए एक सर्वे किया जाता है जिसे गैलप पोल कहा जाता है।
- इस सर्वे में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं—
 1. जीवन का मूल्यांकन
 2. सकारात्मक भाव
 3. नकारात्मक भाव
- इसके अतिरिक्त 6 अन्य संकेतकों का प्रयोग भी किया जाता है।
 1. प्रति व्यक्ति जीडीपी
 2. स्वस्थ जीवन स्तर
 3. सामाजिक सुरक्षा
 4. चुनने की आजादी
 5. उदारता
 6. भ्रष्टाचार की धारणा।
- वर्ष 2024 की रैंक :—

✓ प्रथम स्थान	—	फिनलैंड
✓ अंतिम स्थान	—	अफगानिस्तान
✓ भारत की रैंक	—	126वीं

गरीबी (Poverty)

- गरीबी एक ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति के पास इतने भी आर्थिक संसाधन नहीं हैं, जिससे कि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- गरीबी दो प्रकार की होती है – (1.) सापेक्ष गरीबी (2.) निरपेक्ष गरीबी।

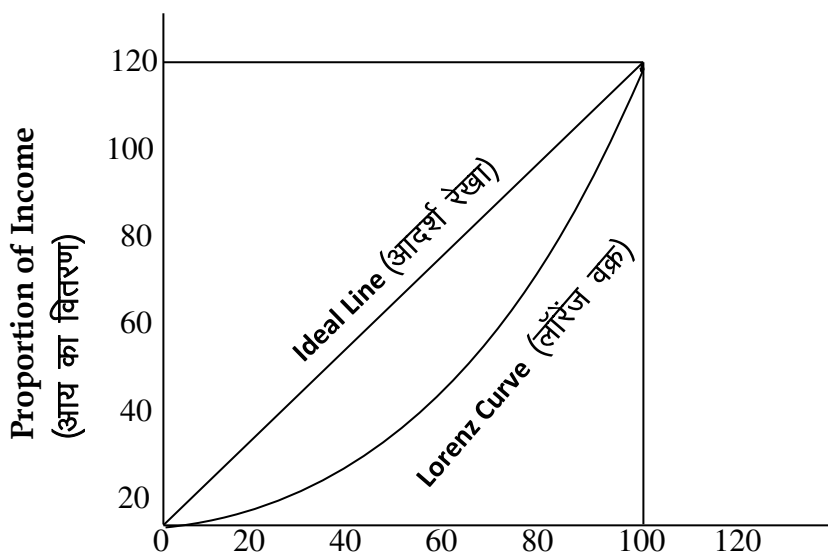
☑ सापेक्ष गरीबी :-

- इसके तहत विभिन्न व्यक्तियों की आय और संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इससे आर्थिक असमानता को मापा जाता है।

Ex. A व्यक्ति B व्यक्ति
 ↓ ↓
 100 Cr. 1 Cr.
 (A की तुलना में B गरीब है)

- सापेक्ष गरीबी में गरीबी आकलन के मानदण्ड विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के चरण के साथ भिन्न-भिन्न होते हैं।
- विकसित देशों के लिए मानदण्ड अलग है और विकासशील देशों के लिए मानदण्ड अलग है।
- इसके तहत जनता के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण को देखा जाता है। अर्थात् आर्थिक असमानता की गणना की जाती है।
- आय का वितरण के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है।

☑ लॉरेंज वक्र :-

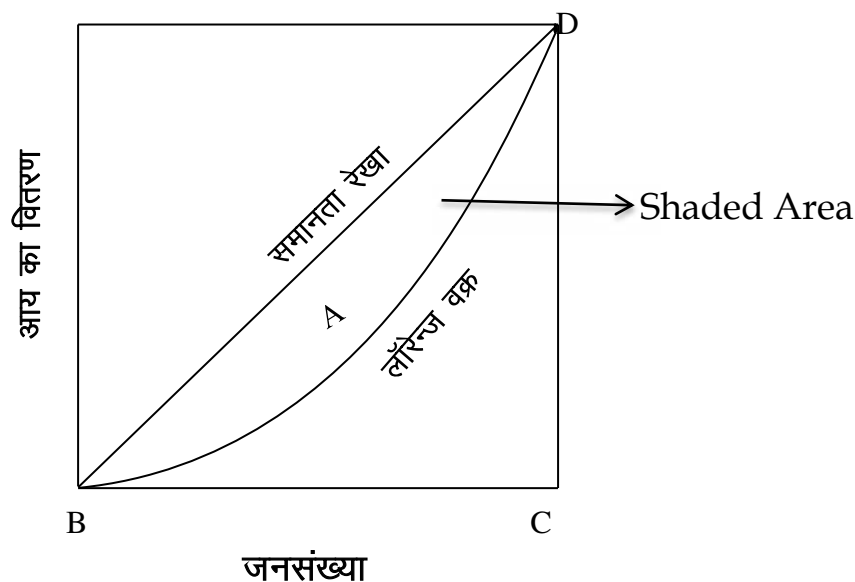


Population (जनसंख्या)

- आदर्श रेखा (45°) यह दर्शाती है कि आय का वितरण समान रूप से हुआ है अर्थात् उस देश में कोई असमानता नहीं है।
- वास्तविक रूप से ऐसा कोई देश नहीं होता है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के नजदीक या दूर हो सकता है।
- यदि लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के करीब है तब इसका अर्थ है— उस देश में असमानता कम है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा से दूर है तब इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

☑ गिनी गुणांक – (Gini Coefficient)

- यह लॉरेन्ज वक्र का गणितीय रूप है।
- गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।
- 0 – पूर्ण समानता
- 1 – पूर्ण असमानता



$$\text{Gini Coefficient} = \frac{\text{Shaded Area A}}{\text{Total Area BCD}}$$

- प्रत्येक देश के गिनी गुणांक का मान 0 - 1 के बीच होगा यदि यह मान 0 के करीब है तब इसका अर्थ है कि उस देश में असमानता कम है।
- यदि यह मान 1 के करीब हो तो इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

☑ निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)–

- जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है यदि कोई व्यक्ति इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तब उस व्यक्ति को निरपेक्ष रूप से गरीब माना जाता है।
- बुनियादी आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है।
- जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा के नीचे है उसे BPL (Below Poverty Line) कहा है जो व्यक्ति इस रेखा से ऊपर है तो उसे APL (Above Poverty Line) कहा जाता है।
- गरीबी की गणना व्यक्ति के आधार पर ना करके परिवार के आधार पर की जाती है क्योंकि बहुत सी बुनियादी आवश्यकता ऐसी होती है जो कि पूरे परिवार के बीच साझा करती है।
उदा. – मकान
- गरीबी की गणना के लिए उपयोग पर किये गये खर्च को देखा जाता है। आय को नहीं।
- एक परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं।
- भारत में गरीबी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है।
- गरीबी रेखा का निर्धारण पूर्व में योजना आयोग के द्वारा किया जाता था और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
- गरीबी की गणना की विधि को 'सिर गिनने की विधि' (Head Count Method) कहा जाता है।
- भारत में गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोग का प्रयोग किया जाता है।
शहर – 2100 कैलोरी
ग्रामीण – 2400 कैलोरी
- गरीबी की गणना करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 3 मुख्य विधियों का प्रयोग करता है।

1. URP (Uniform Reference Period)/समान संदर्भ अवधि :–

- इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 30 दिन में खाद्य वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया।

2. MRP (Mixed Reference Period)/मिश्रित संदर्भ विधि :7

- इसके तहत पिछले 30 दिन में खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय के साथ- साथ यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 365 दिनों में कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ वस्तुएँ (T.V. फ्रिज) आदि पर कुल कितना व्यय किया।

3. MMRP (Modified MRP) :– परिवर्तित मिश्रित संदर्भ अवधि –

- इसके तहत 7 दिन, 30 दिन, व 365 दिन के खर्चों को देखा जाता है।

7 Day	30 Day	365 Day
• सब्जी • दूध • अण्डे	• खाद्य वस्तुएँ • ईंधन वस्तुएँ • बिजली • किराया	• कपड़े • शिक्षा • स्वास्थ्य • जूते

- वैश्विक स्तर पर World Bank, Asian Development Bank and United Nations Development Programme के द्वारा भी गरीबी की गणना की जाती है।
- विश्व बैंक की गरीबी रेखा — \$ 2.15 per day
- UNDP — Multi Dimensional poverty Index
(बहुआयामी गरीबी सूचकांक)

☑ भारत में गरीबी आकलन का संक्षिप्त इतिहास —

1. भारत में पहली बार गरीबी की गणना दादाभाई नौरोजी ने 1867- 68 ई. में की थी।
(पुस्तक — Poverty & Un-british rule in India.)
2. 1938 ई. में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय आयोजना समिति' का गठन किया गया। समिति ने रोटी, कपड़ा और मकान को बुनियादी आवश्यकता माना।
3. 1944 ई. में पूँजीपतियों द्वारा 'BOMBAY PLAN' बनाया गया। जिसके अनुसार गरीबी रेखा रु. 75 प्रतिव्यक्ति/वर्ष इसे 'टाटा बिड़ला प्लान' भी कहा जाता है।

❖ स्वतंत्रता के बाद गणनाएँ—

1. 1962 ई. में योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया।
2. V.M. दांडेकर और N.रथ समिति — 1971 ई.
 - पहली बार कैलोरी खपत का प्रयोग गरीबी मापन के लिए किया गया।
 - 2250 कैलोरी/व्यक्ति/ दिन
3. Y.K. अलघ समिति — 1979 ई.
 - कैलोरी के साथ-साथ पोषण आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
 - ग्रामीण — 2400 कैलोरी/व्यक्ति/दिन
 - शहरी — 2100 कैलोरी/व्यक्ति/दिन

4. **D.T. लकड़ावाला समिति – 1993 ई.**

- कौलोरी उपभोग विधि को जारी रखा जाना चाहिए।
- राज्य आधारित गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

5. **सुरेश तेंदुलकर समिति – 2005 ई.**

- इन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में प्रस्तुत की।
- इन्होंने कौलोरी उपभोग विधि की आलोचना की। क्योंकि वर्तमान में उपभोग के पैटर्न परिवर्तित हो चुके हैं।

प्रमुख अनुशंसाएँ –

1. कौलोरी की खपत के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे- दूध, चावल, सब्जियाँ, खाद्य तेल, चीनी, नमक, नशीले पदार्थ। सूखे मावे, कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन।
2. ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान गरीबी रेखा टोकरी (PLB) का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) आधारित अनुमान के बजाय समान संदर्भ अवधि (URP) आधारित अनुमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

ग्रामीण गरीबी रेखा (2011 – 12) – 4080 रु./परिवार/माह

816 रु./व्यक्ति/माह

27 रु./व्यक्ति/दिन

शहरी गरीबी रेखा (2011 - 12) – 5000 रु./परिवार/माह

100 रु./ व्यक्ति/माह

33 रु./ व्यक्ति/दिन

4. गरीबी का प्रतिशत

2004 – 05 – 37.2%

2011 – 12 – 21.9%

6. **रंगराजन समिति – 2012 ई.**

- इनके द्वारा Modified MRP का प्रयोग किया गया है।
- इन्होंने वर्ष 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस समिति द्वारा परिवर्तित मिश्रित संदर्भ अवधि का प्रयोग किया गया।
- इस समिति की सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

- अतः अंतिम उपलब्ध अधिकारिक आँकड़ा तेंदुलकर समिति वाला ही है अर्थात् 2011-12 में 21.9 प्रतिशत।
- इनके अनुसार –
गरीबी रेखा–
 - शहरी क्षेत्र – 7035 रु. /परिवार/माह
 - ग्रामीण क्षेत्र – 4860 रु. /परिवार/माह

गरीबी प्रतिशत–

- शहरी क्षेत्र – 2009 – 10 – 37%
- ग्रामीण क्षेत्र – 2011 – 12 – 29.5%

7. नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक – MPI

- पहली बार 2021 में जारी किया गया।
- गरीबी को मापने के लिए 3 आयामों का प्रयोग किया जिन्हें 12 संकेतकों में बाँटा गया है।

आयाम	संकेतक
स्वास्थ्य	• पोषण • बाल मृत्यु दर • जन्म के समय चिकित्सीय देखभाल
शिक्षा	• स्कूली शिक्षा के वर्ष • स्कूल उपस्थिति
जीवन स्तर	• पक्का घर • विद्युत आपूर्ति • स्वच्छता • स्वच्छ पेयजल • भोजन पकाने का ईंधन (LPG) • परिसम्पत्तियाँ (टी.वी.व रेफ्रिजरेटर) • बैंक खाता।

☑ MPI रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य–

- इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 का प्रयोग किया गया।
- भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में **14.96%** हो गई, (गिरावट – 9.8%)

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी – 19.28% तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी – 5.27%
- भारत का सबसे समृद्ध राज्य – केरल – 0.55%
- भारत का सबसे गरीब राज्य – बिहार – 33.76% (सर्वाधिक कमी)
- राजस्थान का 10वाँ स्थान – 15.31% (कमी– 13.5%)
- इस सूचकांक के लिए आँकड़े परिवारों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के माध्यम से लिए जाते हैं।

☑ **भारत में गरीबी के कारण :-**

1. शिक्षा का अभाव
2. जनसंख्या वृद्धि
3. बेरोजगारी
4. महंगाई
5. कौशल का अभाव
6. कुपोषण
7. स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव
8. वित्तीय समावेशन का अभाव
9. सामाजिक सुरक्षा का अभाव
10. सामाजिक भेदभाव
11. आधारभूत ढाँचे की कमी
12. राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव
13. सरकारी योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं होना
14. भ्रष्टाचार
15. गरीबी स्वयं भी गरीबी का एक कारण है, जिससे गरीबी का कुचक्र निर्मित होता है।

☑ **गरीबी का निवारण :-**

➤ भारत में गरीबी निवारण /उन्मूलन के लिए दो मुख्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं।

1. रिसाव सिद्धान्त (Trickle down Theory)

- इस सिद्धान्त के समर्थक – डॉ. जगदीश भगवती, डॉ. अरविन्द पनगड़िया
- पुस्तक – "Why Growth Matters"
- इनके अनुसार सरकार को भौतिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए जिससे कि –
 - निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा सकें।
 - निवेश के बढ़ने से सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है।

- जीडीपी में वृद्धि होती है।
- लोगों की आय बढ़ेगी तथा गरीबी दूर होगी।
- अल्पकाल में इस विधि से असमानता बढ़ती है परन्तु दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है।

2. प्रत्यक्ष निवारण—

- समर्थक — अमर्त्य सेन, ज्यॉं द्रेज
- पुस्तक — 'An Uncertain glory : India and its Contradictions'
- इनके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता देनी चाहिए।
- इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। जैसे— रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना
- सरकार को सामाजिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए। जैसे— शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल
- वर्तमान में उपर्युक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है।

❖ गरीबी निवारण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही हैं—

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
2. पोषण अभियान
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना
4. समग्र शिक्षा अभियान
5. मिड-डे-मिल
6. प्रधानमंत्री आवास योजना
7. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना (सहज बिजली हर घर योजना)
8. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
9. स्वच्छ भारत मिशन
10. जल जीवन मिशन
11. प्रधानमंत्री जन धन योजना
12. आयुष्मान भारत योजना
13. मनरेगा (MGNAREGA)
14. राष्ट्रीय आजीविका मिशन
15. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
16. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

नोट :— वर्ष 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी निवारण के लिए सार्वभौमिक मूलभूत आय की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि सभी को सरकार के द्वारा नियमित रूप से एक न्यूनतम आय प्रदान की जाए।

वित्त आयोग

❖ संकल्पना :-

- ✓ ऑस्ट्रेलिया से ली गई।
- ✓ ऑस्ट्रेलिया में – 'राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग' कहा जाता है।
(CGC- "Commonwealth Grant Commission")

ऑस्ट्रेलिया

भारत

स्थायी संस्था

अस्थायी संस्था

सलाहकारी संस्था

संवैधानिक संस्था

❖ वित्त आयोग का प्रावधान-संविधान के भाग-12 के अनुच्छेद-280 के अन्तर्गत किया गया है।

❖ नियुक्ति :- भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

❖ प्रतिवेदन :- भारत के राष्ट्रपति को। (राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत।)

❖ विशेष दर्जा :-

- ✓ यह एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था है।
- ✓ केंद्र व राज्यों के वित्त मंत्री के न आने पर समन (वारंट) जारी किया जाता है।

❖ संरचना :- 1-अध्यक्ष

4-सदस्य

1-सचिव

❖ वित्त आयोग के अध्यक्ष :-

प्रथम – नवम्बर, 1951 ई. – श्री के. सी. नियोगी।

12वें – 2002 ई. – श्री सी.आर. रंगराजन।

13वें – 2007 ई. – श्री विजय केलकर।

14वें – 2013 ई. – श्री वाई.वी. रेड्डी।

15वें – 2017 ई. – श्री नन्द किशोर सिंह

16वें – 31 दिसम्बर, 2023 – श्री अरविन्द पनगड़िया। (वर्तमान में)

❖ **16वाँ वित्त आयोग की संरचना :-** (31 दिसंबर, 2023 को गठित।)

✓ अध्यक्ष – श्री अरविन्द पनगड़िया।

✓ सदस्य –

1. श्री अजय नारायण झा।
2. श्रीमती एनी जॉर्न मैथ्यू।
3. डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष
4. डॉ. सौम्य कांति घोष।

✓ सचिव – श्री ऋत्विक् रंजनम पांडेय।

❖ **वित्त आयोग के उद्देश्य :-** भारत में वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को स्थायित्व प्रदान करना है।❖ **वित्त आयोग के कार्य –**

- केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी का उचित फॉर्मूले का निर्धारण करना।

वित्त आयोग	केंद्र	राज्य	राज्यों की संख्या
13वां	68 प्रतिशत	32 प्रतिशत	28
14वां	58 प्रतिशत	42 प्रतिशत	29
15वां	59 प्रतिशत	41 प्रतिशत	28
16वां	—	—	—

नोट :-

- वित्त का बंटवारा उध्वाधर किया जाता है।
- जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्यों में क्षेत्रीय बंटवारा किया जाता है।
- 16वां वित्त आयोग 31 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में फॉर्मूले का निर्धारण करना।
- केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों की समीक्षा करना।
- उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई भी कार्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपा जाए।

15वाँ वित्त आयोग

➤ 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होनी थीं किंतु इसे 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। और अब इसकी सिफारिशें 2021–2026 तक लागू रहेगी।

➤ उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की गई—

- ✓ प्रथम रिपोर्ट — वर्ष 2020–2021 के लिए।
- ✓ द्वितीय रिपोर्ट — वर्ष 2021–2026 के लिए

सिफारिशें :—

1. **हिस्सेदारी**—केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। जबकि 14वें वित्त आयोग ने इसे 42 प्रतिशत रखा था।
(1 प्रतिशत की कटौती जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाये जाने से केंद्रीय खर्च में हुई वृद्धि के कारण हुई है।)
2. **क्षेत्रीय हिस्सेदारी के निर्धारण में निम्न 6 कारकों को आधार बनाया गया है—**

कारक	भारांश
आय का अन्तर/दूरी	45 प्रतिशत
क्षेत्रफल	15 प्रतिशत
जनसंख्या	15 प्रतिशत
जनसांख्यिकी प्रदर्शन	12.5 प्रतिशत
वन एवं पारिस्थितिकी	10 प्रतिशत
कर एवं राजकोषीय प्रयास	2.5 प्रतिशत

3. **अनुदान संबंधी सिफारिशें :—**

- 17 राज्यों को राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान दिया जाएगा।
- राज्यों को केंद्रीय अनुदान निम्नलिखित कार्यों के लिए दिया जाता है।
 1. सामाजिक आवश्यकताएँ।
 2. प्रशासन एवं आधारभूत संरचना।
 3. जलापूर्ति एवं स्वच्छता।
 4. पर्यटन
 5. सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का रखरखाव।
 6. आपदा प्रबंधन।

4. **क्षेत्र आधारित केंद्रीय अनुदान :—** कुल 8 क्षेत्रों को यह अनुबंध अनुदान दिए गए हैं।

1. स्वास्थ्य
2. स्कूली शिक्षा
3. उच्च शिक्षा

4. कृषि संबंधी सुधारों का क्रियान्वयन
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रखरखाव
6. न्यायपालिका
7. आकांक्षी जिले और ब्लॉक (सबसे ज्यादा पिछड़े क्षेत्र)
8. सांख्यिकी।

● **स्थानीय निकायों के अनुदान :-**

- स्थानीय निकायों को कुल 4.36 लाख करोड़ का अनुदान दिये जाने की सिफारिश की है। (5 वर्ष में)
- आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों की कमियाँ निम्न हैं:-
 - मानव संसाधन का अभाव
 - तकनीकी कुशलता का अभाव
 - अपर्याप्त पूँजी एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का अपर्याप्त होना।
- **15वें वित्त आयोग के अनुसार सबसे ज्यादा लाभ वाले राज्य :-**

सबसे अधिक लाभ वाले राज्य		सबसे कम लाभ वाले राज्य	
1.	उत्तर प्रदेश	28.	गोवा
2.	बिहार	27.	सिक्किम
3.	मध्यप्रदेश	26.	मिजोरम
4.	पश्चिम बंगाल		
5.	महाराष्ट्र		
6.	राजस्थान★		

ई-कॉमर्स

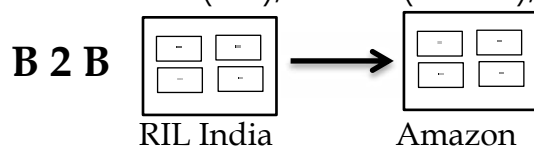
- इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री ई-कॉमर्स कहलाता है।
- यह कम्प्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों पर आयोजित किया जाता है।
- आज ई-कॉमर्स के जरिए लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता है।

ई-कॉमर्स के मॉडल

	Business	Consumer	Government
Business	B 2 B	B 2 C	B 2 G
Consumer	C 2 B	C 2 C	C 2 G
Government	G 2 B	G 2 C	G 2 G

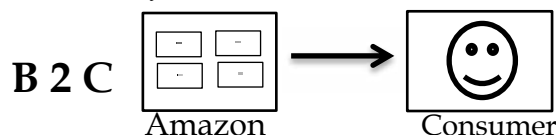
1. बिजनेस-टू-बिजनेस मॉडल-(B2B- Business to Business Model)

- इसमें लेनदेन दो कंपनियों के बीच होता है
- जैसे यदि कोई कंपनी खुद कोई उत्पाद नहीं बनाती है और किसी अन्य कंपनी से उत्पाद खरीदती है तो वह बिजनेस-टू-बिजनेस के अंतर्गत आता है।
- उदाहरण- अलीबाबा (चीन), अमेज़ॉन(अमेरिका), इंडियामार्ट (अमेरिका) आदि।



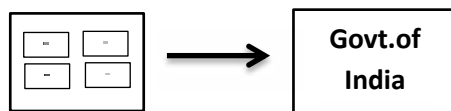
2. बिजनेस-टू-कन्ज्यूमर मॉडल-(Business to Consumer Model)

- इसमें लेनदेन कंपनी व उपभोक्ता के बीच होता है।
- यह ई-कॉमर्स का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है।
- जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से, उपभोक्ता सीधे उत्पाद खरीदता है, और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार से सेवाएँ खरीदते हैं।



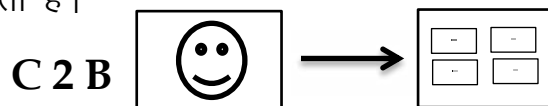
3- बिजनेस-टू-गवर्नमेंट मॉडल-(Business to Consumer Model)

- इसमें लेन-देन कंपनी व सरकार के बीच ऑनलाइन माध्यम से होता है।
- यह सामान्यतः वित्त, कानूनी दस्तावेज, रजिस्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित होता है।



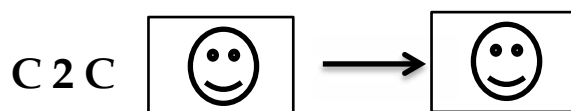
4. कन्ज्यूमर-टू-बिजनेस मॉडल-(Consumer to Business)

- यह मॉडल बिजनेस टू कन्ज्यूमर मॉडल के विपरीत हैं।
- इसमें लेनदेन, व्यक्ति व व्यवसाय के बीच होता है। जैसे एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाने हेतु या कोई काम कराने हेतु आनलाइन किसी व्यक्ति को ऑर्डर देती है और उसी व्यक्ति द्वारा वेबसाइट बनाया जाता है, तो यह कन्ज्यूमर-टू-बिजनेस मॉडल कहलाता है।



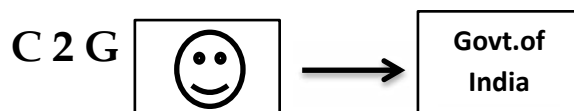
5. कन्ज्यूमर-टू-कन्ज्यूमर मॉडल- (Consumer to consumer Model)

- इसमें लेनदेन दो व्यक्तियों के बीच होता है।
- जैसे- क्विकर, ई-बे, ओएलएक्स जैसी साइट पर एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति को कोई उत्पाद या सेवा बेचता है।



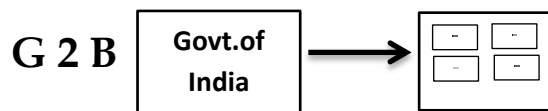
6. कन्ज्यूमर-टू-गवर्नमेंट मॉडल-(Consumer to Government Model)

- इसमें उपभोक्ता व सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन शामिल किए जाते हैं। जैसे - ऑनलाइन पढ़ाना, ई-नाम, इत्यादि।



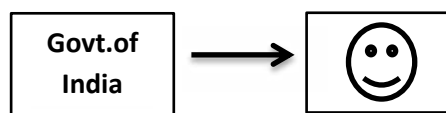
7. गवर्नमेंट-टू-बिजनेस मॉडल -(Government to Business Model)

- इसमें लेनदेन कंपनी व सरकार के बीच ऑनलाइन माध्यम से होता है।



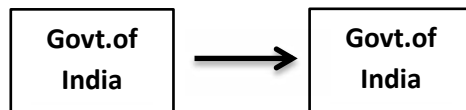
8. गवर्नमेंट-टू- कन्ज्यूमर मॉडल -(Government to Consumer Model)

- इसमें सरकार व उपभोक्ताओं के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन शामिल किए गए हैं जैसे - ई-मित्र, ई-न्यायालय, ई-मतदान।



9. गर्वमेंट-टू- गर्वमेंट मॉडल –(Government to Government Model)

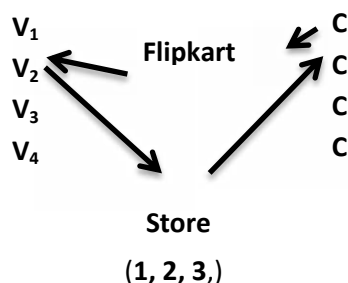
इसमें सरकार व सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रानिक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
जैसे – केंद्र द्वारा राज्य को ऑनलाइन वित्त का भुगतान।



☑ भारत में 3 प्रकार के ई-कॉमर्स व्यवसाय हैं-

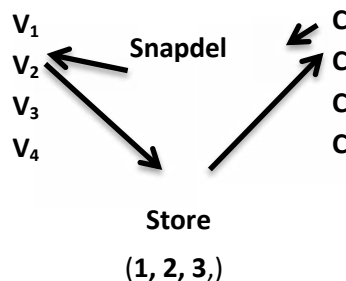
1. Inventory base Model of E-Commerce-

यह एक ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि या व्यवसाय है जहां वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंटरी का स्वामित्व ई-कॉमर्स कंपनी के पास होता है। और वह इसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है।



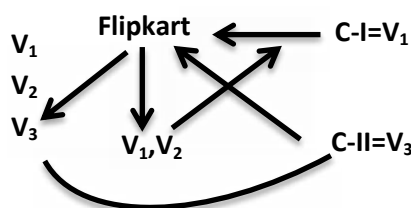
2. Market Place Base Model of E-Commerce -

इसका मतलब खरीददार और विक्रेता के बीच एक सुविधा के रूप में काम करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का मंच प्रदान किया जाता है। जैसे – Snapdel।



3. Hybrid Model :-

यह इन्वेन्टरी मॉडल व मार्केट प्लेस मॉडल दोनों से बना है। जैसे – अमेजन, फ्लिपकार्ट।



ई-कॉमर्स के लाभ

❖ उपभोक्ताओं को निम्न-लाभ होते हैं-

1. कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होती है।
2. किसी भी देश से वस्तु व सेवाएं आसानी से मंगवाई जा सकती हैं।
3. किसी भी समय किसी भी स्थान से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
4. उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त होता है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
5. रिव्यू रेटिंग तथा फीडबैक की सुविधा उपलब्ध होती है।

❖ व्यापारियों को होने वाले लाभ -

1. व्यापार की पहुँच बढ़ती है।
2. व्यापार की लागत कम होती है।
3. अवसंरचनाओं के निर्माण की लागत कम होती है।

❖ सरकार को होने वाले लाभ -

1. निवेश आकर्षित होता है, विशेषकर विदेशी निवेश।
2. रोजगार के अवसर सर्जित होती है।
3. सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है। क्योंकि कर चोरी संभव नहीं हो पाती।
4. आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है।

ई-कॉमर्स की चुनौतियाँ

1. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना।(नेट न चलने पर।)
2. डिजिटल साक्षरता का अभाव।(फिसिंग)
3. वित्तीय समावेशन की अपूर्णता।
4. छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।
5. ऑनलाइन धोखाधड़ी।(खराब उत्पाद, पैसों की ठगी।)
6. प्रभावी सरकारी नीतियों व कानूनों का अभाव।

बेरोजगारी

- वह अवस्था जिसमें श्रमबल का एक भाग काम करने की इच्छा तथा योग्यता रखता है, परन्तु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता, बेरोजगारी कहलाती है।
- ☑ **श्रमबल** — 15 से 59 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति जो काम करने की इच्छा व योग्यता रखता हो, श्रमबल कहलाता है।
- ☑ **कार्यबल**— श्रमबल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका हो, कार्यबल कहलाता है।

$$\text{बेरोजगारी} = \text{श्रमबल} - \text{कार्यबल}$$

बेरोजगारी के प्रकार

1. स्वैच्छिक बेरोजगारी :—

- यदि श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति नियत मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार ना हो, तो इसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं।
- ऐसा तब होता है, जब व्यक्ति को क्षमता अनुसार काम या वेतन नहीं मिलता है। अतः इसका संबंध गरीबी से नहीं होता है।

2. अनैच्छिक बेरोजगारी :—

- श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति यदि नियत मजदूरी से कम पर भी काम करने को तैयार है, परन्तु इसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिले, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है।
- यह बेरोजगारी गरीबी से प्रत्यक्ष संबंधित होती है।

☑ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रकार —

1. घर्षण जनित बेरोजगारी —

- श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करता है, तो बीच के समय में जब वह बेरोजगार रहता है, इस बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं।
- लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नहीं है।
- मुद्रास्फीति बढ़ने पर यह बेरोजगारी बढ़ती है।

2. चक्रीय बेरोजगारी :—

- अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण विशेषकर मंदी की परिस्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है।

3. अल्प बेरोजगारी :-

- जब श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर कार्य कर रहा हो, परन्तु उसे क्षमता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं हो, तो इसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है।

4. शिक्षित बेरोजगारी :-

- जब दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आर्थिक अवसरों की कमी या बेहतर रोजगार की तलाश में शिक्षित युवा बेरोजगार होता है, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं।

5. संरचनात्मक बेरोजगारी :-

- अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी संपन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।

अर्थव्यवस्था की संरचना**6. तकनीकी बेरोजगारी :-**

- उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नयी मशीनों से उत्पादन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे—रोबोट, मशीनें।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के प्रकार :-**1. प्रच्छन्न/अदृश्य/छद्म/छिपी बेरोजगारी :-**

- इसके तहत श्रमबल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को रोजगार तो प्राप्त हो जाता है, परन्तु उसके श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसा जरूरत से ज्यादा श्रमिकों के नियोजन से होता है।
- यहां सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य यह है कि एक अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता शून्य के बराबर हो। यह कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है।
- जैसे — खेत में 10 किसान भाई तो भी 40 क्विंटल
खेत में 11 किसान भाई तो भी 40 क्विंटल (छिपी हुई बेरोजगार)

2. मौसमी बेरोजगारी :-

- जब व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त हो, तथा इसके पश्चात् वे बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कृषि, कपड़ा, उद्योग, ज्यूस इत्यादि के श्रमिक मौसमी बेरोजगारी के कारण समय विशेष में बेरोजगार हो जाते हैं।

बेरोजगारी के कारण

1. तीव्र जनसंख्या वृद्धि से अवसरों में कमी।
2. संसाधनों की कमी से रोजगार सृजन की दर कम होना। (जैसे—फंड, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन)
3. आधारभूत ढांचा कमजोर होने के कारण उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए अर्थात् औद्योगीकरण का अभाव विशेषकर एमएसएमई का विकास न होना।
4. कृषि का पिछड़ापन व मानसून की विसंगति। (बादल फटना, बाढ़ आना सूखा पड़ना।)
5. आर्थिक संवृद्धि का धीमा होना। (उत्पादकता में कमी जिसके कारण जीडीपी में कमी)
6. रोजगार विहीन संवृद्धि।
7. उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम। (सार्वजनिक सेवाओं में कमी के कारण सरकारी नौकरी में कमी)
8. बेरोजगारी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार।
9. शिक्षा का स्तर अत्यंत कमजोर है, सभी लोग शिक्षित भी नहीं हैं।
10. शिक्षण संस्थानों में बाजार आधारित कौशल उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देखी जाती है।
11. उद्यमशीलता का अभाव।
12. भारत में अधिकतर लोग Jobseeker है, परन्तु रोजगार प्रदान करने वालों की संख्या बहुत कम है।

भारत में बेरोजगारी का मापन

❖ भारत में बेरोजगारी की गणना – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है।

❖ इसकी गणना तीन प्रकार से की जाती है—

1. सामान्य स्थिति बेरोजगारी।
2. साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी।
3. दैनिक स्थिति बेरोजगारी।

1. सामान्य स्थिति बेरोजगारी :—

- यह उन लोगों की संख्या है, जिन्हें पूरे वर्ष भर कौशल स्तर के अनुसार काम नहीं मिला।
- इस प्रकार यह बेरोजगारी दीर्घकालिक/वार्षिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है।
- इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से 185 दिन या उससे अधिक दिन रोजगार में नियोजित है, तो उसे कार्यबल में माना जाता है। और यदि वह 183 दिनों से रोजगाररत नहीं है, तो उसे वर्क फोर्स से बाहर माना जाता है।

2. वर्तमान साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी :—

- ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे सप्ताह कार्य नहीं मिला।
- इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 7 दिनों में से 1 घंटे भी काम प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो उसे बेरोजगार मान लिया जाता है।

3. दैनिक स्थिति बेरोजगारी :-

- यह उन लोगों की संख्या बताती है, जिन्हें किसी दिन 1 घंटे से अधिक एवं 4 घंटे से कम काम प्राप्त होता है, तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाएगा। और 4 घंटे से अधिक काम करने पर वह व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा।

नोट :-

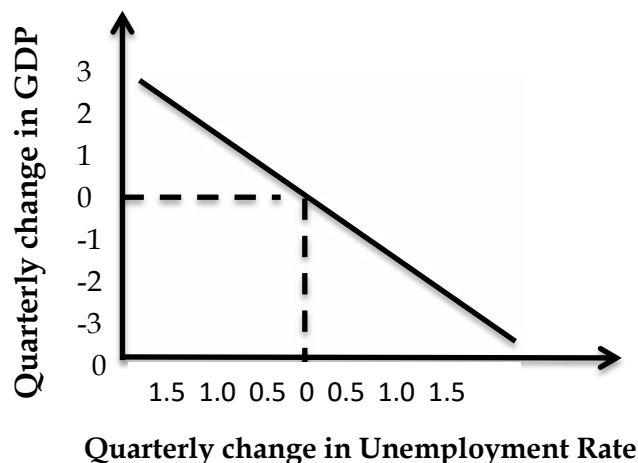
1. दैनिक स्थिति बेरोजगारी, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है।
2. मानक मानव वर्ष – यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से 273 दिनों तक रोजगार प्राप्त होता है, तो इसे मानक मानव वर्ष कहते हैं।

$$\text{मानक मानव वर्ष} = 8 \text{ घंटें} \times 273 \text{ दिन}$$

3. बेरोजगारी के आँकड़ें एनएसओ द्वारा 'आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण' में जारी किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण को एनएसओ त्रैमासिक आधार पर जारी करता है। इसे अप्रैल, 2017 में शुरू किया गया था। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत रही है।

☑ ओकुन का नियम:-

- यह किसी देश की विकास दर व बेरोजगारी दर के बीच संबंध बताता है।
- इन दोनों में विपरीत/नकारात्मक संबंध पाया जाता है।
- ओकुन के नियम के अनुसार यदि किसी देश की जीडीपी में 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1 प्रतिशत की कमी होती है।
- इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उस देश की जीडीपी में लगभग 3 प्रतिशत की कमी होगी।



बेरोजगारी निवारण के उपाय

1. उत्पादन में वृद्धि करके।
2. जनसंख्या नियंत्रित करके।
3. बचत को प्रोत्साहित करके। (बैंक, शेयर)
4. एमएसएमई को बढ़ावा देकर।
5. स्वरोजगार को बढ़ावा देकर।
6. शैक्षणिक सुधार करके अर्थात् व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करके।
7. बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए तथा उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देकर। (जैसे – अमूल)
9. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देकर।
10. श्रम आधारित तकनीक को बढ़ावा देकर।
11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर।
12. निर्यात को बढ़ावा देकर।

बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना :-

- घोषणा— 15 अगस्त, 2023
- शुरुआत— 17 सितम्बर, 2023
- प्रकार — केंद्रीय योजना।
- मंत्रालय— सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय।
- समयावधि— 5 वर्ष। (2023–2024 से 2027–2028 तक।)
- कुल बजट :- 13,000 करोड़ रु.
- टैगलाइन — 'एक परिवार—एक व्यक्ति'।
- **लाभार्थी** :- लुहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, नाव बनाने वाले, मोची, दर्जी, नाई, ताला बनाने वाले, कपड़े धोने वाले जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगर तथा शिल्पकार, विश्वकर्मा योजना में शामिल हैं।
- इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं।
- **लाभ**:- 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपये की दूसरी किस्त की ऋण सहायता। यह ऋण बिना गारंटी का होगा।
- इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए 300 रु. प्रतिदिन और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रु. का अनुदान भी दिया जाएगा।

2. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना:-

- प्रारंभ — 1 जून, 2020 को।
- मंत्रालय — आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- उद्देश्य :- छोटे दुकानदारों और फेरी वालों अर्थात् रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना।
- पूर्ण नाम — प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि
- वित्तीय सहायता:-
 - प्रथम किस्त — रु. 10,000
 - द्वितीय किस्त — रु. 20,000
 - तृतीय किस्त — रु. 50,000
- इस पूँजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है, इसके बदले किसी भी प्रकार की जमानत/कॉलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी।

3. स्किल इंडिया (कौशल भारत):-

- शुरुआत — 15 जुलाई, 2015
- उद्देश्य — भारत में कामगारों का कौशल विकास बढ़ाने हेतु तथा भारत को क्षमता निर्माण का केंद्र बिन्दु बनाने के लिए।
- नोट— बजट 2023-24 में स्किल इंडिया 4.0 की घोषणा की गई। इसके तहत युवाओं को औद्योगिक क्रांति 4.0 की ट्रेनिंग दी जाएगी।

4. उस्ताद योजना:-

- शुरुआत:- 14 मई, 2015 को (वाराणसी, उत्तरप्रदेश से)
- मंत्रालय — अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय।
- उद्देश्य — अल्पसंख्यक समुदाय में पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को कौशल विकास व प्रशिक्षण देने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई।

5. मनरेगा :- (MNAREGA)

- शुरुआत — 2 फरवरी, 2006 (आंध्रप्रदेश से)
- अधिनियम पारित — 2005 में संसद द्वारा।
- 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया।

☑ **मनरेगा के प्रावधान :-**

1. यह कानून ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
2. यह कानून किसी वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार (वैसे सभी वयस्क सदस्यों को) जो अकुशल श्रम को तैयार हो, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। (सूखा प्रभावित व जनजातीय प्रदेशों में 150 दिन)
नोट – राजस्थान में क्रमशः 125 दिन व 200 दिन।
3. इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।
4. यह कानून रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू किया गया है।
5. रोजगार पाने के लिए आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा। यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।
6. रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध कराना होगा। यदि इससे अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध है, तो उसे परिवहन भत्ता दिया जाएगा।
7. इसके अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे बांधों, जोहड़ों, तालाबों की खुदाई, गांव में सड़क आदि के निर्माण, पेड़-पौधे लगाना जैसे काम किए जाते हैं।

☑ **मनरेगा के लाभ :-**

1. रोजगार में वृद्धि।
2. महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन। (बैंक में खाता खुलने से)
3. न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता।
4. रहन-सहन के स्तर में सुधार।
5. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

सब्सिडी

➤ सब्सिडी से तात्पर्य सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से हैं।

अथवा

आर्थिक शब्दों में किसी उत्पाद की आर्थित लागत एवं विक्रय मूल्य के अंतर को यदि सरकार द्वारा वहन किया जाए तो उसे सब्सिडी कहा जाता है।

➤ उद्देश्य :-

1. सामाजिक न्याय को बढ़ाने हेतु।
2. आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने हेतु।
3. बाजार के असंतुलन को दूर करने हेतु।
4. निर्यात को बढ़ाने हेतु।
5. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए।

नोट:- बजट 2024-25 में सब्सिडी के लिए प्रावधान कुल बजट का 6 प्रतिशत रखा गया है।

❖ भारत में सब्सिडी निम्नलिखित के लिए दी जाती है। (घटते क्रम में)

1. खाद्य वस्तुओं की सब्सिडी (सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे-मिल, अंत्योदय अन्न योजना।)
2. उर्वरक सब्सिडी। (यूरिया, पोटाश)
3. ईंधन सब्सिडी। (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)
4. सरकारी सेवाएँ- शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के लिए।
5. प्रोत्साहन सब्सिडी। (कर में छूट, ब्याज में छूट, विशेष आर्थिक क्षेत्र में छूट, पीआईएल स्कीम, एमएसपी के लिए सब्सिडी, स्टार्टअप को सब्सिडी)

❖ सब्सिडी के प्रकार :-

1. **सामाजिक सब्सिडी** :- सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी सामाजिक सब्सिडी कहलाती हैं।
उदाहरण-वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, गरीबों को खाद्यान्न आदि।
2. **आर्थिक सब्सिडी** :- आर्थिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी, आर्थिक सब्सिडी कहलाती है।
उदाहरण-स्टार्टअप के लिए सब्सिडी, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए सब्सिडी, किसानों को एमएसपी सब्सिडी, ब्याज अनुदान, E.V. पर सब्सिडी, मशीनों आदि पर सब्सिडी।
3. **प्रत्यक्ष सब्सिडी** :- वह सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाती है। यदि यह सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है तो उसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहा जाता है। जैसे- एलपीजी सब्सिडी।

4. **अप्रत्यक्ष सब्सिडी** :—ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख नहीं किया जाता है तथा लाभार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है।
उदाहरण— आयात—निर्यात पर, ऋण पर, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी, अनुसंधान एवं विकास पर, तकनीक पर दी गई सब्सिडी इत्यादि।
5. **मेरिट सब्सिडी** :— ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ समाज के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। सामान्यतः इसका संबंध या इसका लाभ गरीबों को होता है।
उदाहरण— निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क रेलवे किराया इत्यादि।
6. **गैर-मेरिट सब्सिडी** :—ऐसी सब्सिडी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है अर्थात् इसका लाभ व्यक्ति विशेष को होता है। सामान्यतः इसका लाभ अमीरों को होता है।
उदाहरण— पेट्रोल, डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी।
7. **खाद्यान सब्सिडी** —ऐसी सब्सिडी जो कम कीमत पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है, खाद्य सब्सिडी कहलाती है।
उदाहरण —सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे-मिल, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना इत्यादि।

❖ सब्सिडी के लाभ :—

1. गरीबों व वंचित वर्गों का कल्याण।
2. संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है।
3. सामाजिक—आर्थिक न्याय बढ़ता है।
4. गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएँ कम होती हैं।
5. यह निर्यात को बढ़ाती है।
6. मुद्रास्फीति/मंदी में नागरिक उद्योगों को सहायता।
7. राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सुनिश्चित।

❖ सब्सिडी के सकारात्मक पहलू :—

1. सब्सिडी कमजोर व वंचित वर्ग के कल्याण को बढ़ाती है।
2. सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करती है।
3. संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करती है।
4. सब्सिडी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है।
5. आर्थिक सब्सिडी उत्पादकों को उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करती है।
6. मुद्रास्फीति तथा मंदी से देश के नागरिकों व उद्योगों को संरक्षण मिलता है।
7. राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सुनिश्चित होता है।
8. सब्सिडी निर्यात को बढ़ाती है।

❖ सब्सिडी की चुनौतियाँ:-

1. सब्सिडी, राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा बढ़ाती है।
2. सब्सिडी डेट-जीडीपी अनुपात को बढ़ाती है।
3. सब्सिडी लीकेज की समस्या।
4. प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चुनौती।
5. सार्वजनिक पूँजी निर्माण प्रभावित होता है। जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, विद्यालय आदि।
6. सब्सिडी के कारण वंचित वर्ग के लोग सब्सिडी के कारण स्वावलम्बी नहीं बन पाते हैं और हमेशा सरकार पर निर्भर होते हैं।
7. सब्सिडी, बाजार प्रतिस्पर्धा के नियमों के विरुद्ध मानी जाती है।

नोट:-

JAM-

J - जनधन

A - आधार

M - मोबाइल नम्बर त्रिकोण

DBT-Direct Benefit Transfer

शुभारंभ – 1 जनवरी, 2013 को।

उद्देश्य— सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए दी गई सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचाना एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करना।

डीबीटी की महत्वपूर्ण योजनाएँ:-**1. पहल योजना:-**

शुरुआत— 1 जनवरी, 2015 को।

एलपीजी गैस सिलेण्डर सब्सिडी से संबंधित।

2. पीएम किसान :-

शुरुआत – 24 फरवरी, 2019 को।

किसानों को सालाना 6,000 रु. प्रदान करना।

प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपये।

उद्योग

- ❖ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- ❖ उद्योगों के प्रकार
- ❖ औद्योगिक नीतियाँ
- ❖ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण
- ❖ उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएँ

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Produching-IIP)

- यह किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में किसी खास अवधि में उत्पादन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' द्वारा इस सूचकांक के आंकड़े हर माह जारी किए जाते हैं।
- ये आंकड़े आधार वर्ष के मुकाबले उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी के संकेत देते हैं।
- इसका आधार वर्ष 2011–2012 है।
- यह सूचकांक उद्योग क्षेत्र में हो रही संवृद्धि को बताने का सबसे सरल तरीका है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक— विनिर्माण, खनन तथा विद्युत क्षेत्र की 407 वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर मापा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा भारांश विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया है।

क्षेत्र	भारांश
विनिर्माण	77.63 प्रतिशत
खनन	14.37 प्रतिशत
विद्युत	7.99 या 8 प्रतिशत

- उपयोग के आधार पर इन 407 मदों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है—

6 भाग	मदें (407)	भारांश (प्रतिशत में)
1. प्राथमिक या बुनियादी वस्तुएं	15(न्यूनतम)	34.1 (सर्वाधिक)
2. पूँजीगत वस्तुएं	67(सर्वाधिक)	8.2(न्यूनतम)
3. मध्यस्थ वस्तुएं	110	17.2
4. विनिर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुएं	29	12.3
5. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	86	12.8
6. गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	100	15.3

❖ कोर उद्योग:-

- आठ प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है।
- ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनके विकास से अन्य उद्योगों का विकास होता है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन कोर उद्योगों का भारांश 40.27 प्रतिशत है।

1.	रिफाइनरी उत्पाद	28.04%
2.	विद्युत	19.85%
3.	स्टील/इस्पात	17.92%
4.	कोयला	10.33%
5.	कच्चा तेल	8.98%
6.	प्राकृतिक गैस	6.88%
7.	सीमेंट	5.37%
8.	उर्वरक	2.63%

उद्योगों के प्रकार**1. कुटीर उद्योग :-**

- ये उद्योग पारिवारिक स्तर पर लगाए जाते हैं।
- इनका स्वामित्व परिवार के पास ही होता है।
- इनमें निवेश बहुत कम किया जाता है। तथा तकनीक का प्रयोग भी नाम मात्र होता है।
- इनमें काम करनेवाले श्रमिक स्थाई वेतन भोगी श्रमिकों के बजाय परिवार के सदस्य ही होते हैं।
- उदाहरण— पेंटिंग, रुई की धुनाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, गुड़, अचार, पापड़, जैम व मसाले आदि खाद्य वस्तुएँ, चमड़ें के उत्पाद, ईट-भट्टी का काम, कागज के थैले, बाँस की टोकरीयाँ का निर्माण आदि कुटीर उद्योग इत्यादि।

2. ग्राम उद्योग :-

- यह उद्योग ग्राम स्तर पर लगाए जाते हैं।
- जहाँ जनसंख्या 10,000 से कम हो।
- इनमें निवेश लगभग 15,000 तक होता है।

नोट:-

- कुटीर एवं ग्राम उद्योग के विकास के लिए 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' की स्थापना वर्ष 1956 ई. में की गई।
- मुख्यालय – नई दिल्ली।

3. लघु उद्योग :-

- इन्हें सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योग भी कहा जाता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार इसकी परिभाषा प्लांट/सयंत्र एवं मशीनरी में किए गए निवेश के आधार पर दी गई थी।
- इसके अनुसार इन उद्योगों को विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दो भागों में बांटा गया—

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME)			
वस्तु/विनिर्माण		सेवा	
क्षेत्र	निवेश	क्षेत्र	निवेश
सूक्ष्म	25 लाख से कम निवेश।	सूक्ष्म	10 लाख तक निवेश।
लघु	25 लाख से 5 करोड़ तक।	लघु	10 लाख से 2 करोड़ तक।
मध्यम	5 करोड़ से 10 करोड़ तक निवेश।	मध्यम	2 करोड़ से 5 करोड़ तक।

- 1 जुलाई, 2020 को एमएसएमई की नई परिभाषा:-

	क्षेत्र	निवेश (प्लांट व मशीनरी में)	वार्षिक टर्नओवर
1.	सूक्ष्म	1 करोड़ तक। (इससे अधिक नहीं।)	5 करोड़ तक। (इससे अधिक नहीं।)
2.	लघु	1-10 करोड़ तक।	5 करोड़ से 50 करोड़ तक।
3.	मध्यम	10-50 करोड़ तक।	50 करोड़ से 250 करोड़ तक।

➤ **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लाभ :-**

- यह उद्योग समावेशी विकास को बढ़ाते हैं।
- इन उद्योगों से कुशल व अकुशल दोनों को रोजगार मिलता है।
- कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार इन उद्योगों से ही प्राप्त होता है।
- लोकेशनल एडवांटेज का फायदा मिलता है अर्थात् 'एक जिला-एक उत्पाद' के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
- उद्योगों का विकेंद्रीकरण।
- निर्यात में बड़ा योगदान। (40-45%)
- सकल मूल्य वर्धन में बड़ी हिस्सेदारी।
- महंगाई नियंत्रण में भूमिका।
- इन उद्योगों के कारण मानव गाँवों से शहरों की ओर प्रवासन करता है।

➤ **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की चुनौतियाँ :-**

- इनकी लागत ज्यादा होती है क्योंकि नकनीकी पिछड़ापन महंगा, असंगठित क्षेत्रों का कर्ज, अकुशल श्रमिकों से उत्पादन के कारण उत्पादकता कम होना तथा भंडारण इत्यादि के लिए गोदाम आदि का अभाव।
- आधारभूत संरचना का अविकसित होना, बिजली संकट, यातायात संकट आदि का होना। (बैंक, बीमा का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव।)
- वैश्वीकरण का प्रभाव—1990 के बाद जब भारत में LPG को लागू किया गया, तो इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ने लगा।
- इन उद्योगों में अपेक्षाकृत कम निवेश।
- उद्यमशीलता का अभाव।

औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएँ

1. मेक इन इंडिया —

शुरुआत — 25 सितम्बर, 2014

उद्देश्य — भारत को विनिर्माण क्षेत्र का वैश्विक हब बनाना।

भारत को एक आदर्श निवेश स्थल के रूप में स्थापित करना।

2. स्टार्टअप इंडिया —

➤ शुरुआत — 16 जनवरी, 2016

➤ परिभाषा — नए क्षेत्र में या नए तरीकों से स्थापित उद्यम को स्टार्टअप कहा जाता है।

➤ जैसे — अंतरिक्ष क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोप्रिंटिंग, 3 डी प्रिंटिंग, फ्यूल आदि क्षेत्रों में।

स्टार्टअप के प्रकार :-

1. **मिनिकॉर्न** – ऐसी कंपनी जिसका मूल्य 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो।
2. **यूनीकॉर्न** – ऐसी कंपनी जिसका मूल्य बढ़कर 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो।
3. **डेकाकॉर्न** – ऐसे स्टार्टअप जिनको मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया हो।
उदाहरण – फिलपकार्ट, स्वीगी।
4. **हैक्टाकॉर्न** – ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया हो।
उदाहरण – गूगल, माइक्रोसाफ्ट, फेसबुक।

नोट :-

1. चिंकारा स्टार्टअप – 3 वर्ष में यूनीकॉर्न बन जाए।
2. चीता स्टार्टअप – 5 वर्ष में यूनीकॉर्न बन जाए।

स्टार्टअप इंडिया की मुख्य विशेषताएँ :-

1. 3 वर्ष तक आय कर व निगम कर नहीं चुकाना पड़ता।
2. 90 दिनों के अन्दर कारोबार से बाहर निकल सकते हैं।
3. अटल इनोवेशन मिशन के तहत ट्रेनिंग, तथा प्रत्येक राज्य में में इन्क्यूबेशन सेन्टर्स द्वारा सहायता दी जाती है।

राजस्थान का इन्क्यूबेशन सेन्टर – झालाना डूंगरी, जयपुर।

4. पेटेंट शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट मिलती है।
5. 5 वर्ष तक सरकारी अधिकारी निरीक्षण हेतु नहीं आएगा।
6. स्व-प्रमाणन की सुविधा।
7. स्टार्टअप मोबाईल एप या स्टार्टअप वेब पोर्टल से पंजीकरण।
8. बड़े स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ तक की सहायता।

नोट :-

1. स्टार्टअप में भारत, अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।
2. प्रतिवर्ष 16 जनवरी के दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है।

3. स्टैंड अप इंडिया :-

शुरुआत :- 5 अप्रैल, 2016

उद्देश्य :- एससी/एसटी व महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना।

लक्ष्य :- इसके तहत उपर्युक्त श्रेणी के उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रु. तक का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना :-

- शुरुआत — 2020 में।
 क्षेत्र — इस योजना में 14 उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया।
 कुल बजट — 1.97 लाख करोड़।
 समयावधि — 6 वर्ष
 लक्ष्य — उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना जिन क्षेत्रों से भारत अभी तक आयात करता है।
 लाभ — भारत में निवेश बढ़ेगा।
 इन 14 क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बनेंगे।
 निर्यात एवं भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ेगा।

5. डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना :-

- शुरुआत — जून, 2022
 उद्देश्य — भारत में चिप विनिर्माण तथा SG उत्पादों का विनिर्माण करवाना।

6. पीएम-मित्र योजना (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल रीजन एंड अपेरल)

PM-MITRA = Prime Minister Mega Integrated Textile & Apparel.

- शुरुआत — बजट 2021-22 से।
 बजट — 4,445 करोड़।
 अवधि — 2027 तक।
 मंत्रालय — वस्त्र मंत्रालय।
 उद्देश्य — भारत के वस्त्र उद्योगों को बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराना।
 भारत के वस्त्र उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ाना।
 वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन व निवेश आकर्षित करना।

भारत में 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित होंगे —

1. तमिलनाडु
2. कर्नाटक
3. तेलंगाना
4. महाराष्ट्र
5. गुजरात
6. मध्यप्रदेश
7. उत्तरप्रदेश

सहायता — ग्रीन फील्ड पार्क(बिल्कुल नयी जगह पर) के विकास हेतु 500 करोड़ रु.।
 ब्राउन फील्ड पार्क (पहले से बने हुए) हेतु अधिकतम 200 करोड़ रु.।

7. स्किल इंडिया 4.0 :-

- घोषणा — 2023-24 के बजट में ।
- अवधि — तीन वर्ष ।(2024-2027)
- प्रावधान — देश में 30 स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करना । जहां रोबोटिक्स, उद्योग 4.0, आईओटी, ड्रोन प्रशिक्षण जैसे विषय शामिल होंगे ।

8. लखपति दीदी योजना :-

- घोषणा — 15 अगस्त, 2023
- उद्देश्य —
 - 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना ।
 - स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
 - ग्रामीण महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रु. की आय के योग्य बनाना ।
- वित्तीय सहायता — योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रु. का ऋण प्रदान किया जाता है ।
- योग्यता — इसके लिए महिला को अपने राज्य में किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने की आवश्यकता होगी ।
इस योजना के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है ।

लखपति दीदी योजना (राजस्थान)-

- शुरुआत — 23 दिसम्बर, 2023
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम है
- राजस्थान राज्य में 11.24 लाख महिलाओं को लाभ देना है ।
- महिलाओं को बिना ब्याज रु. 5 लाख तक का ऋण प्रदान करना ।
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और सक्रिय रूप से स्वयं सहायता समूहों में शामिल होना चाहिए ।

9. महारत्न योजना :-

- शुरुआत** — 2010 ई. में
- उद्देश्य** — बड़ी PSUs को स्वायत्ता देकर अपने कारोबार का विस्तार करना । तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना ।
- लाभ** — महारत्न कंपनियाँ बिना सरकार की अनुमति के अपने निवल मूल्य के 15% या रु. 5,000 करोड़ तक घरेलु और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण या निवेश कर सकती है ।

महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक मापदंड –

1. नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
2. भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।
(सरकारी कंपनी होने पर 51 प्रतिशत अंश सरकार का होना चाहिए।)
3. गत 3 वर्षों का टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए।
4. गत 3 वर्षों का नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए।
5. गत 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ होना चाहिए।
6. कंपनी की व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए।

वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है—

1. BHEL - BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
2. GAIL - GAS AUTHORITY OF INDIA LIMITED
3. SAIL - STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
4. IOCL - INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
5. HPCL - HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
6. BPCL - BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
7. ONGC - OIL & NATURAL GAS LIMITED
8. NTPC - NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION
9. CIL - COAL INDIA LIMITED
10. PGCIL - POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
11. PFCL - POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
12. RECL - RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
13. OIL - OIL INDIA LIMITED (3 AUGUST, 2023- ASSAM)
14. HAL - HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED (OCTOBER 2024)

10. विशेष आर्थिक क्षेत्र :- (SEZ- Special Economic Zone)

- विशेष आर्थिक क्षेत्र देश में स्थित एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है, जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं।
- इसे आर्थिक रूप से विदेशी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।
- यह एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र (जहां हर तरह की सुविधा हो।) होता है। यहां पर उत्पादन हेतु निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है।
- इसमें किए गए उत्पादन में कर में छूट होती है, बशर्ते कि किए गए उत्पादन का 100 प्रतिशत निर्यात करें।

- यदि किए गए उत्पादन को घरेलु बाजार में बेचा जाता है तो उसे आयात समझा जाएगा और उस पर सीमा शुल्क लगेगा।

➤ उद्देश्य –

1. निर्यात को बढ़ाना।
2. निवेश को आकर्षित करना। (विदेशी व घरेलु दोनों कंपनी को।)
3. रोजगार में वृद्धि करना।
4. आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना।
5. अवसंरचना सुदृढ़ (बैंक, सड़क, बीमा) करना।

नोट :- भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा चीन से अपनाई है। (वर्ष 2000 ई. में)

विशेष आर्थिक क्षेत्रों से लाभ :-

1. इनमें अप्रत्यक्ष कर में छूट होती है। (100 प्रतिशत-जीएसटी, VAT, सीमा शुल्क आदि।)
2. प्रत्यक्ष करों में पहले 5 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट व अगले 5 वर्षों तक 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
3. 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति।
4. सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण।
5. श्रम कानूनों में छूट।

राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र :- 6

➤ जयपुर-

1. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड, जयपुर / महिन्द्रा सेज।
2. जैनपेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर / सीतापुरा सेज।
3. वाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड/वाटिका सेज।

➤ खैरथल-तिजारा –

4. सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड/खुशखेड़ा/टपुकड़ा/भिवाड़ी सेज।

➤ जोधपुर –

5. मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम, जोधपुर/बोरानाडा सेज

➤ बीकानेर –

6. आर. एन.बी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर।

औद्योगिक नीतियाँ

❖ देश में प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ इस प्रकार हैं—

1. प्रथम औद्योगिक नीति — 1948 ई. (श्यामा प्रसाद मुखर्जी मॉडल)
2. द्वितीय औद्योगिक नीति — 1956 ई. (नेहरू महालनोबिस मॉडल)
3. तृतीय औद्योगिक नीति — 1991 ई. (राव—मनमोहन सिंह मॉडल)

❖ प्रथम औद्योगिक नीति :—

- यह नीति 6 अप्रैल, 1948 ई. को जारी की गई।
- इसे डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई।
- इसमें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया।
- (प्रथम बार मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल देने वाले — जे. एम. किन्स)
- इसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है—

प्रथम श्रेणी के उद्योग —

- इसमें 3 उद्योगों को रखा गया, जिन पर सरकार का एकाधिकार था।
- ये सामरिक महत्व के उद्योग थे।
 1. अस्त्र—शस्त्र व युद्ध सामग्री।
 2. परमाणु ऊर्जा।
 3. रेलवे

द्वितीय श्रेणी के उद्योग —

- इसमें बुनियादी क्षेत्र के 6 उद्योगों को रखा गया।
- इसमें नए निजी निवेश की अनुमति नहीं थी।
- नया निवेश केवल सरकार द्वारा किया जा सकता था। किन्तु पहले से चले आ रहे निजी उद्योग को संचालन की अनुमति दी गई थी।
- यदि सरकार चाहे तो 10 वर्षों के बाद इनका राष्ट्रीयकरण कर सकती थी—
 1. कोयला
 2. लौह इस्पात
 3. वायुयान निर्माण
 4. जलयान निर्माण
 5. खनिज तेल
 6. टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण।

तृतीय श्रेणी के उद्योग –

- इसमें 18 उद्योगों को रखा गया था।
- ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित थे किन्तु इन पर सरकार का नियंत्रण था।
- जैसे— मशीन उपकरण, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि उद्योग।

चतुर्थ श्रेणी के उद्योग –

- शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।
- ये उद्योग निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुला था। अर्थात् इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था।
- सामान्यतः ये उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योग थे।
- निजी क्षेत्र अपनी इच्छा अनुसार इनका उत्पादन करते थे।

❖ द्वितीय औद्योगिक नीति :-

- इसे नेहरू-महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है।
- इसे 1956 ई. में प्रस्तुत किया गया था।
- इस नीति के तहत देश में पहली बार उद्योगों के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनायी गयी। जो अपने आप में पहली बार विस्तृत सुधार थे।
- इसे 'औद्योगिक नीतियों का मैग्नाकार्टा' या 'भारत का आर्थिक संविधान' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस औद्योगिक नीति में भी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी किन्तु इसका झुकाव समाजवाद की ओर था।
- इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया—

प्रथम श्रेणी के उद्योग :-

- इसमें कुल 17 उद्योग थे। जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण/एकाधिकार थे।
- इसमें मुख्यतः सुरक्षा, खनन, अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर, परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग थे, जिन पर सरकार का एकाधिकार था।
- इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से जाना जाता है।

द्वितीय श्रेणी के उद्योग :-

- इसमें 12 उद्योगों को शामिल किया गया।
- ये ऐसे उद्योग थे जिन पर पहल सरकार करेगी किंतु यदि संभव हुआ या जरूरत हुई तो निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी इन्हें विकसित किया जाएगा। जैसे— दवा, रसायन, उर्वरक इत्यादि।

तृतीय श्रेणी के उद्योग :-

- शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।
- इसमें केवल निजी क्षेत्र काम करते थे। किंतु सरकार के नियंत्रण में होते थे।
- स्थापना हेतु सरकार से लाइसेंस व परमिट लेना होता था तथा इनमें कोटा निर्धारित किया गया था और सरकारी इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण की शुरुआत की गई।
- इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना था।

कुछ प्रमुख उद्योग व उनकी स्थापना में सहयोगी देश—

1. भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़) — 1955 ई. में — सोवियत संघ रूस
2. राउरकेला इस्पात संयंत्र (ओडिशा) — 1959 ई. में — जर्मनी
3. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (प.बंगाल) — 1959 ई. में — यूनाईटेड किंगडम/ब्रिटेन
4. बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखण्ड) — 1964 ई. में — सोवियत संघ रूस

❖ तृतीय औद्योगिक नीति :-

- यह नीति 24 जुलाई, 1991 ई. को जारी की गई।
- इसे 'राव-मनमोहन मॉडल' भी कहा जाता है।
- इसे नई-औद्योगिक नीति भी कहा जाता है।
- इसमें लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज, तथा इंस्पेक्टर राज प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार प्रारंभ हुए थे।
- इसमें भी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है किन्तु झुकाव पूँजीवाद की ओर हो गया है।
- इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया—

प्रथम श्रेणी के उद्योग :-

- इसमें 3 उद्योग शामिल हैं जिन पर सरकार का एकाधिकार है—
 - परमाणु ऊर्जा
 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं उत्पाद
 - रेल सेवा।

द्वितीय श्रेणी के उद्योग :-

- इसमें 5 उद्योग शामिल किए गए हैं, जिनका उत्पादन तो कोई भी कर सकता है किन्तु इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है—
 1. एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ व शराब बनाना।
 2. सिगरेट, तंबाकू एवं तंबाकू से निर्मित उत्पाद।
 3. इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा उपकरण तथा एयरोस्पेस।
 4. बारुद, माचिस, औद्योगिक विस्फोट तथा प्रास्फोटक पयूज उद्योग।
 5. खतरनाक रसायन।

तृतीय श्रेणी उद्योग :-

- शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया है। जिनके उत्पादन के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- इस प्रकार, इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया।

कृषि

परिभाषा :- उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण प्रक्रियाएं कृषि कहलाती हैं।

वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्य पर योगदान-

क्षेत्र	भारत	राजस्थान
कृषि	17.66 %	26.72 %
उद्योग	27.62 %	28.21 %
सेवा	54.72 %	45.07 %

❖ अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व :-

1. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है जैसे- पीडीएस, अंत्योदय योजना आदि।
2. निर्यात में बड़ा योगदान।
3. रोजगार।
4. विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है जैसे-चीनी, कपड़ा, मिठाई, रबड़, शराब आदि।
5. यह सेवा क्षेत्र व उद्योग क्षेत्र के लिए बड़ा बाजार है जैसे- ट्रैक्टर, उन्नत बीज, उर्वरक, बैंक तथा बीमा।
6. सकल मूल्य वर्धन में बड़ा योगदान।
7. जैव ईंधन की प्राप्ति।
8. कृषि ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति का आधार होती है।
इसलिए महात्मा गाँधी जी ने कृषि को "भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व आत्मा" कहा था।

विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ

क्र.सं.	क्रांति का प्रकार	फसल नाम/विशेष
1.	हरित क्रांति (1966 ई.में)	- खाद्यान्न उत्पादन (गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी) - विश्व में हरित क्रांति का जनक— प्रोफेसर नॉर्मन ई.बोरलॉग - भारत में हरित क्रांति का जनक— डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन। (भारत रत्न-2023) - हरित क्रांति की शुरुआत—जी.बी.पंत कृषि विश्वविद्यालय (उत्तराखंड) - इसकी शुरुआत खरीफ फसल से की गई। - सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग— 1968 ई. में डॉ. विलियम गौड़ द्वारा।
2.	पीली क्रांति	तिलहन से संबंधित। (सरसों व सुरजमुखी)
3.	काली क्रांति	पेट्रोलियम उत्पादन, एथेनॉल(20%) का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा।
4.	नीली क्रांति	मत्स्य उत्पादन।
5.	भूरी क्रांति	चमड़ा, कोकोवा उत्पादन।
6.	स्वर्ण रेशा क्रांति	जूट उत्पादन।
7.	सुनहरी क्रांति	बागवानी उत्पादन।
8.	रजत रेशा क्रांति	कपास उत्पादन।
9.	रजत क्रांति	अण्डा व मुर्गी उत्पादन।
10.	धूसर क्रांति	उर्वरक उत्पादन।
11.	गुलाबी क्रांति	प्याज और झींगा मछली उत्पादन।
12.	लाल क्रांति	टमाटर और मांस उत्पादन।
13.	गोल क्रांति	आलु उत्पादन।
14.	श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड)	दुग्ध उत्पादन।

15.	बादामी क्रांति	मसाला उत्पादन।
16.	मीठी क्रांति	शहद एवं मधुमक्खी पालन उत्पादन।
17.	केसर क्रांति	केसर उत्पादन।
18.	इंद्रधनुषी क्रांति	इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है।

विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम

क्र. सं.	खेती का प्रकार	विशेष
1.	हाइड्रोपोनिक्स	जल में पौधों का उगाना। (मृदा रहित कृषि)
2.	एयरोपोनिक्स	पौधों को हवा में उगाना।
3.	एपीकल्चर	मधुमक्खी पालन।
4.	हॉर्टीकल्चर	बागवानी।
5.	फ्लोरीकल्चर	फूलों की खेती करना।
6.	ओलेरीकल्चर	सब्जियों के उत्पादन।
7.	पोमीकल्चर	फलों का उत्पादन।
8.	वर्टीकल्चर	अंगूर की खेती।
9.	वर्मीकल्चर	केंचुआ पालन।
10.	पीसीकल्चर	मत्स्य पालन।
11.	सेरीकल्चर	रेशम कीट पालन।
12.	मोरीकल्चर	रेशमकीट हेतु शहतूत उगाना।

❖ वर्तमान में कृषि से जुड़ी मुख्य समस्याएँ –

1. कृषि भूमि का छोटा आकार।
2. कृषि विपणन की समस्या।
3. उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव।
4. सिंचाई संसाधनों का अभाव।
5. उर्वरकों की समस्या।
6. आधुनिक मशीनों का अभाव।
7. कृषि ऋण की समस्या।
8. जोखिम कम करने के लिए बीमा की कमी।
9. अस्पष्ट भू आलेख।
10. किसानों की कम आय।
11. अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की असुविधा।

जोत के आधार पर किसानों का वर्गीकरण

	किसान	भूमि क्षेत्र(1 हैक्टेयर–4 बीघा)
1.	सीमांत किसान	1 हैक्टेयर से कम खेत।
2.	लघु किसान	1–2 हैक्टेयर तक का खेत।
3.	लघु, मध्यम किसान	2–4 हैक्टेयर तक का खेत।
4.	मध्यम किसान	4–10 हैक्टेयर तक का खेत।
5.	बड़े किसान	10 से ज्यादा हैक्टेयर का खेत।

कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ

1. अनुबंध खेती –

- इसके तहत कोई संस्था या कंपनी एक किसान या अनेक किसानों से समझौता करके कृषि कार्य करवाती है।
- अनुबंध आधारित कृषि में किसान न तो अपने लिए और न ही अपनी इच्छा से कृषि करता है बल्कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी के निर्देशानुसार कृषि कार्य करते हैं।

किसान

कंपनी

भूमि + श्रम

किराया + मजदूरी

2. सहकारी कृषि –

- जब अनेक छोटे-छोटे किसान अपनी छोटी जोतों को आपस में मिलाकर खेती करते हैं तो इसे सहकारी कृषि कहते हैं।

3. E-NAM (ई-नाम – इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) –

शुरुआत – 14 अप्रैल, 2016 को की गई।

मंत्रालय – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

उद्देश्य – किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना।

क्या है? – यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक टेड्रिंग पोर्टल है। जिससे 1389 से अधिक कृषि मंडिया ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं।

टैगलाइन – “उत्तम फसल-उत्तम ईनाम”

लाभ –

1. किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलेगा।
 2. यह समूहीकरण को रोकता है।
 3. किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- यद्यपि यह एक वर्चुअल बाजार है, लेकिन यह किसानों तथा व्यापारियों को देश की किसी भी कृषि मंडी में 209 कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं इससे संबंधित मुद्दे :-

परिभाषा – वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों की कुछ निश्चित फसलों (23) के उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार रहती है, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।

घोषणा – भारत सरकार द्वारा।

सिफारिश – कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा।

(CACP- Commission for Agriculture cost of Price)

- MSP, कानूनी अधिकार नहीं है।
- MSP, की घोषणा 22 फसलों के लिए हुई लेकिन लागू 23 फसलों के लिए की गई क्योंकि सरसों व तोरिया का MSP समान होता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वर्ष में 2 बार होती है—
 - जून में – खरीफ की बुवाई से पहले।
 - अक्टूबर में – रबी की बुवाई से पहले।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है—

7—खाद्यान	5—दालें	8—तेलीय पदार्थ	3 वाणिज्यिक फसलें
धान(चावल)	चना	मूंगफली	कच्चा कपास
गेहूँ	अरहर	सरसों	कच्चा जूट
जौ	मूंग	तोरी/तोरिया	नारियल, कौपरा
ज्वार	उड़द	सोयाबीन	
बाजरा	मसूर	सूरजमुखी	
मक्का		तिल	
रागी		कुसुम	
		नाइजर बीज	

❖ MSP का उद्देश्य :-

1. किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना।
2. किसानों को कीमत अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करना।
3. किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करना।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यानों की खरीद करना।

❖ MSP की आलोचना :-

1. राजकोषीय घाटा बढ़ता है।
2. सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया गया।
3. फल व सब्जियों को शामिल नहीं किया गया।
4. संपूर्ण उत्पादन नहीं खरीदा जाता है।
5. समय पर खरीद नहीं होती।
6. यह कानूनी अधिकारी नहीं है।
7. इसका अधिकतम लाभ गेहूँ व चावल तक ही है।
8. यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है।

नोट :-

उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)

- ✓ इसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई। इसका अनुमोदन भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है।
- ✓ उचित एवं लाभकारी मूल्य, सरकार द्वारा घोषित वह मूल्य है जिस पर चीनी मीलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है।
- ✓ देशभर में उचित एवं लाभकारी मूल्य का भुगतान –गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है।

❖ न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की विधियाँ –

1. A2 विधि
2. A2 + FL विधि
3. C2 विधि

1. A2 विधि –

- किसानों द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि।
- इसके अंतर्गत वह सम्पूर्ण लागत आती है, जिसका भुगतान किसानों के द्वारा किया जाता है।
- इसे स्पष्ट लागतें कहा जाता है।

2. A2+FL विधि–

- FL –पारिवारिक श्रम लागत।
- $A2+FL = \text{मिट्टी तैयार करने की लागत} + \text{बीज} + \text{उर्वरक} + \text{कीटनाशक} + \text{सिंचाई} + \text{श्रम पारिवारिक श्रम लागत}$ ।

3. C2 विधि – (Comprehensive Cost) समग्र लागत।

- $A2 + FL + \text{Rent on land owned} + \text{Intrest on Owned capital} = C2$
- इससे कृषि उत्पादन की सबसे सही लागतें निकलती हैं।

A2 विधि		A2+FL विधि	C2 विधि
कृषि आगते		A2+FL+50% Profit	समग्र लागत
1.	जुताई	(1000+500+750=2250)	(Rent+Wages+Intrest+Profit)
2.	बीज	स्पष्ट लागतें+पारिवारिक श्रम लागत ।	MRP= FC+IT-5
3.	सिंचाई		Explicit + Implicit Cost
4.	उर्वरक		A2+FL+Rent+Intrest
5.	कीटनाशक		1500
6.	श्रमिक एवं लागत		600
			600
	= स्पष्ट लागत ।		<u>2700</u> +50%=C2+Profit

नोट :- वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए A2+FL+Profit(50%) को आधार बनाया जाता है। जबकि स्वामीनाथन आयोग/किसान आयोग की सिफारिश है। कि C2+50%Profit के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाला जाना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ

1. कृषि उड़ान योजना :-

घोषणा – 2020

मंत्रालय – नागर विमानन मंत्रालय।

उद्देश्य – शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन में गति लाकर मूल्य प्राप्ति बढ़ाना। इसके तहत देश के कुल 53 हवाई अड्डों का चयन।

2. श्री अन्न योजना –

घोषणा – बजट 2023–2024 में।

उद्देश्य – मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य व पोषण सुरक्षा प्रदान करना।

श्री अन्न की सूची –

ज्वार बाजरा

रागी कुटकी

कोदो सानवां
चीना कुटू
आडू कंगनी
राजगीरा

3. आत्मनिर्भर ऑइल सीड्स अभियान –

- घोषणा – बजट 2024–25 में।
- उद्देश्य – तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- इसमें 5 फसलें शामिल – सरसों, मुंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस।
- इस हेतु किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाएँ जाएंगे।

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –

- शुरुआत – 1 जुलाई, 2015
- उद्देश्य –
 1. मानसून पर कृषि की निर्भरता को कम करना।
 2. हर खेत को पानी पहुँचाना।
- मंत्रालय –
 1. जल शक्ति मंत्रालय।
 2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
 3. ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- खर्च में केंद्र व राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 है।
- इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं—
 1. प्रति बूंद अधिक फसल—
 - सूक्ष्म सिंचाई/बूंद-बूंद सिंचाई/स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना।
 - कोष— सूक्ष्म सिंचाई निधि 10,000 करोड़।
 2. हर खेत को पानी –
 - प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
 - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मध्यम व वृहद् सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाता है।
 3. एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम –
 - इसके तहत चेक डैम, तालाब जोहड़ी, बावड़िया आदि का विकास करके परम्परात भंडारण तंत्र का संरक्षण व नवीनीकरण किया जाता है।

5. अटल भू-जल योजना :-

- शुरुआत — 1 अप्रैल, 2020
- मंत्रालय — जल शक्ति मंत्रालय।
- कुल बजट — 6,000 करोड़।
- खर्च में हिस्सेदारी केंद्र व विश्व बैंक की क्रमशः—50:50 है।
- उद्देश्य — निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण करना।
- यह योजना 7 ऐसे राज्यों पर केंद्रित जहां भूजल अत्यधिक नीचे चला गया।
 1. हरियाणा
 2. राजस्थान (राजस्थान के 17 जिलों के 22 ब्लॉक शामिल।)
 3. उत्तरप्रदेश
 4. मध्यप्रदेश
 5. गुजरात
 6. महाराष्ट्र
 7. कर्नाटक

6. सल्फर कॉटेड यूरिया/यूरिया गोल्ड —

- शुरुआत — 27 जुलाई, 2023 को सीकर (राजस्थान) से हुई।
- यूरिया गोल्ड का निर्माण यूरिया को सल्फर के साथ मिलाकर किया जाता है।
- यूरिया गोल्ड = यूरिया + सल्फर।
- इसमें 37 प्रतिशत नाइट्रोजन व 17 प्रतिशत सल्फर होता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य मृदा में सल्फर की कमी को दूर करना है।

7. नैनो डीएपी —(Nano-DAP= Di-Ammonium Phosphate)

- इसका विकास अप्रैल, 2023 में IFFCO (Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited) द्वारा किया गया।
- यह नैनो कण के रूप में डीएपी का एक प्रकार है।
- यह परम्परागत डीएपी के विकल्प के रूप में पौधों को फॉस्फोरस(16 प्रतिशत) एवं नाइट्रोजन (8 प्रतिशत) प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है।
- नैनो डीएपी के लाभ —
 1. इससे आयात घटेगा।
 2. किसानों की आय बढ़ेगी।
 3. फसल उत्पादन बढ़ेगा।
 4. सरकार की उर्वरक सब्सिडी घटेगी।
 5. परिवहन एवं भंडारण आसान होगा, तथा लागत घटेगी।
 6. पर्यावरण मित्र।

7. लक्षित उर्वरक डिलीवरी।

8. किसान क्रेडिट कार्ड योजना –

- शुरुआत – 15 अगस्त, 1998 ई.
- उद्देश्य –
 - साहुकारों के शोषण से किसानों को बचाना।
 - संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुँच।
 - कम ब्याज दर पर बैंकों से किसानों को ऋण दिलाना।
- पात्रता – ऐसे किसान जो 5,000 रु. या उससे अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य हैं वह किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होंगे।
- वैधता – 5 वर्षों के लिए। प्रत्येक निकासी का भुगतान 12 माह के भीतर करना होगा।
- प्रबंधन – नाबार्ड द्वारा।
- क्रियान्वयन – सभी बैंकों द्वारा।
- सबसे ज्यादा कृषि ऋण क्रम से –
 1. वाणिज्यिक बैंक
 2. सहकारी बैंक
 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- भूमि विकास बैंक लंबी अवधि के लिए किसानों का ऋण।
- अधिकतम ऋण – 3 लाख रु. तक।

9. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना –

- शुरुआत – 24 फरवरी, 2019
- मंत्रालय – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- यह केंद्रीय योजना है। अर्थात् 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- लाभ – इसके तहत किसान परिवार को 6,000 रु. प्रति वर्ष 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।
- राजस्थान में 8,000 रु. प्रति वर्ष (2000-राज्य सरकार)

10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –

- शुरुआत – 18 फरवरी, 2016
- भारत सरकार।
- उद्देश्य – इसका उद्देश्य फसल उपज के सभी जोखिमों अर्थात् फसल बुवाई खड़ी फसल एवं फसल कटाई के 14 दिनों की अवधि में फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।

- प्रीमियम राशि –
 - 1. खरीफ की फसल – 2 प्रतिशत
 - 2. रबी की फसल – 1.5 प्रतिशत
 - 3. बागवानी/वाणिज्यिक – 5 प्रतिशत
- शेष राशि सरकार के द्वारा वहन की जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यानों की कमी को प्रबंधित किया जाता है।
- रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाली प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है।
- **उद्देश्य** :—खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है।

❖ केंद्र सरकार की जिम्मेदारियाँ :—

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यानों की खरीद।
3. भंडारण करना।
4. परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. राज्यों को आवंटन।

❖ राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ :—

1. राज्य में वितरण।
2. उचित मूल्य की दुकानों का नियमन।
3. लाभार्थियों की पहचान करना।
4. लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाना।

$$\text{खाद्य सبسिडी} = \text{आर्थिक लागत} - \text{केंद्रीय निर्गत मूल्य/बिक्री मूल्य}$$

❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास :—

- इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर, 1950 ई. को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर ब्यावर से की थी।
- 1992 ई. इसका नाम बदलकर 'संशोधित (पुनरुत्थान) सार्वजनिक वितरण प्रणाली' कर दिया गया।
- 1997 ई. में इसका नाम बदलकर 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' कर दिया गया।

❖ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

- इस प्रणाली में एससी/एसटी व बीपीएल व्यक्तियों को लक्षित वर्ग माना गया है। तथा देश के लोगों को बीपीएल/एपीएल दो वर्गों में बांट दिया गया।
- इन वर्गों को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। जबकि एपीएल को सामान्य कीमत पर उपलब्ध कराया गया।
- इस प्रणाली के अंतर्गत दो रंग के राशन कार्ड अस्तित्व में आए।
लाल – बीपीएल के लिए।
नीला – एपीएल के लिए।

❖ अंत्योदय अन्न योजना :-

- शुरुआत – 25 दिसम्बर, 2000 ई. को।
- इस योजना के तहत गरीबों में भी अत्यधिक गरीब लोगों को 35 किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके अंतर्गत गेहूँ-2 रु. प्रतिकिलो एवं चावल-3 रु. प्रतिकिलो के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है।

❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 :-

- शुरुआत – 5 जुलाई, 2013 ई. को।
- इस कानून के तहत देश की 67 प्रतिशत आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।
- यह कानून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करता है।
- खाद्य वितरण का आधार –वर्ष 2011-12 की सामाजिक आर्थिक जनगणना।
- इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्रतिव्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया।
- खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

नोट :- परिवार की मुखिया 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को माना गया।

❖ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना :-

- शुरुआत – 26 मार्च, 2020 से 31 मार्च 2029 तक।
- समयावधि – 2020–2029 तक।
- उद्देश्य – गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना तथा पोषण स्तर बनाए रखना।
- प्रावधान – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र 81 करोड़ लोगों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज निःशुल्क प्रदान करना।

❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएँ :-

- बीपीएल की सही पहचान नहीं हो पाना, जिससे सब्सिडी लीकेज की समस्या उत्पन्न हुई।
- फर्जी बीपीएल राशन कार्ड।
- गरीबों के खाद्यान्न की कालाबाजारी।
- न्यून गुणवत्ता स्तर के खाद्यान्न का वितरण।
- प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार।
- भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की भंडारण क्षमता अपर्याप्त होना।
- परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी/लीकेज की समस्या।
- उचित मूल्य की दुकानों पर भ्रष्टाचार।

❖ एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना :-

- बजट 2020–21 में इसे पूरे देश में लागू करने की बात की गई।
- इस योजना के तहत सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही राशन कार्ड जारी किया जाता है जिससे लाभार्थी पूरे भारत में कहीं से भी लाभ प्राप्त कर सकता है।
- लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र व राशन की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पर आधार प्रमाणीकरण के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
- हालांकि इसके लिए लाभार्थी के राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- इस योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों को हुआ है।

❖ भारतीय खाद्य निगम (1965 ई.)

- यह एक सांविधिक निकाय है।
- इसका गठन 1965 ई. में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत किया गया।
- इसका मुख्यालय— नई दिल्ली में स्थित है।
- इसका उद्देश्य :—
 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करना।
 2. खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना।
 3. अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना।

नोट :— शान्ता कुमार समिति:—

- ✓ यह समिति भारतीय खाद्य निगम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार से संबंधित है।
- ✓ गठन — 2014 में किया गया था।
- ✓ रिपोर्ट — 2015 में प्रस्तुत की।